(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 34वां दिवस [संख्या 26

शनिवार,

दिनांक 22 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, सिंचाई, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, विद्युत्, विधि, जन-स्वास्थ्य, आबकारी एवं राजकीय उपक्रम विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री अमृतलाल गहलोत।

जोधपुर नगर में निर्मित गांधी भवन पर व्यय की गई धनराशि

703. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर में निर्मित गांधी भवन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जोधपुर नगर के गांधी भवन निर्माण पर अब तक 1,62,707) रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) भवन के उपयोग में लिये जाने का प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस भवन को बने हुए कितने वर्ष हो गए और इसको लक्ष्य क्या था बनाने का?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस भवन को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की एक एजेन्सी है। यह भवन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बनवाया था। उन्हीं का बजट है और उन्होंने ही बजट प्रोवाइड किया है और उनके आदेश से ही यह भवन बना है। क्या लक्ष्य था, क्यों बनवाया, किस के लिए बनवाया, कैसे क्या उपयोग करेंगे यह सब तो जनरल एडमिनि-

(श्री हीरालाल देवपुरा)
स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही बता सकता है। हम तो कंस्ट्रक्शन एजेन्सी हैं जिन्होंने उनके कहने के अनुसार बना दिया, अब कैसे टेक ओवर करें, किसको दें इसके लिए हमने लिखा है जिसका जवाब नहीं आया है।

(व्यवधान; अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर): कोई नहीं ले तो धर्मशाला ही घोषित कर दो।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह भवन बनाया तो इस भवन की डिजाइन किस आधार पर तैयार की ? अभी न तो वहां पर दीवारें हैं और न छतें हैं। चार चार इन्च मोटे पिलर्स खड़े हैं। गर्मियों में भट्टी की तरह तपता है और सर्दियों में कोल्ड स्टोरेज से भी बदतर हो जाता है। बरसात में बोछारें आती हैं और जब भवन की यह हालत है तो इसकी जिम्मेदारी किस की है ? जब गांधीजी के नाम पर आपने भवन बनाया तो गांधीजी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए भवन की डिजाईन उसी तरह से होती जिससे पता चले कि गांधीजी ने क्या कहा था, यह जिम्मेदारी तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है।

श्री शंकरलाल (पाली) : गांधीजी के लिए सब दरवाजे खुले थे इसलिए यह भवन भी चारों ओर से खुला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अच्छा है खुली हवा और बोछारें आती रहेंगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह भवन कैसे बनाया, किस परपज के लिए डिजाईन किया गया है यह प्रश्न में पूछा नहीं था। मुझे तो पूछा था कि यह भवन बनाने में कितना खर्चा होगा वह मैंने आपको बताया है। अब इसका क्या उपयोग होगा किस सम्बन्ध में यह बनाया गया है, इसकी डिजाईन गलत है या सही है यह सारी टेक्निकल बातें पूछते तो सारी जानकारी लेकर आता। इसलिए क्या डिजाईन का, किस लिए बनाया यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : तीन चार वर्ष हो गए हैं भवन अधूरा है अभी तक।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सामान्य प्रशासन के राज्य मंत्रीजी यहां पर उपस्थित हैं क्या वह इस सदन में आश्वस्त करेंगे कि अब कब तक इस भवन को पूरा किया जाएगा और इसका क्या उपयोग किया जाएगा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि··

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी तो यह संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई बात कहते हैं कि यहां पर मंत्री महोदय उपस्थित नहीं है तो कहा जाता है कि जोइन्ट रैसपोंसिबिलिटी है और जब कोई सवाल पूछते हैं तो बगलें-बगलें झांकते हैं, एक दूसरे को तरफ बतलाते हैं। आप यह बतायें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास में यह भवन बनाने की रिक्वेस्ट कब आई थी, किस परपज के

Page No 3

(3)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
लिए आई थी। जब कभी आपके पास किसी विभाग से रिक्वेस्ट आती है तो कहा जाता है कि हास्पिटल के लिए चाहिए, धर्मशाला के लिए चाहिए, टाउनहाल के लिए, लाईब्रेरी के लिए चाहिए, एजूकेशन इस्टीट्यूशन के लिए चाहिए। यह किस परपज के लिऐ भवन निर्माण कराने लिए कहा गया। भवन बनाना तो आपका काम हैं, डिजाईन बनाना, इसका एस्टीमेट बनाना टेक्निकल अप्रूवल करना यह सब आपका काम है जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है फिर बजट सेंक्शन होता है और भवन बनता है। तो किस परपज के लिए यह बना और क्यों इतने सालों से पड़ा हुआ है बिल्कुल जैसे किसी प्रकार का लावारिस कोई भवन हो और कोई ईमारत बनी हुई है पर वहां पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, न कोई उपयोग हो रहा है। तो आप बतायें कि किस परपज के लिए बनाया था और क्यों इतने सालों से बेकार पड़ा है?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अगर भवन को टेक ओवर नहीं करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए यह तो आपके हाथ में है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, यह तो अजीब सी बात लगती है कि गवर्नमेंट का इतना पैसा इसमें लगे और उसके बाद ताला लगा रहे और ताला लगा कर बन्द पड़ा रहे·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : ताला लगाने की बात ही नहीं है, चारों फाटक खुली हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : तो यही बता दिया जावे कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या था?

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं स्पष्ट कर दूं कि यह भवन पूरा बना नहीं है। इसका टोटल प्लान 2 लाख 70 हजार का था और जो हमें पैसा मिला है वह 1 लाख 60 हजार रुपये ही मिला है। इतने खर्चे में पूरा नहीं बन पाया है। इसके लिए हमने दुबारा लिखा है कि इसका पूरा पैसा मंजूर किया जावे ताकि इसको पूरा बनवाया जावे।

अब इस भवन के उपयोग के बारे में सवाल माननीय अमृतलाल जी ने पूछा कि यह बतायें कि यह भवन किस परपज के लिए बना तो मैं निवेदन करूं कि गांधी सेंन्टेनरी ईयर में गांधी जी की याद में यह भवन वहां पर बनाया गया। दृष्टिकोण इसमें यही था कि यह सार्वजनिक कार्य के लिए प्रयुक्त होगा जहां पर विचार-गोष्ठी होगी, यहां पर बैठ कर चर्चा कर सकेंगे और दूसरे जनता के काम में आ सकेगा। इस भवन के लिए कुछ पार्टीसिपेशन भी एक्सपेक्टेड था और पचास हजार रुपया का पार्टीसिपेशन भी हुआ है जिसका उपयोग इसमें किया गया है। हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है कि आप इसको पूरा करा कर इसको उपयोग करवायें और जितना रुपया और चाहिए वह अलाट करें जिसके लिए कोरेसपोंडेंस चल रही है।

जहां तक जॉइन्ट रेसपांसिबिलिटी का प्रश्न माननीय लोढ़ाजी ने उठाया है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)
प्रश्नों में कुछ खास सूचनाएं कलेक्ट करनी होती है। हम यह कभी नहीं कहते कि जोइन्ट रेसपॉसिबिलिटी नहीं है, हम इसको मानते हैं लेकिन जो सूचना खास तौर से मांगी जाती है उनको कलेक्ट करना होता है। आप राज्य मंत्रीजी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह रहे हैं तो उनके पास भी इस सम्बन्ध में तत्काल सूचना प्राप्त नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा: कितने समय से काम बन्द है और कब यह पूरा हो जावेगा? यह बता दें।

श्री ओंकारलाल चौहान (टग): इसका उपयोग करना कब तक शुरू हो जावेगा?

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो प्रश्न में जानकारी चाही है वह अधूरी है और प्रश्न पूछते हैं तो भी गवर्नमेंट की रेसपॉन्सिबिलिटी होती है। एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार के कार्यों के लिए चाहे वह सड़कों का काम हो, बिल्डिंग निर्माण का काम हो...

श्री अध्यक्ष: सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें।

श्री भगराज चौधरी: हम पुलियाओं का निर्माण कराते हैं...

श्री अध्यक्ष: इसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछें।

श्री भगराज चौधरी: सड़कों का निर्माण कराते हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न से सम्बन्धित ही सवाल पूछें।

श्री भगराज चौधरी: निर्माण कराने के सारे काम टूट जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट काम पूरे होने के बाद टूट जाते हैं तो उनके नुकसान का, उनकी रेसपॉसिबिलिटी का ईवैल्यूएशन कराने लिए क्या कोई कमेटी बनाने को तैयार हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा: इस प्रश्न का तो इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: आगे की बरसात में गिर जाएगा इसलिए अब तो पूरा करायेंगे आप।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्रीमती नगेन्द्रबाला!

कोटा जिले के स्कूलों में एग्रीकल्चर तथा साइन्स के विषय

704. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला उद्योग तथा कृषि उपादेयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है?

(2) क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सैकेन्डरी तथा हायर सैकेन्डरी स्कूलों में एग्रीकल्चर तथा साइंस विषयों का खुलना आवश्यक है, अथवा खोले जाने चाहिएं?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स की फैकल्टी में एक विषय के रूप में कोटा में पहले से चल रहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा में इतने उद्योग, चलते हैं लेकिन वहां पर बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स की शिक्षा की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोटा के लिए और दूसरे स्थानों के बारे में श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट पेश की और उन्होंने अपनी सम्मति दी लेकिन सरकार अगर वहां पर विश्वविद्यालय नहीं खोलती है तो न खोले लेकिन कोटा के क्षेत्र में जो कोटा में कमियां हैं, जो कोटा के लिए शिक्षा क्षेत्र में कमियां महसूस करते हैं, अगर उनके लिए थोड़ा बहुत सुधार करने का विचार करें तो काफी उपयोगी काम हो सकता है। वहां की आवश्यकता को देखते हुए यदि शिक्षा की व्यवस्था की जाय तो वह शिक्षा उपयोगी हो सकती है और किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर और साइन्स के साथ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे तो इसका बड़ा उपयोग हो सकेगा। वहां पर काफी उद्योग हैं उनकेलिए भी उपयोगी आदमी मिल सकेंगे। सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी तो गांवों के लिए रहने दें।

श्री **जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि कृषि फैकल्टी जो आप खोलना चाहते हैं, वह वहां पर खोलना चाहते हैं, बता दें, नंबर एक। दूसरा छबड़ा में सैकेन्डरी स्कूल में नए विषय खोले जाने की काफी समय से मांग चल रही है क्या इसके विषय में भी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री **रामगोपाल** (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर के प्रश्न खण्ड 3 में जो प्रक्रिया अपनायी है क्या वही प्रक्रिया आप खण्ड 1 व 2 में अपनायेंगे ताकि सप्लीमेन्टरी करने की जरूरत नहीं रहे।

श्री **खेतसिंह** : जहां तक अध्यक्ष महोदय, सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी में एग्रीकलचर खोलने का प्रश्न है, किसी स्कूल में यह विषय खोलने से पहले यह देखा जाता है कि कृषि के लिए वहां पर जमीन है, कुआं खुदा हुआ है और लड़कों की तादाद जो होनी चाहिए वह है। अगर ये सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक साइंस विषय खोलने का प्रश्न है लड़कों की तादाद, उस स्कूल के कमरों की तादाद इक्वीपमेन्ट में कुछ जन सहयोग जहां पर मिल सकेगा वहां पर ये विषय खोलने का विचार इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की रिपोर्ट लेने के बाद करूंगा।

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : जन सहयोग तो वापिस कर दें।....

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, शहरों के अन्दर जो सैकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उन से किसी प्रकार का कन्ट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाता है। सब से

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

बड़ी मुश्किल बात तो यह है कि यह सब गांवों से मांगा जाता है। वहां पर जमीन है, कुआं है और स्टूडेन्ट्स भी यह मान कर चलना चाहिये वहां पर हैं। ये सारी चीजें वहां पर हैं, लेकिन कन्ट्रीब्यूशन आप इतना ज्यादा मांगते हैं वह मुश्किल से गांव वाले दे पाते हैं। क्या आप इसमें कमी करेंगे?···

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा के स्कूल के अन्दर कृषि भूमि है और कुआं भी वहां पर मौजूद है। यह मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर रहा हूं। आपके रिकार्ड में भी यह मौजूद होगा। ये सारी बातें हैं तो वहां पर यह विषय खोलने के लिए आपको विचार करना चाहिये।···

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या आप यह दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार हैं?···

श्री खेतसिंह : इन दोनों स्कूलों के बारे में विषय खोलने के समय गंभीरता से विचार किया जायेगा।···

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 705···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : आप गंभीरता से विचार करेंगे? आपकी गंभीरता सराहनीय है।

भीनमाल तहसील के ग्रामों में मीठे पानी की व्यवस्था

705. **श्री मगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की भीनमाल तहसील के खारे पानी के गांव कोटड़ा, मोखातड़ा, सेवाड़ा, सोतड़, हर्षवाड़ा, कूडा, करवाडा में मीठे पानी की व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना करीब दो वर्ष पूर्व बना दी गई थी?

(2) यदि हां, तो इसे अब तक स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार इसे अब शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अधिशासी अभियन्ता द्वारा योजना दिनांक 20-9-74 को प्रस्तुत की गई है। अगले वित्तीय वर्ष के लिये नई जल प्रदाय योजनाएं जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार की जा सकेगी।

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न यह है कि आपने यह फर्माया है कि योजना बनवाली गई है लेकिन पूरे गांव जिनका जिक्र किया गया है, वह छोड़ दिये गये हैं योजना में और आम तौर पर इन गांवों में, पानी नहीं है। कृपा करके आपने जो योजना बनाई है, उसमें इस गांव को भी जुड़वा दें। यह निवेदन है।

श्री चन्दनमल बैद : कूडा गांव जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा और जोडा जा सकता है तो इसको जोड़ दिया जाएगा।

श्री मगराज चौधरी : जिला आयोजना कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की है। उन सिफारिशों को आप कब तक क्रियान्वित कर

(श्री भगराज चौधरी)
देंगे। इनको लागू करने का विचार कब तक का है ?

श्री चन्दनमल बैद : ये सिफारिशें अभी नहीं आई हैं। ज्योंहि सिफारिशें आएंगी जल्दी से जल्दी उसके अनुसार काम शुरू करवाने की कोशिश की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चतरभुज !

ग्राम झराना से टोडारायसिंह सड़क

706. **श्री चतरभुज** (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला टोंक में ग्राम झराना से टोडारायसिंह सड़क को तैयार करवाने की क्या प्रगति चल रही है और यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं होगी, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : टोडारायसिंह से झराना रोड 29 किलोमीटर की लम्बाई में कंकर रोड बनी हुई है।

श्री चतरभुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है टोडारायसिंह हैड क्वार्टर टोंक से कनेक्टेड नहीं है। इससे जनता को परेशानी हो रही है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आए दिन यह दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उक्त रोड को तैयार करवा दिया जाये ताकि डिस्ट्रिक्ट तक रास्ता खुल जाये। जनता का काम रुक रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्य है। दो तीन साल से मैं यह निवेदन करता आ रहा हूं। यह महत्वपूर्ण कार्य है। टोडारायसिंह की जनता का यातायात रुका हुआ है। इसको चालू किया जाये। रोड बनाई जाये।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह प्लान रोड है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय 29 किलोमीटर की मेटल रोड बन चुकी है और इस रोड का मेन्टीनेन्स भी हम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उससे यह तात्पर्य है कि इस रोड को तार रोड बना दिया जाये। तार रोड इस वर्ष नहीं बन सकेगी। मेटल रोड का काम खतम हो चुका है और उस पर ट्रैफिक भी चल रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या यह प्लान रोड है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब इसकी स्वीकृति बजट हैड से हुई है और 29 मील की सड़क भी बन चुकी है...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामगोपाल !

राजकीय महाविद्यालय बारां

707. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) कोटा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, बारां, जिला कोटा में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने की इस वर्ष सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री खेतसिंह) : जी नहीं। बारां से 30–32 मील की दूरी

(श्री खेतसिंह)
पर ही राजकीय महाविद्यालय कोटा है, जहां सभी विषयों में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) कक्षाएं हैं।

श्री रामगोपाल : सर्व प्रथम तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ने जो दूरी बताई है, वह सही है? दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष ग्रेजुएट कालेजों को अप-ग्रेड करने के लिए दस कालेजों का प्रावधान आपने बजट में रखा है तो क्या कोटा डिवीजन को भी एक पोस्ट ग्रेजुएट स्वीकृत करने की कृपा करेगी, राज्य सरकार?

श्री खेतसिंह : स्वीकृति देने का कोई प्रश्न नहीं है और माननीय सदस्य की भावनाओं को भी मैं समझता हूं। मुश्किल से बारां को जो छात्र संख्या है वह 598 है और बारां के अलावा 11 कालेज राजस्थान में ऐसे हैं जिनकी छात्र संख्या बारां कालेज से अधिक है और उनकी दूरी भी अधिक है दूसरे कालेजों से। दूसरे जो बजट स्पीच में वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है, यह कहा है कि एक जिले के अन्दर एक कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे। आपके जिले के अन्दर कोटा में एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है और वहां सभी विषयों की फैकल्टीज हैं। इसलिए इसके लिए क्षमा चाहूंगा।

श्री राम गोपाल : क्या-क्या शर्तें निर्धारित की हैं आपने पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने के लिए?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 708।

बारां नगर की नल योजना

708. **श्री शिवनारायण** (बारां): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बारां नगर की नल-योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां तो जनता को पानी देने का सरकार कब तक विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): जी नहीं। अभी इन्टेक वेल एवं फिल्टर प्लान्ट का कुछ कार्य बाकी है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। इस माह में बगैर साफ किया हुआ पानी वितरण की सम्भावना है।

श्री शिवनारायण : कब तक बारां शहर को, किस महीने तक पानी देने की व्यवस्था आप कर देंगे?

श्री चन्दनमल बैद : इस महीने तक अन फिल्टर्ड पानी दे दिया जायेगा और फिल्टर प्लांट 5-6 महीने में लगा दिया जायेगा।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : यह योजना कितने अर्से से चल रही है। पिछले सत्र में यह कहा गया कि इस साल पानी दिया जायेगा। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। यह बहुत बड़ा कस्बा है। काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसलिए इसको शीघ्र ही करवाया जाये।

श्री चन्दनमल बैद : पिछले साल यह कहा था कि इस साल पानी दे दूंगा। इस साल पानी दे दिया जायेगा।

श्री राम गोपाल : इस योजना को इतने लम्बे अर्से तक लटकाने का क्या कारण है ? इतनी जनता वहां पर रहती है। आज तक वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था आप नहीं कर सकें हैं ?

श्री जगमोहन सिंह : पिछले साल भी यह कहा था कि इस साल पानी दे देंगे। वह साल भी चला गया। अब फिर कह रहे हैं, इस साल पानी दे देंगे। इसका भी यह मतलब है कि इस साल पानी नहीं मिलेगा वहां की जनता को ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह अर्ज किया था—इस साल के लिए कहा था और इस साल वहां पर पानी दे दिया जायेगा। साल खतम होने में अभी 5/7 दिन बाकी हैं। इस साल अनफिल्टर्ड पानी दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जगमोहन सिंह : फिल्टर प्लान्ट कब तक लगा देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने 5-6 महीने के लिए कहा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस साल के लिए तो पाजिटिवली बताया है।

श्री चन्दनमल बैद : इस साल पानी देंगे।

प्रश्न संख्या 709

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 710

राजस्थान हाई कोर्ट की बेन्च

710. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) एवं

श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रधान मन्त्री को सुपुर्द करने की घोषणा दिनांक 3 अप्रेल, 1974 को मुख्य मन्त्री द्वारा सदन में की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने प्रधान मन्त्री से कोई पत्र व्यवहार किया है ? प्रधान मन्त्री को भेजे गये व उन से प्राप्त पत्रों की प्रति सदन की पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री को उक्त दिनांक की सदन की कार्यवाही की प्रति नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दिनांक की सदन की कार्यवाही का विवरण प्रधान मन्त्री को भेजने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करने हेतु प्रधान मन्त्री से पत्र व्यवहार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) यह सही है कि दिनांक 3-4-74 को राजस्थान विधान सभा में यह सर्व-सम्मति

(श्री खेतसिंह)

से फैसला किया गया था कि यह प्रश्न भारत सरकार पर छोड़ा जाये कि इसके ऊपर वाद–विवाद नहीं होगा और भारत सरकार जो फैसला देगी उसको मान्यता देंगे। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने भारत सरकार को दिनांक 12-9-74 को पत्र लिखा।

(2) सदन में दिनांक 3–4–74 को जो कार्यवाही हुई थी उसकी प्रति विधि मन्त्रालय, भारत सरकार को भेज दी गई है जहां कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

(3) जी हां। वह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस पत्र का सवाल है इसकी कापी के लिये मैंने यह कहा था कि सदन में रखा जाय, क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि इस वक्त तक कोई पत्र वहां पर नहीं पहुंचा है और इसके लिये लॉ मिनिस्टर से हमने कान्टेक्ट किया तो लॉ मिनिस्टर ने इन्फार्म किया कि ऐसी कोई सूचना हमारे सामने नहीं है। अगर कोई लेटर है तो मैं यह चाहूंगा कि इसको रखें।

दूसरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सिलसिले में आपने पत्र लिखा तो क्या उसका जवाब प्राप्त हुआ है, अगर प्राप्त हुआ है तो क्या हुआ और अगर नहीं हुआ है तो क्या आपने रिमाइन्डर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा सवेश्चन है कि जिसको जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं वह एक्स्प्लायटेशन कर रही हैं, और ऐसी हालत पैदा हो रही है और यहां पर इस किस्म की तकरारें होती हैं कि हमारे साथ उपेक्षा की जा रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, फिर भी, अध्यक्ष महोदय, आपकी तवज्जह नहीं होती है तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि उनको क्या जवाब उपलब्ध हुआ, आपको क्या जवाब प्राप्त हुआ, कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो रिमाइन्डर भेजा कि नहीं?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, डी.ओ. नं. एफ 2 (3) नोट कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप कापी क्यों न दे दें।

श्री खेतसिंह : मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री मीठालाल मीणा (सालसोट): सदन की मेज पर रखने को कहा है।

श्री खेतसिंह : मैं कापी दे दूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं चाहूंगा कि आप पढ़कर सुना दें और फिर कापी सदन की मेज पर रख दें।

श्री गुमानमल लोढा : कापी सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री खेतसिंह : मैं कुछ पेराज पढ़कर सुना दूं–

"Dear Shri Nayyar,

Kindly refer to your D. O. letter No. 17-2-74 Jus. dated 23-4-1974 regarding the demand for settiug up of Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur.

Page No 11

(श्री खेतसिंह)

The Rajasthan High Court Ordinance was promulgated in 1949. By virtue of the Ordinance, Jodhpur was selected as the principal seat of the Rajasthan High Court while a Bench was established at Jaipur. This arrangement continued for some years. In pursuance of the report of the Rajasthan Capital Enquiry Committee, also called the Satya Narain Rao Committee, the Bench at Jaipur was abolished on 15-3-1958. Thereafter the demand for the setting up of a Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur became a bone of contention and led to agitations by the political parties and interested persons in various regions. This demand was discussed at various times in the Rajasthan Legislative Assembly also and no solution could be evolved.

In the session of the Rajasthan Legislative Assembly on 3-4-1974 the matter was discussed threadbare and a unanimous decision was taken that the question of setting of a Bench at Jaipur should be closed in the Rajasthan Legislative Assembly and at the State level and left to the Prime Miniser to take decision."

यह लेटर भेजा है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं। पटेल कमेटी और राव कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि एकीकृत हाई-कोर्ट जोधपुर में रखी जाय। यह प्रोमीशन इस लेटर में से क्यों हुआ ? आपने इतना इम्पार्टेन्ट प्रोमीशन क्यों किया ? इट वाज डिसाइडेड दैट यूनिफाइड हाई-कोर्ट शुड बी एट जोधपुर। यह आपने क्यों नहीं इसमें लिखा ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)।

श्री मूलचन्द सामरिया : यूनेनिमस डिसीजन नहीं होने की वजह से।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मैं निवेदन कर रहा था।

श्री गुमानमल लोढा : यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रोमीशन है।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। जिन्होंने पहले बोला है उसका उत्तर तो आ जाय। उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक छोटा सा पाइंट है।

श्री गुमानमल लोढा : क्या यह सही नहीं है कि पटेल कमेटी और राव कमेटी ने, राजस्थान के इन्टेग्रेशन के समय पटेल कमेटी ने और अजमेर के इन्टेग्रेशन के समय राव कमेटी ने यह डिसीजन दिया था सारे राजस्थान में घूमकर और सब को प्रोपोजिशन लेकर कि कैपिटल जयपुर में रखी जाय और युनिफाइड हाई-कोर्ट जोधपुर में रखी जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपकी पार्टी क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा एक प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी से...

श्री मूलचन्द सामरिया : इस निर्णय को राजस्थान में कहीं पर भी नहीं माना है। जबरदस्ती राजस्थान पर लागू किया गया है यह रैफर नहीं किया गया। यह बहुत बड़ा प्रोमीशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न है यहां पर आया था...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी है कि फर्स्ट का आन्सर आ जाय। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था उसका आन्सर आ जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेम्बर्स में आपका विश्वास नहीं है...

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं प्रोसीजर के पाइन्ट पर कहना चाहता हूं...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह इन्टेग्रेशन का क्वेश्चन है। कमेटी ने किया है तो उसका रिकमन्डेशन्स का रिवीजन कैसे हो सकता है...

(व्यवधान)

... विधान सभा में यह क्वेश्चन कभी पूरा नहीं होगा। यह फिर खड़ा कर दिया गया है। पहले यह तय हुआ था...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्वॉन ए पाइंट आफ इन्फर्मेशन सर...

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैसे मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था...

श्री मीठालाल मीणा : माना नहीं है फैसला नहीं हुआ है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोर लगाने से काम नहीं चलेगा। इन्टेग्रेशन के क्वेश्चन को वापस उठायेंगे तो सारे क्वेश्चन्स खोले जायेंगे राजधानी का...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवामहल, जयपुर) : आप यह बता दें कि और जगह कई बैंचें कायम हों तो राजस्थान में केवल एक ही जगह हाई कोर्ट की सीट हो और जयपुर में बैंच क्यों न कायम हो ? क्या सरकार दुबारा रिमाइन्डर भेजेगी ताकि इस बारे में जल्दी उत्तर आ जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर मुख्य मंत्रीजी इजाजत दें तो...

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं फ्लोर पर हूं।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री मीठालाल मीणा : आपने कहा था...

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसको फिर यहां पर...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यहां पर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : फ्लोर मैंने आक्यु-पाई किया हुआ है।

कई माननीय सदस्य : आप बोलिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पटेल कमेटी अथवा उसकी जो बात कही है, राव कमेटी आई एम सारी,

श्री गुमानमल लोढा : दोनों।

श्री हरिदेव जोशी : उसका मैं समझता हूं ऐसा कि सारी बातें आज के क्वेश्चन के सम्बन्ध से परे हैं··

श्री मीठालाल मीणा : बिल्कुल ठीक है और करना नहीं चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक मूल प्रश्न का सवाल है मैं उसे समझता हूं कि यह प्रश्न सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए था। यह प्रश्न सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए था···

श्री रघुनाथ विश्नोई : या डिबेट कर लें।

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके मुझे दें।

क्योंकि सदन से सॉलमली उस दिन यह तय किया था कि इसको सदन में नहीं उठायेंगे, क्योंकि माननीय सदस्य अथवा पार्टी इस चीज में कहीं कुछ भी करना चाहती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुझ से मिल लें और कान्फीडेंस में, जानकारी ले लें, वह मैं चाहता हूं, बजाय इसके कि इस हाउस में कुछ कहकर हम चीज को दूसरे तरीके से करें। यह मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तब भी आपकी इच्छा है और अस्वीकार करें तब भी आपकी इच्छा है मैं उस दिन भी रिलक्टेन्ट था पर सारी पोलिटिकल पार्टीज युनेनिमस थीं इसलिए इस प्रश्न को इस रूप में लिया गया। मैं एक विश्वास इस सदन को दिला देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर सीज्ड हैं सीरियसली इस मेटर से। अभी थोड़े दिन पहले जब पी. एम. बांसवाड़े के लिए पास हो रही थीं उस दिन बार एसोसियेशन के चेयरमेन उनसे मिले थे, और उन्होंने यह कहा था कि वह मेटर सेसीज्ड है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं इस प्रश्न पर नहीं कहूंगा। मैं आपसे स्पष्ट कराना चाहता हूं। इस सदन ने आप पर विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया इस प्रश्न पर। आपने इस सदन में रेज्यूलेशन पेश किया कि मैं सदन की भावनाओं को समझता हूं। मैं इस कन्फिलक्ट में नहीं जाना चाहता, जो विलम्ब हुआ है, जो विलम्ब होता जा रहा है, माननीय सदस्य ने आपको अपने प्रश्न से सजग किया है। आपने फरमाया है कि आपने इस पर पुनर्विचार कर लिया है तो हम यह समझकर चलें कि यह प्रश्न जगा हुआ है, और एश्योरेन्स सिबिलिटी इस प्रश्न की माननीय अध्यक्ष ने दी है, इसलिए आपकी मान्यता के अनुसार इस पर न भी विवेचन किया जाय तो पूरा प्रश्न इस प्रश्न से अनुबन्धित है आप शीघ्रता का परिचय दें तो अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पूर्ण सक्रिय हूं मगर मुझे सदन का सहयोग चाहिए।

श्री मोठालाल मीणा : आपको मिलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : हमको समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्न पर बहुत ही तीव्र भावनाएं इधर या उधर हैं। इसलिए सदन में उठाया नहीं जाना चाहिए। अगर इसको सदन में कोई भी पक्ष उठायेगा तो उस पक्ष को नुकसान होगा, यह समझना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम गुन्दोज (पाली) के जल-प्रदाय के कार्य में आई सीमेन्ट की काला बाजारी

711. **श्री शंकरलाल (पाली) :** क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांव गुन्दोज में जल-प्रदाय योजना का जो कार्य चालू है वहां के कर्मचारियों के विरुद्ध सीमेंट काला बाजार में बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या नतीजा रहा ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): जी नहीं, विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शंकरलाल : बहुत ताजुब की बात है। मैंने स्वयं असिस्टेन्ट इन्जीनियर को शिकायत की थी कि वहां पर जो अस्पताल बन रहा था वहां पर सीमेंट काला बाजार में बेची जा रही है, और आप कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर आप कहते हैं कि आपने स्वयं असिस्टेन्ट इन्जीनियर को शिकायत की है तो मैं और पूछ लूंगा। अगर आपने यही पूछा होता कि आपने जो शिकायत की थी उसका क्या हुआ, तो हम असिस्टेन्ट इन्जीनियर से ही पूछते।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आपने आपने किस से पूछ कर जवाब दिया है ?

श्री चन्दनमल बैद : हैड आफिस से पूछ कर।

श्री फूलचन्द जैन : चीफ इन्जीनियर ने भी तो वहां के असिस्टेन्ट इन्जीनियर से ही पूछ कर जवाब दिया होगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप स्पेसीफीकली कह रहे हैं कि आपने असिस्टेन्ट इन्जीनियर से शिकायत की थी। मैं माननीय सदस्य की बात को सही मानकर असिस्टेन्ट इन्जीनियर से फिर पछूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह।

हिन्डौन करौली क्षेत्र में विद्युत् लाइन में आई अव्यवस्था

712. **बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली):** क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हिण्डौन करौली क्षेत्र में विद्युत् लाइन का बार-बार ट्रिप होना तथा कई दिन तक लगातार विद्युत् नहीं मिलने के कारण कृषि-कार्य में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? तथा इस अव्यवस्था को कब तक ठीक किया जाएगा ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): 132 के.वी. निवाई सब-स्टेशन के ट्रान्सफार्मर के खराब हो जाने के कारण इस सब-

(श्री हीरालाल देवपुरा)
स्टेशन पर आने वाला कुछ भाई 132 के. वी. सवाई माधोपुर सब-स्टेशन पर डाला हुआ है। सवाई माधोपुर सब–स्टेशन से हिण्डौन, करौली क्षेत्र को बिजली दी जाती है। सवाई माधोपुर सब–स्टेशन पर अधिक भार आने से इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में आंशिक बाधा आई है। निवाई सब–स्टेशन के ट्रान्सफार्मर के माह अप्रेल तक ठीक हो जाने के बाद हिण्डौन, करौली क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूर्ववत् हो जायेगी।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : क्या यह ट्रान्सफार्मर बदली किया जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह ट्रान्सफार्मर मार्च तक यह अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक लग जायेगा। उसके बाद यह स्थिति नहीं रहेगी।

श्री मीठालाल मीणा: यह ट्रान्सफार्मर कब खराब हुआ था और इसको ठीक कराने में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे सारा सवाई माधोपुर जिला प्रभावित हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सम्बन्ध में पहले भी माननीय सदस्य से बात कर चुका हूं। निवाई का ट्रान्सफार्मर खराब हो गया, और वह अवेलेबिल नहीं हो रहा था। अब हमारे पास दूसरा ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हो गया है और हम लगा रहे हैं। लालसोट क्षेत्र में बिजली चालू रहे, इसलिए हमने सवाई माधोपुर सब-स्टेशन से बिजली दी। अब यह हुआ है कि लोड ज्यादा बढ़ जाने से कुछ फ्लक्चुएशन्स होती हैं और कुछ दिक्कत हुई हैं, यह तो स्वाभाविक है। अब ट्रान्सफार्मर आ गया है और मार्च के अन्त तक या अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कह दिया लगा देंगे।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या यह सही है कि कर्मचारी लोग किसानों को परेशान करते हैं और उनसे एक एक मोटर पर दो दो क्विन्टल अनाज मांगते हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री चेतराम : क्या यह सही है कि ट्रान्सफार्मर में डिफेक्ट कर्मचारियों की गलती के कारण पैदा हुई है?

श्री हीरालाल देवपुरा : कुछ टेक्नीकल और मैकेनीकल डिफेक्ट्स की शिकायतें आई, ओवरलोड होने की भी शिकायतें रही हैं। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती के कारण यह गलती हुई है तो अवश्य ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री राजेन्द्रसिंह : प्रश्न संख्या 713।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब खत्म हो गया।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : किसानों की सेफ्टी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री मीठालाल मीणा : चेम्बर में मिल लें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

राज्य में एस. टी. सी. स्कूल

713. **श्री राजेन्द्र सिंह (अनियारा)** : क्या 'शिक्षा मंत्री' यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितने एस. टी. सी. स्कूल कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्कूलों के छात्रों की कितनी संख्या रखी गई है ?

(3) क्या इन सीटों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की सीटें रखी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) इसमें भर्ती करने का क्या आधार रखा गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेत सिंह) : (1) राजस्थान में 34 एस. टी. सी. स्कूल जिन-जिन स्थानों पर हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) जी, हां। सूची में अंकित कर दी गई है। प्रत्येक एस. टी. सी. स्कूल में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये और 11 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के लिये सुरक्षित स्थान हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में 50 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति व 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये स्थान सुरक्षित हैं। इसी प्रकार बेदला, उदयपुर में 33 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति व 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये स्थान सुरक्षित हैं।

(4) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश स्थाई आदेश 6-1-68 संशोधित 1974 के अनुसार दिये जाते हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने सूची दी है, क्या आपने कभी चेक किया है कि आपके आदेशों का अनुपालन भी हो रहा है कि नहीं ? क्या सारे प्रतिशत की पूर्ति की गई है ? गत वर्ष जो चयन हुआ उसमें पूर्ति हुई कि नहीं ?

श्री खेतसिंह : कई स्थानों पर अगर छात्र नहीं मिलते हैं तो पूर्ति नहीं हो सकी। अगर आपके पास कोई स्पेसीफिक केस हो तो मैं जांच कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो चयन हुआ था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो केन्डीडेट्स थे उनको प्राथमिकता नहीं दी गई।

श्री खेत सिंह : मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सही है। बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में अलवर और भरतपुर के छात्र चुने जाते हैं जो बाद में उधर की तरफ ट्रान्सफर करा लेते हैं और स्कूल खाली पड़े रहते है।

श्री खेत सिंह : मैं इस प्रकार के आदेश जारी कर दूंगा कि उन जिलों के अन्दर अगर छात्र उपलब्ध हैं तो पहले उनको लिया जाये और बाद में दूसरे जिलों के छात्रों को लिया जाये।

(श्री खेतसिंह)

गत वर्ष जो चयन किया गया था वह स्ट्रिक्टली ग्रोन मेरिट किया गया था, इसलिये हो सकता है कि कम मेरिट होने वाले वहां के छात्रों को नहीं लिया गया हो। यह बिल्कुल सम्भव है। आखिरकार मेरिट के बगैर लेना तो उचित नहीं रहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपको भर्ती तो ग्रामीण स्कूलों के लिये करनी है, सो आपको ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री मीठा लाल मीणा: क्या यह सही है कि इन एस. टी. सी. स्कूल्स में जो कोटा शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिये मुकर्रर है, वह पूरी नहीं की गई।

श्री खेत सिंह: अगर माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह मुझे बतादें, हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री मीठा लाल मीणा: आपने जो 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित रखे हैं, वह किस आधार पर रखे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि अनुसूचित जन जाति के लिये स्थान कम हैं और उन्हें बढ़ाना चाहिये?

श्री राजेन्द्रसिंह: मेरा एक प्रश्न है...

श्री मूलचन्द सामरिया: आपने यह फर्माया है...

श्री केदारनाथ: जो ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेन्ड देते थे, वह स्टाइपेन्ड बन्द कर दिया है। नम्बर दूसरा, आयन्दा आप किसी भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में एस. टी. सी. क्लासेज रन करने के लिए इजाजत नहीं देंगे - यह भी हमें आश्वासन दे दें।

श्री मूलचन्द सामरिया: आपने फर्माया है, शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में कोटा पूरा नहीं हुआ, क्या इसकी पुष्टि के लिए फर्मा सकते हैं कि जिस समय सिलेक्शन के लिए आवेदन-पत्र मांगे गये थे, उसमें जितने लोगों ने उस योग्यता के अनुसार एप्लीकेशन दी, उनका सलेक्शन हो गया और एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं रही जिस पर निर्णय करना बाकी हो? जिन्होंने एप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हो गया, क्या यह फर्माते हैं, यह सत्य है?

श्री रावतराम (झापर): शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनती है टीचर के लिए उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग से मेरिट लिस्ट बनती है या जनरल लिस्ट बनती है। उसमें शुमार किये जाते हैं?

श्री राजेन्द्रसिंह: भविष्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आवेदक...

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): पहले ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेन्ड देते थे, उसको बन्द करने का क्या औचित्य है?

श्री रामकिशन (भरतपुर): माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि सिलेक्शन हुआ है वह मेरिट से हुआ है, तो शिक्षा के मामले में जिस समय बहस हो रही थी, उस वक्त आप के नोटिस में यह चीज लाये कि बोग स्कूल-

(श्री राम किशन)
में मेरिट से सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो बोर्ड बना उसके मेम्बर हाजिर नहीं रहे, वह यह कहने को तैयार हैं कि हमारे सामने मामला आया नहीं। आपने कहा था कि जांच करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरिट से सिलेक्शन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें एक आध को छोड़कर मेरिट से सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सीट खाली रह जाती है, इसका कारण है, कुछ इलाकों में पढ़े लिखे ज्यादा हैं और कुछ में कम है। क्या शिक्षा मंत्री यह करने को तैयार हैं कि किसी भी जिले का कोटा पूरा करने के लिए, अगर किन्हीं ने एप्लाई नहीं किया है तो उनको भी वहां भेज देंगे।

तीसरे, आपने वजीफा बन्द किया है। वित्तीय स्थिति के कारण सबको नहीं दे सकते हैं तो गर्ल्स केन्डीडेट्स को तो दे सकते हैं क्योंकि लड़कियों की कमी होती है और जो कोटे का रिजर्वेशन किया है, उसके लिए महिला अध्यापिका नहीं मिलती है। क्या इस पर विचार कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं जानना चाहूंगा…

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं जानना चाहूंगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आवेदकों के लिए आप यह मेरिट फार्मूला लागू नहीं करेंगे ताकि उनको ज्यादा जगह मिल सके।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मेरिट फार्मूला तो करना है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि एस.टी.सी. में जिन आदिवासी, हरिजन और दूसरी कौम के लड़कों को लिया गया था, उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? क्या यह सही है?

श्री चेतराम : मेरा एक निवेदन है…

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। और सवाल लेने हैं।

श्री चेतराम : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष : मुझको दिक्कत नहीं है लेकिन आपके ही सवाल हैं स्थगित सवाल, वह नहीं आयेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : जवाब भी पूरा नहीं आयेगा।

श्री चेतराम : आपका नियम है कि एस. टी. सी. के एडमिशन के लिए फार्म मांगे जायं, उसकी एक कापी यूनिवर्सिटी को भेजी जाय। आपके स्कूल हैं एस.टी.सी. के वह कॉपी यूनिवर्सिटी के पास न भेज कर अपने पास रख लेते हैं। इसका इनडाइरेक्टली लाभ उठाते हैं क्योंकि इतने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डीडेट नहीं मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि फार्म देने का मौका न देकर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को एडमिशन से वंचित रखा जाता है?

दूसरा मेरा निवेदन है, क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में एस. टी. सी. के फार्म दिये गये हैं वह नवम्बर में दे दिए

(श्री चेतराम)
गये और क्लासेज दिसम्बर में शुरू हुई हैं। इन छात्रों का पर्सेन्टेज किस प्रकार से पूरा किया जायगा, अध्ययन किस प्रकार पूरा होगा। क्या उन एस.टी.सी. के लड़कों के प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में जाना पड़ता है, उसके लिए मना कर दिया गया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतने सवाल याद नहीं रहेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : सोच कर जवाब देंगे।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : शिक्षा मंत्री ने सरक्यूलर जारी करके कृपा करके एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती थी वह बन्द कर दी है इस कारण जो लड़के बेरोजगार हैं वह ट्रेनिंग नहीं कर सकते ? क्या सरकार इसकी स्वीकृति फिर से देगी ?

हाजी श्री जान मोहम्मद खां (पिड़ावा): सदरे मोहतरिम,

श्री रामानन्द अग्रवाल : केपेसिटी से ज्यादा सवाल हो चुके हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : जिला झालावाड़ में स्कूल में लड़कों को एडमिशन नहीं दिया गया है....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गम्भीरता से उत्तर नहीं दे सकेंगे, इसलिए कृपा करके उत्तर देने दीजिये।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : यह काबिल मंत्री हैं। दे देंगे।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : लड़कों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया है, क्या यह सही है। इस कारण लड़के रोते फिरते हैं। क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मेरिट लिस्ट न बनाकर ग्रामीण लड़कों को प्रिफरेन्स दिया जाय, यह मुश्किल होगा क्योंकि टीचर का सिलेक्शन करते हैं उसके अन्दर मेरिट लिस्ट में ले लेना हितकर होगा....

श्री राजेन्द्र सिंह : गलत फर्मा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र सिंह : गलत फर्मा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिये। गलत है सही है, आप जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र सिंह : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लड़कों के लिए कहा था....

श्री शंकरसिंह रावत : ज्यादा प्रश्न पूछे हैं इसलिए गलत बताया है।

श्री खेतसिंह : सालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह राठौड़ी मेथड है।

श्री खेतसिंह : पर्सेन्टेज किस आधार पर निकाला है। यह जन संख्या के आधार पर निकाला है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, खैरवाड़ा ऐसा एरिया है जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहां 50 पर्सेन्ट

(श्री खेतसिंह)

रखा है। इस प्रकार उदयपुर में थोड़ी कम है तो थोड़ा कम पर्सेन्टेज रखा है। बाकी कुल मिला कर राजस्थान के अन्दर 17 पर्सेन्ट, 11 पर्सेन्ट, आपकी आबादी के अनुपात से रखा गया है। उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। रहा सवाल यह कि एक जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के ज्यादा हैं, इसके लिए हमने यह प्रावधान किया है, उन लड़कों को दूसरे जिलों में, जहां रिक्त स्थान हैं, वहां कब्जा कर लिया जाय। इसके लिए इसका प्रॉविजन है। अब रहा सवाल यह, इनको स्कालरशिप दी जा रही थी, वह बन्द क्यों कर दी गई। यह भारत सरकार से हमें दी जाती थी। हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं, वहां से पैसा मिल गया तो हम निश्चित रूप से देंगे। हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रॉविजन है नहीं...

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये।

श्री नाथूराम : जो लड़के बेरोजगार हैं, उनके लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगित प्रश्न रह जायेंगे, अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री विट्ठल भाई : कोई पढ़ने के लिए जाता है तो मां बाप के पास पैसा नहीं है। अब अगर भर्ती किया जाता है तो सरकार छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती है। इसके लिए कुछ सोचें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न !

श्री विट्ठल भाई : मंत्री महोदय को कुछ सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री जोगिया (कुशलगढ़) : छात्रवृत्ति के लिए स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री जोगिया : माननीय मंत्री जी, स्पष्ट उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब दिया नहीं है।

हाजी श्री जान मोहम्मद खां : झालावाड़ जिले का जवाब नहीं दिया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-1975)

सरकारी संस्थाओं में उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती भाषा की पढ़ाई

66. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(1) राजस्थान में किन किन सरकारी संस्थाओं में जहां उर्दू सिंधी, पंजाबी और गुजराती पढ़ाई जाती है? वर्गवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरकारी संस्थाओं में जहां उर्दू और सिंधी नहीं पढ़ाई जाती है वहां पर उर्दू और सिंधी, पढ़ाने वाले अध्यापकों का पोस्टिंग किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो अध्यापक सिंधी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती पढ़ाते आ रहे हैं और वे नॉन-ग्रेज्युएट हैं, उनको उन्हीं स्कूलों में लगाया जाय जहां इस भाषा की पढ़ाई कराई जाती है? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

(4) क्या राज्य सरकार इस आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां। उर्दू, सिन्धी विषय के उन्हीं अध्यापकों को अलग विद्यालय में पदस्थापित किया गया है जो इन विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय पढ़ाने में सक्षम हैं।

(3) जी हां। जो अध्यापक सिन्धी, पंजाबी, उर्दू आदि ऐच्छिक विषय लेकर परीक्षाएं पास करते हैं उन्हें सामान्य स्कूलों में भी लगाया जाता है किन्तु जो केवल इन्हीं विषयों में माध्यमिक या इससे ऊपर की समकक्ष परीक्षाएं पास हैं उन्हें भाषा अध्यापक के रूप में ही लगाया जाता है क्योंकि वे दूसरे विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इस नीति का पालन किया जा रहा है।

(4) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने पूछा था, जो नॉन-ग्रेजुएट जितने हैं, उनके बारे में फैसला लिया है, जिस लैंग्वेज में वे एक्सपर्ट हैं उसी लैंग्वेज में उस स्कूल में रखा जायगा? जवाब नहीं आया।

श्री खेतसिंह: प्रश्न के भाग 3 में जवाब दिया है, वह हिन्दी में दिया है। उर्दू में दूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: हिन्दी में दिया है, मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब हिन्दी में फिर दे दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: हम कब कहते हैं कि सिन्धी में जवाब दिया है।

श्री खेतसिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं जो उस भाषा के ही जानकार हैं, दूसरे विषय को नहीं पढ़ा सकते, उनको हमने उर्दू ही पढ़ाने के लिए लगाया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: उर्दू ही नहीं, सिंधी, पंजाबी, तीन चार हैं।

श्री खेतसिंह : चारों लेंग्वेज में। जो और विषय उसके अलावा भी पढ़ा सकते हैं उनको और विषय पढ़ाने के लिए लगाया है।

श्री किशन मोटवानी : क्वेश्चन विषय पढ़ाने का नहीं है, क्वेश्चन उस भाषा में पढ़ाने का है। मीडियम आफ टीचिंग।

एक माननीय सदस्य : यह है क्वेश्चन।

श्री केदार नाथ : यह नॉन–ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट में हैं, उर्दू में, सिन्धी में, उसी स्कूल में हैं तो वह भाषा पढ़ाने के लिए काम्पीटेंट हैं।

श्री खेतसिंह : मैंने कह दिया कि जिन स्कूलों में सिन्धी, उर्दू भाषाओं की क्लासेज होंगी वहां पर वही लोग उन क्लासेज को पढ़ायेंगे। खासतौर से नॉन–ग्रेजुएट हैं उनके लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 423। श्री रामानन्द अग्रवाल।

स्थगित प्रश्न

(12–3–75)

लालबहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर के हिसाब किताब की जांच

423. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय लालबहादुर शास्त्री कालेज की हिसाब संबंधी एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार ने जो जांच आयोग नियुक्त किये थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करदी है ? यदि हां, तो कब कृपया दोनों रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि हिसाब किताब संबंधी जांच में आयोग ने इस कालेज में धन के अनेकों प्रकार के दुरुपयोग जैसे 360 बोरी सीमेन्ट गायब कर देना बगैर नम्बर के ट्रैक्टर द्वारा ग्राउन्ड लेवलिंग दोहरा पेमेन्ट, झूठे वाउचर आदि के गम्भीर आरोप प्रमाण सहित सिद्ध किये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि हिसाब-किताब संबंधी जांच आयोग ने रिपोर्ट के साथ अपने पत्र में इस कालेज को दिया जाने वाला अनुदान तत्काल बन्द करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि दूसरे आयोग की रिपोर्ट में श्री कक्कड़ ने डाक्टर आनन्दस्वरूप सेठ को नौकरी से हटाने को प्रबन्ध समिति द्वारा डाक्टर सेठ का विक्टिमाईजेशन माना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने डॉ. सेठ को इस कालेज में री-इन्सटेट कराने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री कक्कड़ ने अपनी रिपोर्ट में 7 सितम्बर, 1973 को इस कालेज को चलाने वाली संस्था के मूल संविधान में किये गये संशोधन को अवैध माना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने

(श्री रामानंद अग्रवाल)
अवैध रूप से बनी इस प्रबन्ध समिति को अब तक भंग क्यों नहीं किया ?

(6) क्या यह सही है कि कालेज शिक्षकों के संगठनों रूगटा एवं रूटा ने भी अपने प्रतिवेदनों में राज्य सरकार का ध्यान इस कालेज की अनियमितताओं की ओर दिलाया है ?

(7) क्या यह सही है कि इस कालेज के आठ वर्षों में 20 से अधिक बर्खास्तगियां हो चुकी हैं जो कि अनियमित हैं ?

(8) क्या यह सही है कि इस कालेज के वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक श्री ललित किशोर पारीख को तीन वर्ष तक अस्थायी रूप से असुविधाजनक स्थिति में रखकर संदिग्ध स्थिति में कालेज छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा ? क्या उक्त प्राध्यापक ने राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन मार्च, 1974 में दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त प्राध्यापक का 2500 रुपयों का भुगतान अभी तक कालेज प्रबन्धकों ने किसी बहाने रोका हुआ है ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(9) क्या यह सही है कि कालेज के भूतपूर्व प्रिन्सीपल श्री द्रविड़ को भी इस कालेज से अनुचित रूप से हटाया गया और उनका भी भुगतान अभी तक पूरी तरह नहीं किया गया है ?

(10) क्या यह सही है कि इस कालेज में प्रिंसीपल के पद पर कोई व्यक्ति आज तक समुचित विज्ञापन के बाद चुन कर नहीं आ सका है ? क्या यह भी सही है कि इस पद पर अब तक वृद्ध या रिटायर्ड व्यक्ति ही नियुक्त होते रहे हैं ? क्या इसे राज्य सरकार नियमानुकूल मानती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। हिसाब–किताब सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन दिनांक 6-12-73 तथा श्री कक्कड़ आयोग का प्रतिवेदन 2-4-74 को प्राप्त हुए।

(2) जी हां, कई अनियमिततायें बताई गई हैं। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया है तथा निदेशक कालेज से भी कमेन्ट्स मांगे गये हैं। अब शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति से स्पष्टीकरण चाहा गया था। वह 26-1-75 को विभाग को प्राप्त हुआ है। शीघ्र इस पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) जी हां। पूरे मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(6) यह विभाग की जानकारी में नहीं है।

(7) ऐसी कोई जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं है।

(8) विभाग की जानकारी के अनुसार श्री पारीक ने दो वर्ष तक इस संस्था में कार्य किया। तत्पश्चात् 11 सितम्बर, 73 को त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने निदेशालय को अपना प्रतिवेदन 15 मार्च को दिया है जिसमें 2030) की राशि संस्था में बकाया बतायी है। इस सम्बन्ध में

Page No 24

(24)

(श्री खेतसिंह)
निदेशालय द्वारा संस्था से टिप्पणी मांगी गई है जो प्राप्त हो गयी है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(9) जी नहीं। संस्था ने उन्हें 60 वर्ष की सेवा अवधि तक का पूर्ण वेतन का भुगतान किया है साथ ही भविष्य निधि जो भी उनको देय थी का पूरा भुगतान संस्था द्वारा किया जा चुका है।

(10) श्री एम. जी. द्रविड के 1966 से 1971 के कार्यकाल के पश्चात् श्री महेश नारायण माथुर जो कि राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ में प्राचार्य के पद पर थे उनकी राज्य सरकार द्वारा प्राचार्य के पद पर लाल बहादुर शास्त्री, कालेज जयपुर में प्रतिनियुक्ति दिनांक 9-8-71 द्वारा की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने प्रश्न चार में जो उत्तर में बताया है कि प्रबन्ध समिति से स्पष्टीकरण 26-1-75 को प्राप्त हुआ क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में निदेशक ने यह सिफारिश की है कि श्री सेठ को रिइन्स्टेट किया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर, निदेशक की सिफारिश के बावजूद श्री सेठ की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? उनका यहां पर रिइन्स्टेटमेन्ट क्यों नहीं हुआ ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री सेठ के रिइन्स्टेटमेन्ट के लिये इस संस्था को बार बार प्रेशर डाला जा रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि श्री सेठ को वापिस लिया जाय। लेकिन यह संस्था बार बार कोई न कोई बहाना करके टाल रही है। कभी तो कहती है कि अगर हम श्री सेठ को वापिस ले लेंगे तो हमारे यहां का डिसीप्लिन बिगड़ जायेगा, कभी कहते हैं कि लड़के हड़ताल कर देंगे। लेकिन प्रश्नकर्ता को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर जल्दी ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्हें रिइन्स्टेट नहीं करने का क्या कारण है, अभी तक आपने आदेश प्रसारित क्यों नहीं किये ? क्या कर दिये हैं आदेश आपने ?

श्री खेतसिंह : अभी तक आदेश उस संस्था को नहीं दिया है हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अगर श्री सेठ को वापिस रिइन्स्टेट कर दिया तो हमारी कालेज का डिसीप्लिन बिगड़ जायेगा और यहां पर कालेज में झगड़ा होने का व यहां पर लड़के उसके विरोध में हड़ताल कर देंगे। लेकिन मैं इतना ही अभी निवेदन स्पष्टतया कर देना चाहता हूं कि अगर इस संस्था ने श्री सेठ को रिइन्स्टेट नहीं किया या उन्हें वापिस नहीं लिया तो राज्य सरकार इस संस्था की एड को बन्द कर देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सन् 1974 में कक्कड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी एक आई.ए.एस. केडर के सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि श्री सेठ को तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिये। इसके साथ–साथ जब निदेशक कालेज एज्युकेशन ने भी यही सिफारिश की तो फिर इस मामले में इतनी लहतलाली बरतने की क्या जरूरत थी ? डॉक्टर सेठ को फिर क्यों नहीं रिइन्स्टेट किया गया? वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बेचारा आज दो साल से बेरोजगार है। उनका विक्टीमाईजेशन किया जा रहा है। इस तरह उनको नौकरी में न लेने से टॉरचरिंग हो रहा है। आखिर उनके बाल-बच्चे बेचारे भूखे मरते होंगे। उनको परेशानी हो रही होगी आपने इस बारे में कोई ख्याल नहीं किया।

श्री खेतसिंह : हमें इसका ख्याल है। हम उन्हें वापिस लेने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस लाल बहादुर कालेज को राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन भी मान्यता देने में आनाकानी कर रही है?...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। उन्हें कब तक ले लिया जायेगा? इसके अलावा आखिर वह व्यक्ति या तो रिटायर हो जायेगा ...

श्री खेतसिंह : आप फिक्र नहीं करें उनके रिटायरमेन्ट में 30 साल बाकी हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह सही है कि...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि भार्गव कमेटी ने जिसने कि इस कालेज के फाईनेन्स के बारे में ऑडिट किया था उसमें काफी गम्भीर चार्जेज लगाये थे और उसने भी कक्कड़ कमेटी ने जो चार्जेज इसके लिए लगाये थे उनको स्वीकार किया तो इतनी भारी अनियमिततायें पाये जाने के बाद भी क्या राज्य सरकार इस कालेज को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेशन नहीं मिलने के कारण यहां पर मैनेजमेन्ट को डिजॉल्व करके एक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं नियुक्त कर देती है?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न के जवाब में सभी बातों का जवाब दिया है और उससे माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाना चाहिए। मैंने माना है कि वहां अनियमिततायें हुई हैं और यह भी माना है कि श्री सेठ का विक्टीमाईजेशन हुआ है, और उसके जवाब में मैंने यह भी कहा है कि उन्हें नौकरी में वापिस लेने के लिये जल्दी ही कार्यवाही की जा रही है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का सवाल है वह स्थिति अभी तक आयी नहीं है। अगर वहां की प्रबन्ध समिति इन अनियमितताओं को नहीं मिटाने का प्रयास करेगी तो उसके लिये भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन आप कब तक का समय मांगना चाहते हैं आखिर एक हफ्ता, दो हफ्ते या एक महीना, दो महीना?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय जो कक्कड़ कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें यह भी दर्शाया गया है कि इस संस्था में सारे के सारे तिवाड़ी जी के फेमिली के ही हैं। यहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा) पर जो टीचिंग स्टॉफ है उसमें सभी उनके भाई, भतीजे, बहू, वगैरह हैं। जैसे ललित तिवाड़ी भतीजा, रेखा तिवाड़ी बहू, राजेश्री भट्ट, भतीजी, घनश्याम दास भानजा, विष्णुप्रसाद पाठक दामाद और आदित्य शर्मा, उनका भानजा है। इसके अलावा और भी चार्जेज लगाये गये थे। इसके साथ-साथ में क्या यह भी सही है कि वहां का मैनेजमेन्ट ललित तिवाड़ी को योग्यता नहीं होते हुए भी, प्रिन्सीपल बनाने की योजना बना रही है? उन्हें अभी गैर कानूनी ढंग से वाईस-प्रिन्सीपल तो बना दिया है हालांकि उसे सरकार ने मान्यता नहीं दी है। मैनेजमेन्ट गवर्नमेन्ट को प्रेशराइज कर रहा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब भार्गव कमेटी ने और कक्कड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनियमितताओं का होना पाया है और आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हो सका है, इसके अलावा यहां पर जो मैनेजमेन्ट में अधिकारी हैं वह गवर्नमेन्ट को प्रेशराइज कर रहे हैं तो फिर उनके लिये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

(व्यवधान—प्रश्रव्य)

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि गवर्नमेन्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है, ऐसा होता तो इस प्रकार का जवाब नहीं देते, और जांच भी नहीं करवाते, और इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी, क्या यह सही है कि आपके द्वारा अक्टूबर, 74 में रिइन्स्टेट के ऑर्डर कर दिये गये थे।

श्री खेतसिंह : मैंने बताया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रयत्न किये गये हैं कि यह रिइन्स्टेट हो जाने चाहिए। जहां तक इसका सवाल है कि एक ही खानदान के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्वालिफाइड होने चाहिए।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही खानदान की ठेकेदारी है क्या?

श्री खेतसिंह : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो अनियमिततायें बताई हैं उसके लिए मैनेजमेन्ट को कह दिया गया है कि इसको दुरुस्ती कर ली जाय, वरना नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दो कमीशन तो मुकर्रर हो गये, माननीय मंत्रीजी दो साल से वह सबके घरों पर चक्कर काटता फिर रहा है। यही उत्तर आप दो साल से देते आ रहे हैं। रिइन्स्टेट के ऑर्डर किये उसको रोक दिया गया। आखिर कोई वजह तो हो उसकी। कक्कड़ कमेटी बैठायी, भार्गव कमेटी बैठायी और आप कितने कमीशन मुकर्रर करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आखिर कोई ऐसे ग्लेरिंग मामले केवल टॉक-आउट होकर ही रह जायं, मैं कहना चाहूंगा कि केवल देवीशंकर तिवाड़ी बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो सकते हैं लेकिन इस तरीके से....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भी तो देखना चाहिए कि आज इस संस्था ने जो काम किये हैं शिक्षा के क्षेत्र में, व अन्य संस्थाओं के लिए अनुकरणीय हैं।

श्री गुमानमल लोढा : यह तिवाड़ी काण्ड समाप्त हो जाय, यह जवाब तो माना ही चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आखिर कोई टाइम तो होना चाहिए। यही आश्वासन कितने वर्षों से बार-बार दे रहे हैं। एक आदमी को बर्खास्त कर दिया। यह भी साबित हो गया कि उसके साथ विक्टिमाइजेशन हुआ और फिर आप कहते चले आ रहे हैं कि पूछेंगे, वह प्रेशराइजेशन नहीं हुआ तो और क्या है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसको पांच दिन में, हफ्ते में, दस दिन में रिइन्स्टेट करा दें।

श्री फूलचन्द जैन : रिइन्स्टेट कैसे कर देंगे....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में सघन विद्युतिकरण योजना

709. **श्रीमती ऊषा प्रकाश (बैर):** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से कोई सघन विद्युतिकरण योजना बनाई है? यदि हां, तो किस वर्ष में योजना तैयार हुई?

(2) क्या उपरोक्त योजनान्तर्गत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(3) यदि सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है तो कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण किया जाना है? विद्युतिकरण होने वाले ग्रामों की संख्या बतायें।

(4) राजस्थान सरकार उक्त योजना की क्रियान्विति कब प्रारम्भ करेगी तथा कितने चरणों में यह योजना पूरी होगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1973-74 में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनूं व जयपुर जिलों में सघन विद्युतिकरण की योजनाओं का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किया जाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवश्यक धन राशि ऋण के रूप में देने के लिये भेजा गया था।

(विद्युत् मंत्री)

(2) इन योजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(3) जिलेवार ग्राम जो इन योजनाओं में सम्मिलित किये गये थे उनकी संख्या नीचे बताई गई है :

जयपुर	952
अलवर	834
भरतपुर	956
सवाई माधोपुर	693
सीकर	292
झुंझुनूं	253

(4) बैंकों से आवश्यक ऋण प्राप्त होने पर ही इन योजनाओं को कार्यान्वित कराया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिक्री कर की वसूली

417. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की दिसम्बर, 74 तक बिक्री कर की कुल कितनी धन राशि बकाया है? बकाया का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष कितनी राशि वसूल होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) माह सितम्बर, 1974 तक बिक्री-कर के अन्तर्गत राज्य सरकार की राशि रुपये 4,86,83,774 थी। वृत्तवार विवरण संलग्न है। (दिसम्बर, 74 तक की सूचना विभिन्न वृत्तों से संकलित की जा रही है)।

(2) इस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त बकाया राशि में से रुपये 1,03, लाख की राशि वसूल होने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

मुद्रा स्फीति को रोकने के उपाय

418. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं? तथा मंत्रि-मण्डलीय व प्रशासन में मितव्ययता के लिए क्या क्या कदम उठायें हैं? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(2) क्या इन पर अमल शुरू हो गया है? योजना मद व गैर योजना मद दोनों में ही स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मुद्रा स्फीति जिन उपायों के द्वारा रोकी जा सकती है वे उपाय मुख्यतया केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किये जा सकते हैं। राज्य सरकार मितव्ययता के कदम उठा कर मुद्रा स्फीति को रोकने में सहायक ही हो सकती है। इसके अनुरूप राज्य सरकार ने गैर योजना भिन्न मदों में मितव्ययता के निम्न उपाय किये हैं:—

1. नये पदों का सृजन न करना तथा जो पद 3 माह से अधिक अवधि से रिक्त हैं उनकी पूर्ति न किया जाना।

2. यात्रा व्यय में कमी।

Page No 29

(29)

(वित्त मंत्री)

3. राजस्थान के बाहर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और नये रिफ्रेशर कोर्स बन्द करना।

4. शिक्षा विभागीय व ट्रेनिंग कोर्स की यात्राएं व एक्सकरशन बन्द करना।

5. सेमीनार व विभागीय कान्फ्रेंस पर रोक तथा अल्पाहार के व्यय में कमी।

6. सरकारी गाड़ियों के प्रयोग में यथासंभव कमी।

7. मोटर गैराज के अलावा अन्य विभाग में गाड़ियां न खरीदना।

8. नया फर्नीचर, सजावट का सामान, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन तथा अनावर्तक किस्म की सामग्री न खरीदना।

9. टेलीफोन, बिजली, पोस्टेज, स्टेशनरी के खर्चों में कमी।

10. सरकारी भवनों की मरम्मत सफेदी पर रोक।

11. नये बिल्डिंग्स बनाने पर प्रतिबन्ध।

12. वन विभाग में पक्षी, पशु पिंजड़े आदि न खरीदना आदि।

(2) गैर योजना मद में मितव्ययता लाने हेतु जो उपरोक्त उपाय किये गये उनके आदेश 21-6-74 को ही प्रसारित हो गये थे और तभी से इन पर अमल होना शुरू हो गया है। आयोजना मद में किसी प्रकार की मितव्ययता या बचत के आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं क्योंकि इस मद में मुख्यतया जो व्यय होता है वह विकास कार्यों एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

मेडिकल बिलों का भुगतान

419. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों व राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सन् 1973-74 में कितना मेडिकल बिल उठाया गया? प्रत्येक विभाग के अनुसार इसके आंकड़े सदन के पटल पर रखे जायें।

(2) क्या राज्य सरकार मेडिकल भुगतान के सम्बन्ध में मासिक राशि निर्धारित करना चाहती है? यदि हां, तो कितनी राशि व कब तक?

उत्तर

(1) वांछित सूचना जिन विभागों से उपलब्ध हुई है वह संलग्न परिशिष्ट में अंकित है। अन्य विभागों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो प्राप्त होने पर भेज दी जायेगी।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

बाड़मेर और बालोतरा नगर से मनोरंजन कर की वसूली

420. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत तीन वित्तीय वर्षों में बाड़मेर जिले के बाड़मेर और बालोतरा नगर से मनो-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) रंजन कर के रूप में कितनी कितनी धन राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? सालाना आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पर्यटन विकास पर व्यय

421. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में पर्यटन विकास पर कितना धन व्यय किया है और विभिन्न मदों से कितनी कितनी आय हुई है ?

(2) भारत सरकार से इस दशक में कब कब कितनी कितनी राशि अनुदान, सहायता अथवा ऋण के रूप में प्राप्त हुई है ?

(3) जयपुर नगर में पर्यटन के विकास पर कितनी धनराशि किस किस कार्य पर अब तक व्यय की गई है ?

(4) जयपुर नगर में पर्यटकों के आवास विश्राम के लिए सस्ती और सुविधा पूर्ण व्यवस्थाएं कहां कहां पर हैं ? औसतन प्रति व्यक्ति क्या व्यय आता है ?

उत्तर

(1) पिछले एक दशक में पर्यटन विकास पर 1,82,34,000 रुपये व्यय किये गये। पर्यटक विश्रामगृहों के 15,43,674 रुपये व संचालित यात्रा भत्तों के 2,61,674 रुपये की आय हुई।

(2) भारत सरकार से इस दशक में कब-कब कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रारम्भ हुई इसकी सूची तालिका 'अ' पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में पर्यटन के विकास पर कितनी धन राशि और किस किस कार्य पर अब तक पर्यटन विभाग द्वारा व्यय की गई है इसकी सूची तालिका 'ख' पर संलग्न है।

(4) जयपुर नगर में पर्यटकों के आवास विकास के लिये सस्ती और सुविधापूर्ण व्यवस्था पर्यटक विश्रामगृह जयपुर में है और प्रति व्यक्ति डबल रूम 12) रुपये प्रतिदिन, डीलक्स रूम के 16) रुपये प्रतिदिन, सिंगल रूम 5) रुपये और डॉरमेरी बिना बिस्तरों के 3) रुपये और बिस्तरों सहित 4-50 रुपए प्रतिदिन का व्यय आता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंग नहर क्षेत्र में नये बाग

422. श्री गुरदयालसिंह संघु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगनहर क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से नये बाग मंजूर करवाने हेतु कितने और किन किन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और उनमें से कितनों को कब कब मंजूरी दी गई ? शेष पर अभी मंजूरी नहीं देने का क्या कारण है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री गुरुदयाल सिंह संधु)

(2) क्या यह सच है कि जो बाग नये मंजूर किये जाते हैं उनके मंजूर करने का कोई आधार नहीं है ?

(3) क्या यह सच है कि जी. बी. नहर व अन्य नहरों के बाग मंजूर कराने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन होने पर भी छज्जूसिंह पुत्र तारासिंह चक 32 जी. बी. तहसील अनूपगढ़ का करीब 13 बीघे बाग मु. नं. 47 में बिना किसी प्रार्थना-पत्र के और बिना किसी आधार के तारीख 8-11-74 को मंजूर किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों से गंगनहर क्षेत्र में नए बाग मंजूर करवाने हेतु विभिन्न काश्तकारों के 103 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा 2 को मंजूरी दी गई जिनकी सूची संलग्न है। शेष को स्वीकृत न करने के कारण अतिरिक्त पानी की उपलब्धि न होना अथवा मौके पर बाग नियमानुसार न होना है।

(2) जी नहीं नये बाग मंजूर करने का आधार है।

(3) जी, नहीं श्री छज्जूसिंह पुत्र तारासिंह चक 32 जी. बी. का मु. न. 47 में कोई बाग मंजूर नहीं किया गया है।

(4) चक 32 (जी. बी. मु. नं.) 47 में कोई बाग मंजूर न किए जाने के कारण जांच करवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

नदियों के पानी का उपयोग

423. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की नदियों के पानी का कितना प्रतिशत सिंचाई कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है ?

(2) उपयोग के बाद कुल कितना पानी है और उससे कितनी जमीन को सिंचित किया जा सकता है ?

(3) इस पानी के उपयोग के लिये सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य की नदियों का 27% पानी सिंचाई कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है।

(2) उपयोग के बाद सिंचाई के उपयोग योग्य 188 हजार मिलियन घन फुट पानी है जिससे 15 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

(3) उक्त 188 हजार मिलियन घन फुट पानी को उपयोग में लाने के लिये निम्न प्रकार प्रयास किये जा रहे हैं :-

(1) चालू योजनाओं की अनुमानित क्षमता 40

Page No 32

(32)

(श्री सिंचाई मंत्री)

2. तखमीना शुदा योजनाओं को अनुमानित क्षमता	22
3. सर्वेक्षण के अन्तर्गत योजनाओं की अनुमानित क्षमता	40
4. शेष जिनका सर्वेक्षण करना है उनकी अनुमानित क्षमता	86
	188

जवाजा पंचायत समिति के भोभादे बान्ध का निर्माण कार्य

424. श्री केशरीमल (ब्यावर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाजा पंचायत समिति में भोभादे बांध का निर्माण कार्य शुरू किया था ? यदि हां, तो कब यह कार्य कितने प्रतिशत पूरा किया गया ? इस पर अब तक कुल कितना पैसा खर्च हो चुका है ?

(2) उक्त योजना कितने रुपये की बनी थी ? इस योजना को बनाने वाले कौन कौन अधिकारी थे ? अब इस योजना को क्यों बन्द कर दिया ?

(3) क्या उक्त अधूरे कार्य को सरकार पूरा करायेगी ? यदि नहीं तो क्या इस आधार पर कि ये योजना लाभदायी नहीं है तो पहले किस आधार पर योजना को स्वीकार किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1970 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य शुरू किया गया था। 15 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। इस पर अब तक 2-75 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(2) इस योजना का उस समय की दर से तखमीना 10-53 लाख रुपये का बना था इस योजना को अकाल राहत कमेटी के सम्पूर्ण सदस्य जिनमें जिलाधीश, प्रधान विधान सभा सदस्य, उपजिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित किया था। योजना इस समय स्थगित है।

(3) यह योजना ब्यावर कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रस्तावित की गई थी और इस बांध से सिंचाई की कोई सम्भावना न होने के कारण इसका निर्माण कार्य जनस्वास्थ्य विभाग से संबंधित है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबूरोड़

425. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रा. उ. मा. विद्यालय आबूरोड़ का भवन गत वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था और अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है ? यदि हां, तो कब तक इस भवन की पूरी मरम्मत की जायेगी और इसकी क्या योजना है ? तथा बाढ़ से क्या क्षति हुई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबूरोड़ में कुल कितने कमरे हैं तथा किस

(श्री जेठमल आर्य)

साइज के हैं ? क्या ये छात्र संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो नए कमरे बनवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या योजना है ?

(3) वर्ष 73-74 में आई बाढ़ से सिरोही जिले के राजकीय भवनों को क्या क्षति हुई और किन किस भवन को मरम्मत करादी गई है ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि यह भवन अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गया था, पर यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है। इसका सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है।

(3) वर्ष 73-74 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों की सूची (अ) संलग्न है। भवन जो विभागीय मरम्मत सूची पर हैं, उन सभी की उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत करादी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)

जिला झालावाड़ के ओवरसियर का पेन्शन का मामला

426. श्री रामगोपाल (किशनगंज, कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री यशवन्त राय श्रीवास्तव ओवरसियर पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) की झालावाड़ में सन् 1970 से पेन्शन हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसका पेन्शन केस तैयार हो चुका है ? यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्री जसवन्तराय श्रीवास्तव अधिदर्शक पद से नहीं अपितु सर्वेयर पद से 21-9-70 को सेवा निवृत हुये हैं। इनका पेन्शन केस अभी तैयार नहीं है।

श्री जशवन्तराय श्रीवास्तव सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्पेशल स्टाफ के सदस्यों में से है। प्रारम्भ में राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ.15(336) पी.डब्ल्यू 162 दिनांक 24-6-64 द्वारा इनके लिये मोहर्रिर का पद 1-4-50 से 21-9-70 तक का स्वीकृत किया था, चूंकि उक्त श्रीवास्तव ने 1-10-56 से 21-9-70 तक की अवधि में सर्वेयर के पद पर कार्य किया था, अतः मोहर्रिर के पद से सर्वेयर के पद को स्वीकृति राज्य सरकार ने 22-4-74 को दे दी है। इनके वेतन निर्धारण के मामले 1-9-61, 1-4-66 तथा 1-9-68 के स्वीकृत होने तथा बकाया वेतन भुगतान होने पर पेन्शन केस तैयार हो सकेगा, वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान नहर परियोजना के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

427. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना आठवें खण्ड के उपखण्ड

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
ii के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध श्री विशनसिंह बेलदार ने जो कि जुलाई, 74 में चौकीदार का कार्य कर रहा था सीमेंट एवं कोयले की लाखों रुपये के गायब होने की कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही एवं निर्णय लिये गये ?

(2) क्या सरकार उक्त सहायक अभियन्ता के क्षेत्र में किये गये कार्यों की वास्तविक जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

(3) क्या वह चौकीदार आज भी उसी स्थान व पद पर कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

डीडवाना–रामगढ़ पचवारा सड़क का कार्य

428. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील (जयपुर) में डीडवाना–रामगढ़ पचवारा सड़क की स्वीकृति व ठेका स्वीकृत हुए काफी समय हो गया किन्तु अभी तक ठेकेदार को कार्य करने के आदेश प्राप्त नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक आदेश दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने के आदेश 27–2–75 को दे दिये हैं।

रानीवाड़ा ग्राम का विद्युतिकरण

429. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा तक 33 के. वी. विद्युत् लाइन का विस्तार किया जा चुका है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि रानीवाड़ा ग्राम का अभी तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जायगा तथा रानीवाड़ा ग्राम के आसपास कृषि कुओं पर पावर कनेक्शन कब तक दिए जा सकेंगे ?

(3) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा से आगे सांचोर तक 33 के. वी. विद्युत् लाइन का विस्तार अब तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो सांचोर तक उक्त विद्युत् लाइन का विस्तार कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, रानीवाड़ा तक 33 के. वी. लाइन को दिनांक 31-3-74 को चालू कर दिया गया है।

(2) रानीवाड़ा ग्राम को 23-9-74 को विद्युतिकृत कर दिया गया है तथा वहां बनने वाले डेयरी प्रोजेक्ट को कनेक्शन भी दिया जा चुका है। रेलवे क्रासिंग की अनुमति मिलने में देरी होने के कारण अभी तक इस 11 के. वी. लाइन को रानीवाड़ा

Page No 35

(35)

(श्री विद्युत् मंत्री)

गांव की आबादी तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बस्ती तक लाइन पहुंचा कर इस गांव के कृषि कुओं को बिजली दी जा सकेगी।

(3) जी हां। सिरोही से भीनमाल की 132 के.वी. लाइन पर कार्य चालू है। भीनमाल पर 132 के.वी. सब स्टेशन के चालू हो जाने पर ही भीनमाल-रानीवाड़ा लाइन को सांचौर तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र के बांध

430. **श्री रघुनाथ विश्नोई** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में पिछले सालों में कई लघु सिंचाई बांध डी.पी.ए.पी. एवं क्रेश कार्यक्रमों एवं अकाल राहत के अन्तर्गत बनाये गये थे? अगर हां, तो किस-किस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने बांध कब-कब बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त बांधों में से कितने बांध बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए एवं उनमें से कितनों की कब–कब मरम्मत करवाई गई एवं कितनों की मरम्मत करनी शेष है तथा उनकी मरम्मत कब तक करवा दी जायगी?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत निर्मित होने वाले बांध अभी तक अपूर्ण हैं? यदि हां, तो वे पूर्ण कब तक करवा दिये जायेंगे?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

फागी चाकसू तहसील में बांध

431. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी चाकसू तहसील में सिंचाई के कितने बांध हैं? इनमें से सन् 1975 में किस-किस बांध पर सरकार कितना कार्य कराने का विचार रखती है?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त पिछड़े हुए क्षेत्र में सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) फागी तहसील में 21 तथा चाकसू तहसील में 10 बांध हैं। उनमें से फागी तहसील के 18 तथा चाकसू तहसील के केवल 1 बांध की मरम्मत 1975 में कराई जा रही है कार्यवार प्रावधान की सूची संलग्न है अन्य बांधों की मरम्मत की अभी आवश्यकता नहीं हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में और अधिक सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न योजनाएं बनाई गई हैं:—

1. खेजड़ी बांध:—इसकी लागत 3.16 लाख रुपये तथा सिंचाई क्षमता 220 एकड़ अनुमानित हैं।

(श्री सिंचाई मंत्री)

2. गोकुलपुरा बांध :—इसकी लागत 4.5 लाख रुपया तथा सिंचाई क्षमता 400 एकड़ अनुमानित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्

432. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् ने 1 अप्रेल, 1974 से अब तक किन किन संस्थाओं को अनुदान दिया है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 अप्रेल, 1974 से अब तक परिषद् ने राज्य के सर्वोच्च खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु माहवारी या अनुदान के रूप में किन किन खिलाड़ियों को रुपया दिया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने 1 अप्रेल, 1974 से किन किन पत्रों को विज्ञापन दिया तथा विज्ञापनों की क्या राशि थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

दो शिफ्टों में चलने वाली शालायें

433. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कहां कहां दो शिफ्टों में छात्र-छात्राओं की माध्यमिक, प्राथमिक शालायें एक ही भवन में चल रही हैं? उनके नाम छात्र-छात्राओं की संख्या, शिक्षक-शिक्षिकाओं की संख्या और स्कूल लगने का समय आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें? क्या यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार है या नहीं? क्या इससे समय और श्रम का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? यदि हां, तो विभाग क्या कदम उठा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि जिन नगरों में दो शिफ्टों में माध्यमिक, प्राथमिक शालायें (छात्र-छात्राओं की) एक साथ चल रही हैं में अधिकांश में ऐच्छिक विषय के टीचर्स विभाग देने में असमर्थ रहा है और वहां ऐच्छिक विषय के टीचर्स के स्थान पर अनुपयोगी टीचर्स लगा रखे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह छात्र-छात्राओं के हित में है?

(3) क्या यह सही है कि दो शिफ्ट वाली शालाओं में टीचर्स कम समय पढ़ाने का दायित्व निभाते हैं और वे अधिक समय अन्य कामों में लगाते हैं इसका प्रभाव अन्य स्कूलों के टीचर्स पर भी पड़ता है? यदि हां, तो कम समय काम लेकर पूरे समय का वेतन क्यों दिया जा रहा है?

(4) दो शिफ्ट वाले स्कूलों में बोर्ड के परिणाम अच्छे बनाने के लिए टीचर्स की संख्या अधिक होते हुए भी किन किन छात्र और छात्राओं की शालाओं में एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर बाहरी शिक्षकों को पढ़ाने को लगाया जाता है और छात्र-छात्राओं से प्रति

(श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल)
माह प्रति विषय विशेष शुल्क लिया जा रहा है ? उन छात्र छात्राओं के स्कूलों के नाम बताइए और यह परम्परा सभी स्कूलों में क्यों नहीं चलाई जा रही है ? यह भेदभाव क्यों ?

(स्थगित किया गया)

गंगापुर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में सामान की खरीद

434. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)-क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगापुर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय गंगापुर सिटी में जून, 1973 से मार्च, 1970 तक लोकल फंड और शासकीय बजट में से किन किन वस्तुओं की खरीद की गई ? क्या यह खरीद नियमानुसार की वाउचर नम्बर फर्म के नाम, और किन के द्वारा खरीदी गई और उनका पेमेन्ट किन के द्वारा किस प्रकार किया गया पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें । क्या यह सही है कि खरीदी गई वस्तुओं को पेमेन्ट कर्ता स्वयं खरीद कर लाया और उसका पेमेन्ट भी स्वयं ने किया और बाद में सरकारी बजट और लोकल फण्ड से पेमेन्ट उठाया ?

(2) क्या यह सही है कि बैंक ड्राफ्ट बनवाने के बाद उन्हें पुन: केश कराकर पार्टी को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या विभाग मे उसकी जांच की है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि जो अधिकारी स्वयं सामान खरीदकर दूर नगरों से लाया उसने उपस्थिति रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी कर दिये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में खरीदा गया सामान शाला के लिए अनुपयोगी था, और खरीद करने वाले अधिकारी ने जहां भी रहा वहां अनुपयोगी सामान खरीदकर धन का दुरुपयोग किया ?

(5) क्या यह सही है कि हिण्डोन राजकीय माध्यमिक विद्यालय की आडिट रिपोर्ट (विभागीय व ए.जी.) दोनों में थी उक्त बातों का उल्लेख है ? यदि हां, तो विभाग से क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

प्रधानाध्यापिका, राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय शाहपुरा का स्थानान्तरण

435. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीमती चन्द्रा माथुर प्रधानाध्यापिका राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) की प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति कब हुई और उसके बाद उनके स्थानान्तरण आदेश कहां कहां के कब हुए और उन्होंने उन पदों पर कब कब किन-किन दिनांकों को ज्वाइन किया और कितने रुपये का यात्रा भत्ता बिल दिया ? प्रत्येक यात्रा भत्ते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर

Page No 38

(38)

(श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल)
लगेज रसीद की प्रति सहित रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि इन्होंने नदबई राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में कार्यभार नहीं सम्भाला और वहां का टी. ए. बिल बनाकर उठा लिया? यदि हां, तो कितने रुपये का? इन्होंने किस वाहन से स्वयं यात्रा की कौन से ट्रक नं. से लगेज कब गंगापुर भेजा और ट्रक वाले को किस दिनांक को पेमेन्ट किया, और ये स्वयं गंगापुर कब पहुंची?

(3) क्या यह सच है कि बिना जांच अथवा अधूरी जांच के बाद ही इन्हें निदेशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर ने वारनिंग देकर मामला समाप्त कर दिया? यदि हां, तो कब, और क्यों?

(4) अब उक्त मामले की जांच कौन कर रहा है और उनकी रिपोर्ट क्या है और इस मामले को दबाने के लिये कौन अधिकारी सक्रिय हैं? या नहीं तो निष्पक्ष जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी?

उत्तर

(1) श्रीमती चन्द्रा माथुर की पदोन्नति प्रधानाध्यापिका के पद पर दिनांक 15-10-75 को हुई। उन्होंने दिनांक 17-10-70 को धौलपुर में कार्यभार ग्रहण किया उसके उपरान्त उनके स्थानान्तरण आदि की स्थिति नियमानुसार है:–

आदेश तिथि	कहां से	कहां को	नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	19-7-71	धौलपुर	गंगापुर सिटी	26-7-71
2.	27-7-71	गंगापुर सिटी	नदबई	कार्यग्रहण नहीं किया।
3.	23-9-71	नदबई	गंगापुर सिटी	2-10-71
4.	2-7-73	गंगापुर सिटी	शाहपुरा	13-7-73

यात्रा बिलों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। रुपया 232.05। गंगापुर में 2-10-71 को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बस द्वारा यात्रा की और किराया रेल का लिया व सादे कागज पर लगेज की रसीदें बनाई गयी हैं।

(3) जी नहीं। बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर को निदेशालय के पत्र संख्या स्टेनो/वले/14/1972, दिनांक 24-4-73 के द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु लिखा गया।

(4) मामले की जांच सहायक लेखाधिकारी कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, अजमेर के द्वारा कराई गई थी और अब बालिका विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर को आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्या भवन सोसायटी उदयपुर को अनुदान

436. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर को अब तक कब कब किस किस से और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
कितना कितना अनुदान प्राप्त हुआ और उनका कब कब कहां कहां किन नियमों और आधारों पर किस के आदेश से उपयोग किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था को दिये गये अनुदान की राशि में से बड़ी राशि कई बार लैप्स कर दी गई है ? यदि हां, तो अब तक किस किस को कितनी कितनी स्वीकृत अनुदान की राशि किन किन की लापरवाही से नहीं उठाई गई ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को कई बार कई माह तक का वेतन आदि नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

विद्या भवन टीचर्स कालेज उदयपुर के लेक्चरर्स के विरुद्ध शिकायतें

437. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि एक ही व्यक्ति विद्या भवन हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक, विद्या भवन टीचर्स कालेज में लेक्चरार व प्रसार विभाग का संयोजक के पदों पर कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत किसके आदेश से और कब से कार्य कर रहा है ? और किस किस संस्था से कितना कितना रुपया उठाता है और उस पर कितनी आय कर दे रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट में श्री डी. मेकेफरलैण्ड कार्य करते थे ? यदि हां, तो कब से कब तक कार्य किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री डी. मेकेफरलेण्ड को सेवा से निकाला गया ? यदि हां, तो किन आधारों और नियमों के अन्तर्गत ?

(4) क्या यह सही है कि श्री स्वरूप सिंह दसोधी का रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर में लेक्चरर पद से निलम्बन किया गया ? यदि हां, तो क्यों, किन नियमों के व आधारों के अन्तर्गत और कब किया ? आरोपों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री दसोधी, लेक्चरर के विरुद्ध अभी तक जांच समिति नहीं बैठाई गई और निलम्बन भत्ता भी उक्त व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त व्यक्ति को कब तक निलम्बन भत्ता दिलवाया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अपने कोआर्डिनेटर प्रसार विभाग के कार्य के अलावा स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर डा. फाटक इस समय कार्य कर रहे हैं। विद्या-भवन कार्यकारिणी के निर्णय पर जो कि ऐसी नियुक्तियां नियमानुसार करने में सक्षम है अध्यक्ष विद्या भवन ने अस्थायी

(श्री शिक्षा मंत्री)

तौर पर 2–1–75 से डा. फाटक को दो स्थानों पर कार्यभार सम्भालने का आदेश दिया है। यह प्रबन्ध तब तक रहेगा जब तक कि प्रिंसीपल की विद्या भवन के रिक्त स्थान पर कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती। जिसके लिए आवश्यक कदम उठा लिए गये हैं। डा. फाटक को अतिरिक्त कार्यभार उठाने का मुआवजा देने के फलस्वरूप उनको 640) के वेतन पर 120) रु. प्रतिमाह का अधिक भत्ता मिलता है। डा. फाटक के वेतन में से प्रतिमाह 42)रु. आयकर की कटौती की जा रही है। श्री फाटक को अपना मूल वेतन टीचर्स कालेज से व अधिक भत्ता विद्या भवन के स्कूल के बजट से मिलता है।

(2) जी हां। उनकी नियुक्ति सन् 1968 में हुई थी और वे अभी वहीं कार्य कर रहे हैं।

(3) जी हां। श्री मैंकफरलैण्ड को 3 जनवरी 75 को 3 महीने का नोटिस वेतन (नोटिस पे) देकर सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। सन् 1972–73 में निदेशक, कालेज शिक्षा विभाग ने उनका पूर्ण वेतन इस आधार पर अमान्य कर दिया कि अंग्रेजी विषय में 2 प्राध्यापकों का पूरा काम नहीं है। अंग्रेजी केवल प्रथम वर्ष में ही पढ़ाई जाती है। जब से उनके वेतन के अमान्य होने की सूचना निदेशक महोदय द्वारा दी गई संस्था उस कटौती को मान्य कराने हेतु बराबर लिखा पढ़ी कर रही थी किन्तु निदेशकजी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब 3–1–75 तक नहीं मिला। इस साल छात्रों की संख्या प्रथम वर्ष में 72–73 से भी कम होने से दोनों ही प्राध्यापकों के पास उस वर्ष से भी कम काम रह गया था अतः उन्हें सेवा मुक्त करने के आदेश दिये गये। अब चूंकि निदेशक महोदय ने जून, 75 तक उनका वेतन देना स्वीकार कर लिया है तब से उन्हें फिर नियुक्त कर लिया गया है।

(4) जी हां, श्री दसोन्धी को सामान्य सेवा नियमों के आधार पर 1 अक्टूबर 74 से निलम्बित किया गया है। उन पर wilful neglect of duty, his conduct एवं disobedience के आरोप हैं। प्रतिलिपि देने की आवश्यकता नहीं है।

(5) जी नहीं। जांच समिति जुलाई 12, 1974 को नियुक्त करदी गई थी और उसने श्री दसोन्धी को अपनी सफाई देने के लिए चार मौके दिये। किन्तु वे मुख्य बिन्दु को टालते रहे और उनका जवाब नहीं दिया। बाद में जांच समिति ने यह राय दी कि उन्हें पुनः रिवाइज्ड चार्ज शीट दिया जाय उसके आधार पर 1-1-75 को दुबारा चार्जशीट दे दिया गया है और उसकी जांच जारी है। विद्या भवन सोसायटी के नियमानुसार उन्हें 1।4 निलम्बन भत्ता मिलना चाहिये। किन्तु उनकी आर्थिक कठिनाई को देखते हुए अध्यक्ष महोदय वि. सोसायटी ने उन्हें 1।2 भत्ता देने की आज्ञा प्रदान की हैं। श्री दसोन्धी ने यह भत्ता उन्हें बार बार सूचित करने पर भी अब तक नहीं लिया है।

राज्य में स्कूल

438. श्री शिवनारायण (बांरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री शिवनारायण)

(1) गत वर्ष राजस्थान में कितने प्राइमरी, मिडिल स्कूल व सैकेण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल कहां कहां खोले गये ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वर्ष भी मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

(3) यदि हां, तो कितने, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) जी हां ।

(3) वर्ष 1975-76 में 125 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा । 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोवास (फुलेरा) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति

439. श्री सूरजाराम (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोवास तहसील फुलेरा जिला जयपुर में पार्ट-टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद को भरने के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आये । कृपया नाम व जाति तथा योग्यता सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त उम्मीदवारों को चुनने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी ? तथा उम्मीदवारों की इन्टरव्यू के समय कुछ व्यक्तियों ने योग्य व्यक्ति की सिफारिश की थी जो कि एक अनुसूचित जाति का था ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को क्यों नहीं लिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां (अ) रा. उ. प्रा. वि. बोवास में दिनांक 19-10-73 को श्री हनुमान शर्मा को पार्ट-टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था । श्री शर्मा को दिनांक 21-8-74 तक नियुक्त किया गया था अतः इसके बाद इनकी नियुक्ति समाप्त हो गई थी (ब) इसके बाद दिनांक 1-3-75 को श्री नाथूसिंह को पार्ट-टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया है ।

(2) (अ) जब श्री हनुमान शर्मा को नियुक्ति की गई थी उस समय किसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे ।

(ब) जब श्री नाथूसिंह को नियुक्त किया गया था उस समय प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे । प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-2-75 को ग्राम सूचना द्वारा जो ग्राम के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर दी गई थी, आमन्त्रित किये गये थे ।

(श्री शिक्षा मंत्री)

तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 27-2-75 को प्रातः 10-30 बजे रखी गई थी। दिनांक 27-2-75 तक दो उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उनके नाम, योग्यता एवं जाति इस प्रकार है :—

नाम	जाति	योग्यता
श्री नाथूसिंह	राजपूत	तीसरी कक्षा में पढ़ता हुआ पढ़ाई छोड़ दी।
श्री बिरजू	मीणा	योग्यता का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिखाया।

(ब) दिनांक 28-2-75 को श्री बद्री नारायण रैगर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिनकी योग्यता सैकेण्डरी परीक्षा फेल है।

(3) (अ) जब श्री हनुमान शर्मा को नियुक्त किया गया तो किसी भी प्रकार की कमेटी नियुक्त नहीं की गई थी।

(ब) जब श्री नाथूसिंह को नियुक्त किया गया था तो एक कमेटी नियुक्त की गई थी। नियुक्ति का कार्य कमेटी ही कर रही थी तथा कमेटी के बहुमत के निर्णय के अनुसार ही श्री नाथूसिंह को नियुक्त किया गया था।

(स) नियुक्ति कमेटी में एक सदस्य ग्राम संसद का अध्यक्ष भी था, जिसने श्री बद्री नारायण रैगर के प्रार्थना-पत्र पर विचार करने हेतु अनुरोध किया। परन्तु चूंकि श्री रैगर का प्रार्थना-पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ था अतः कमेटी ने इस प्रार्थना-पत्र पर किसी तरह का विचार नहीं किया।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

440. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री खेतसिंह राठौड़ के शिक्षा मंत्री बनने के बाद राज्य सरकार के आदेश से और निदेशक, शिक्षा विभाग राजस्थान के आदेश से कितने कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ?

(2) शिक्षा अधिकारियों द्वारा 30 सितम्बर, 1974 के बाद कितने अध्यापकों के और राज्य सरकार द्वारा कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(स्थगित किया गया)

विधान सभा प्रश्नों पर व्यय

441. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर औसतन कितना व्यय आता है ?

(2) समय पर सूचना न भेजने वाले सरकारी अधिकारियों पर क्या कोई दण्ड देने की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) उत्तर देना सम्भव नहीं है।

Page No 43

(43)

(श्री विधि मंत्री)

(2) राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में प्रावधान है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

1. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, माली राम, गुमानमल लोढा, अजीतसिंह व गोरधनसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 21 मार्च को गंगानगर से जयपुर आने वाली रेल में ढीकर व रींगस रेल्वे स्टेशनों पर यात्रियों ने भारी मात्रा में लूट खसोट की, इस विषय में,

2. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 20 मार्च को अलवर स्टेशन पर कुछ छात्रों व समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष श्री हरिशंकर गोयल को साम्यवादियों द्वारा पिटाई के विषय में,

3. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित कुछ कारखानों पर नाजायज कब्जा किये जाने के विषय में,

4. श्री बेगाराम चौहान, सदस्य विधानसभा की ओर से तहसील रायसिंह नगर के नजदीक ग्राम संग्राना में पड़े डाके के विषय में,

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर में होने वाले हरिजन किसान सम्मेलन के नाम पर गंगानगर की विभिन्न मंडियों से भारी धनराशि एकत्रित किये जाने के विषय में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

6. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से कामा कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पर्याप्त न होने के विषय में। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और जलदाय विभाग की मांगों पर हाल ही में सदन में बहस हो चुकी है।

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में विशेषकर जयपुर शहर में फरवरी और मार्च माह की चीनी राशन में न मिलने के विषय में,

8. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय महाविद्यालय, दौसा को क्रमोन्नत न करने के विषय में,

9. श्री जीविग व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र की ग्रामीण जनता को जलाऊ लकड़ी की रियायती पास न मिलने के विषय में,

ये प्रश्न भी लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इनको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

Page No 44

(८७)

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामां में बिजली होते हुए भी चार दिन में पानी बन्द हो जायगा, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा हर वर्ष होता है, अध्यक्ष महोदय, अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हो पायी हैं और पानी की सप्लाई बन्द होना शुरू हो गई है। कभी मोटर खराब हो जाती है, कभी बिजली बन्द है और कभी कहते हैं कि कुओं का पानी सूख गया है। जो कुए कामां कस्बे में बनाये जाने थे, वे आज तक नहीं बनाये गये हैं और एक कुआ बनाया गया था वह बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसमें भी पानी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह बाद अप्रेल के महिने से जून तक कामां कस्बे में पानी की सप्लाई नहीं होगी और यही स्थिति सारे भरतपुर जिले की है। वहां पर भरतपुर शहर के लिए 12 महीने पानी मिल सके इसके लिए नहर निकाली गई है, लेकिन विभागों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, सिंचाई विभाग ने पानी रोक दिया। वहां पर दंगे होंगे, फजीते होंगे और सरकार कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि पानी की सप्लाई के लिए वहां के कर्मचारियों को सावधान कर देना चाहिए, वे वहां पर सोते रहते हैं, समय पर मोटर नहीं खोलते हैं, बिजली चली जाती है, तब मोटर खोलते हैं। कामां में पानी की बहुत समस्या है, वहां पर एक ही कुआ है, उसमें भी पानी सूखता जा रहा है और कामां में जल संकट बढ़ता जा रहा है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, इस पर ध्यान देवें। इसके अलावा मान्यवर, अलवर के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव····

श्री अध्यक्ष : यह आपका विषय नहीं है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, युवजन सभा के अध्यक्ष श्री हरिशंकरजी गोयल को साम्यवादी पार्टी के लोगों द्वारा मारा गया। मेरी समझ में यह बात तो आती है कि साम्यवादी लोग काश्तकार और मजदूरों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, मुख्य मन्त्री से लड़ते हैं और सरकार से उनके लिए लड़ाई करते हैं, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने का विरोध करते हैं, इन सब बातों के लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं, वे पूंजीपतियों से भी लड़ते हैं, इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन इस बात की निन्दा करता हूं कि एक समाजवादी कार्यकर्ता, जो बहुत ही नम्र है और हमेशा हाथ बांधकर रहता है मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि वह एक निष्पक्ष और ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता हैं उनकी जो पिटाई की गई और उनका जो अपमान किया गया उसके लिए मैं उनकी निन्दा करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार आदेश देवे।

श्री अध्यक्ष : श्री हाडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका सीधा राज्य सरकार से संबंध है और राज्य सरकार से ही नहीं, राज्य के कुछ मन्त्रियों से, मुख्य मन्त्री महोदय से उसका व्यक्तिगत सम्बन्ध है। एक इश्तिहार बीस दिन पहले जारी हुआ, राय-सिंहनगर में विराट किसान हरिजन सम्मे-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मन यह किसी की ओर से नहीं है, न हरिजन सेवक संघ की ओर से है। उसमें कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी की अध्यक्षता में एक विराट किसान हरिजन सम्मेलन हो रहा है जिसका श्रद्धेय श्री जगजीवन राम उद्घाटन करेंगे, माननीय देवपुरा, शिवचरण माथुर, राम नारायण चौधरी पधारेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ कहना है, संक्षेप में कह दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बनवारीलाल, जेल मंत्री, मुंशीलाल महावर, पंजाब के गुरबख्ता सिंह और पंजाब के शिक्षा मंत्री पधारेंगे। उसमें यह घोषणा की गई है कि अनेक संसद सदस्य और विधायक भी पधारेंगे और श्रद्धेय जगजीवन राम अपने हाथों से पट्टे भूमिहीन किसानों को पक्की एलॉटमेंट के देंगे। अध्यक्ष महोदय, लगातार 20 दिन से इस संबंध में प्रचार हो रहा है, हजारों रुपये चंदे के इकट्ठे किये गये, नगरपालिका रायसिंहनगर से 2000) रु. वसूल किये गए हैं, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई बंद की गई और स्वागत के लिए गीत सिखाए गए और सारी की सारी ऑफिशियल मशीनरी जुट गई। मंत्रियों के नाम पर, मुख्य मंत्री के नाम पर, सिंचाई मंत्री के नाम पर, स्वायत्त शासन मंत्री के नाम पर और श्रद्धेय जगजीवन रामजी के नाम पर लाखों रुपये एकत्रित करने की जरूरत पड़ी और आश्चर्य की बात है कि 18 तारीख को जब हरिजन लोग काम छोड़कर, सरसों की कटाई छोड़कर रायसिंहनगर में एकत्रित हो गए तो इस इश्तहार में बताए गए स्वागत अध्यक्ष चौधरी रामचन्द्र गायब थे और केवल पन्ना लाल, बारुपाल संसद सदस्य थे और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने भी कहा...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पन्नालाल बारूपाल का यह स्टेटमेंट था कि उनको कोई पता नहीं है कि जगजीवनरामजी आ रहे हैं या नहीं। पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि उनको कोई पता नहीं कि मुख्य मंत्री आ रहे हैं या नहीं, उनको मन्त्रियों का पता नहीं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि झूंठ बोला गया है और नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनको कोई सूचना जिला कांग्रेस कमेटी से नहीं है। यह, मैं समझता हूं, पिछले अनेक वर्षों में मंत्रियों के नाम पर, केन्द्रीय मन्त्रियों के नाम पर किया गया बहुत बड़ा स्केंडल है। इससे राज्य के सभी मन्त्रियों और मुख्यमन्त्री की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है, साथ-साथ विधायकों और संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा को भी। इसमें लिखा है कि अनेक एम. एल. ए. हैं और स्वयं इश्तहार निकालने वाले चौधरी रामचन्द्र सदन के सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का स्केंडल मंत्रियों के नाम पर बोला देने और अधिकारियों पर एक प्रेशर लाना, कहां तक उचित है? वहां पर मुल्क राज पिछले एक महीने से अधिकारियों को प्रेशराइज कर रहे हैं इस नाम पर कि मैं हर प्रकार का काम मुख्य मन्त्री से करवा सकता हूं उनके नाम का उपयोग करके लाखों रुपये की राशि जनता से एकत्रित की गई है, इतनी बड़ी जालसाजी, मैं चेलेंज करता हूं कि,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मन्त्रियों के नाम पर की गई है। राज्य सरकार अपना स्टेटमेंट दे, मुख्य मन्त्री अपनी स्थिति स्पष्ट करे, सिंचाई मन्त्री, श्रेष मन्त्री अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निमन्त्रण-पत्र मैं लाया हूं जो तीनों नामों से जारी किया गया है। इसके साथ हजारों रुपये की मिठाई बनाने का टेका हलवाइयों को दिया गया है, मेरे पास प्रवेश-पत्र भी है, नगर कांग्रेस अध्यक्ष का साइन्ड स्टेटमेंट मेरे पास है कि उनको कोई जानकारी इस बात की नहीं है जो कि वहां पर हाईएस्ट ऑथोरिटी थे और जिस प्रकार का इश्तहार है इसमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, न हरिजन सेवक संघ, न कांग्रेस की तरफ से, न जनसंघ की तरफ से, न सी.आई.पी. की तरफ से····

श्री अध्यक्ष : यह दी हुई सुविधा का दुरुपयोग है, जो नहीं होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप राज्य सरकार से कहें क्योंकि इसमें सारे विधायकों की प्रतिष्ठा इन्वाल्वड है, मंत्रियों की प्रतिष्ठा इन्वाल्वड है, अतः आप सरकार से कहें कि वह अपना स्टेटमेंट दे।

श्री बेगाराम (रायसिंह नगर): अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य···

श्री अध्यक्ष : आप भी उसी स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ? आप विराजिए। मैं यह बढ़ती हुई प्रवृत्ति माननीय सदस्यों में देख रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य का है, उसमें अगर किसी दल का प्रश्न आता है तो आमतौर से सपोर्ट करने के लिए या बोलने के लिये दलों के नेताओं को ही अलाउ करता हूं कि अपना दृष्टिकोण रखें, मुझे इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। अपने स्थगन प्रस्ताव पर जो कहते हैं, मैं उसको अलाउ करता हूं। इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला इस तरीके का है कि वहां एकदम से चीटिंग और फोर्जरी है क्योंकि इस सदन के एक माननीय सदस्य खुद इस मिटिंग को बुलाने वाले उनके अध्यक्ष हैं, तो इस सदन की प्रतिष्ठा का सवाल उपस्थित होता है। इसलिए प्रतिष्ठा का प्रस्ताव तो सदन में तब आएगा जब सही तथ्य सरकार की ओर से आयेंगे। अगर य सही है तो वास्तव में फोर्जरी है। इस तरीके से जाने का प्रोग्राम नहीं था केवल पैसा ही इकट्ठा करने के लिए यह काम किया गया है, तो न केवल यह कानूनन दंडनीय है बल्कि इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा यह कार्य करने के लिए इस सदन का जूरिस्डिक्शन बन जाएगा। तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप बोल रहे हैं यह स्थगन प्रस्ताव की मर्यादा में बोल रहे हैं तो उसके अन्दर ही कहना पड़ेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें हम लोग भी इन्वाल्वड हैं इसमें लिखा है कि कई विधायक आ रहे हैं····

श्री बेगाराम : रायसिंहनगर के नजदीक गांव सगराना में डाका पड़ा, इस बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रामकिशन : आप रायसिंहनगर वाले विषय पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है। माननीय हांडा ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा, उस पर आपने व्यवस्था दी है वह तो ठीक है। आप जानते हैं कि विरोधी दल के सदस्य आम तौर पर किसी स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं लेकिन जिस प्रकार का सवाल आया है, इसमें 3-4 सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल है कि मंत्रीमंडल के सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जब जनता पैसा देती है तो वह समझती है कि कोई प्रभावशाली आदमी आ रहा है; तो मैं जानकारी चाहूंगा कि जिन-जिन मंत्रियों के नाम जुड़े हुए हैं, क्या उनकी सहमति प्राप्त की गई थी ? दूसरी बात माननीय जगजीवनराम के आने का बाद में प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो तो कोई बात नहीं लेकिन क्या प्रोग्राम रखा गया था ? अगर ऐसा नहीं है, तो साफतौर पर धोखे का मामला है। जगजीवनराम, मंत्रियों और विधायकों के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया है वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के लिए और देश में जिस तरह का वातावरण है उसके लिए भी यह आवश्यक होगा कि आप इस सम्बन्ध में विचार करें। सरकार को चाहिए कि इस मामले में जो-जो भी इन्वोल्व्ड हैं उनके विरुद्ध केस रजिस्टर करावें। सरकार को इसके प्रति सख्ती का रुख लेना चाहिए। अन्यथा विधायकों, लोकसभा के मेम्बरों, और मंत्री मण्डल के सदस्यों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है, ऐसे प्रश्नों पर गम्भीर रुख अख्तियार किया जाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, कानपुर में भी सुभाष बाबू का नाम लेकर इसी प्रकार से एक लम्बा चौड़ा आयोजन किया गया था और उसका यह परिणाम हुआ कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी किस्म का यह मामला। इसी किस्म का फ्राड किया गया है, गांव वालों को इन्वाइट किया गया था। माननीय मंत्री महोदय को इस पर चिन्तित होना चाहिए। हम भी चिन्तित हैं। सदन के सामने जो फ्राड आया है उसको कान्सीजेन्स ट्रेजरी बेन्चेज को करना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा आरोप है। माननीय श्री रामचन्द्रजी चौधरी का नाम है, माननीय श्री हीरालालजी देवपुरा का नाम है और भूतपूर्व विधायक और मंत्री श्री मुलकराज सिन्ह का नाम है। यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। साथ ही साथ कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। दूसरे व्यक्ति भी हैं। निश्चित रूप से जनता के सामने बड़े-बड़े लोगों का नाम लेकर चन्दा उगाने का उनके विरुद्ध आरोप है यह कितना सही है यह मुझे नहीं मालूम है ? सदन के अन्दर यह आया है तो यह कांग्रेस का ही प्रश्न नहीं है। सदन की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिन व्यक्तियों का नाम आया है वे सभी विधायक हैं और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मंत्री भी रह चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी पर ही कलंक नहीं है किन्तु कांग्रेस के मंत्रीमंडल पर भी यह कालिख है और जनता के अन्दर जो इसको लेकर भावना हो रही है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के तौर पर हां खड़े होकर उनको कहना चाहिए था और यदि खड़े होकर यह नहीं कहते हैं तो कांग्रेस के लोगों ने ही यह जानबूझ कर कराया है और यदि यह सही नहीं है, तो इसकी आपको भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्रीमंडल में बैठे हैं, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सही बात है या नहीं...

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : गलत है तो उनको प्रतिकार करना चाहिये।

श्री बेगाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपया चन्दे के रूप में लोगों से वसूल किया गया है। रायसिंहनगर से 36 हजार रुपया और करणपुर से 34 हजार रुपया बाबू जगजीवन रामजी का नाम लेकर, मुख्य मंत्री जी हरिदेव जोशी का नाम लेकर, लाखों रुपया चन्दे का लिया गया है। हम बाबूजी को ला रहे हैं, जोशी जी को ला रहे हैं, देवपुरा जी को ला रहे हैं और फलाने मंत्री जी को ला रहे हैं। मंत्रियों का नाम लेकर यह किया है। रायसिंह नगर से चन्दा किया है, करणपुर से चन्दा किया है। इसी सदन के विधायक और भूतपूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस के मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके अपने विषय पर आजाइये।

श्री बेगा राम : वहां पर लाखों आदमी इकट्ठे हुए हैं। गांव वालों को कहा गया कि बाबूजी आ रहे हैं, जोशी जी आ रहे हैं। इसकी आप पूरी जांच करवाइये।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, आपने तो फरमाया लेकिन जो तथ्य पेश किये गये हैं, उनको लाइट में आप अपने डिसिजन को रिवाइज कीजिये। सरकार की मशीनरी चन्दा इकट्ठा करने में लगी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हमारे सामने आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आप से निवेदन करूंगा कि सरकार से इसकी जानकारी तो करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने फैसला कर दिया था चेम्बर में पधार जाइये और कन्वीन्स कर दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम कोशिश कर रहे हैं। 70 परसेन्ट तो आप कन्वीन्स हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहें या न कहें। स्थगन प्रस्ताव का विषय आपने रखा है और उसका मैंने निर्णय दे दिया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : थोड़ा कन्वीस होना बाकी रहा है···

श्री अध्यक्ष : मैं वैसे ही इज्जत करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय देवपुरा जी देख रहे हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ है। सिचाई मंत्रीजी के नाम से सब से ज्यादा चन्दा वसूल किया गया है। कहा गया उन लोगों को कि मोगे लगवा देंगे, माननीय देवपुरा जी, आपके नाम का सबसे अधिक उपयोग हुआ है। कई जगह पर मोगे लगा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या स्थगन प्रस्ताव पर बोलना जरूरी है। काल अटेन्शन मोशन भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। कोई चिट फण्ड के नाम से पैसा ले रहा है। गुरुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारी दिवारें काली कर दी गयीं। सबसे चन्दा लिया। इन चीजों को रोकना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इतना फरमा देना आपका क्या गवर्नमेंट के लिये काफी नहीं है?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उनको गिरफ्तार किया जाय।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। गांवों में जनता को जलाऊ लकड़ी न मिलने के बारे में है। यह कुशलगढ़ की ही बात नहीं है। पूरे बांसवाड़ा जिले की बात है। वर्षों से पहाड़ी क्षेत्र की जनता को लकड़ी के लिये पास मिलता रहा है। लेकिन जलाऊ लकड़ी के लिये पास बन्द कर दिया। व्यापार की दृष्टि से जलाऊ लकड़ी के डिपो लगाने का निर्णय लिया। आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी तक बांसवाड़ा जिले में तीन डिपो लगा रखे हैं। एक बांसवाड़ा प्रोपर में दूसरा सूजानगढ़ में और तीसरा कुशलगढ़ प्रोपर में। कुशलगढ़ से या सुजानगढ़ से पहाड़ी इलाके के लोगों को 20-20 मील दूर से जलाऊ लकड़ी लेने के लिये आना पड़ता है। उनको डिपो से इस प्रकार लकड़ी लाने में दिक्कत होती है और उनको लकड़ी नहीं मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के द्वारा राशन की व्यवस्था के साथ-साथ लकड़ी की भी यह अव्यवस्था पैदा कर दी गयी है। जन्म से लेकर मरने तक लकड़ी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार पहाड़ी लोग अपना जीवन चलायें? सर्दी से किस प्रकार रक्षा करें। न उनके पास कपड़े हैं, न पक्के मकान हैं जिससे वे सर्दी से रक्षा कर सकें। दफ्तरों में रोजाना चक्कर काटते हैं। यदि किसी व्यापारी को व्यापार के लिये और किसी के लिये आप कुछ देते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है लेकिन काश्तकार को घर खर्च करने के लिये लकड़ी की आवश्यकता है परम्परा से पास दिये जाते थे वह बन्द कर दिये हैं और डिपो से लकड़ी लाने के लिये कह दिया, यह गलत है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि चार डिपो हैं, एक डिपो है कुशलगढ़ में। चार छः मील दूर रतनगढ़ है। वहां से

(श्री जोथिंग)

लकड़ी आती है। आठ मील दूर लकड़ी जमा की जाती है। और बांसवाड़ा डिपो में कम से कम 60 मील पर जाकर जमा होती है। अब भाव बांसवाड़ा में 15 रुपये क्विंटल, सज्जनगढ़ में 15 रु. क्विन्टल, कुशलगढ़ में 15 रु. क्विन्टल। जहां से चार मील से लकड़ी लाई जाती है बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के एक ही भाव हैं। आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं जिस प्रकार के भाव निर्धारित किये हैं, ग्रामीण जनता के लिये बहुत मुश्किल के हैं। आज लकड़ी खरीद नहीं सकते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री जोथिंग : रियायती दरों में घर खर्च के लिये जलाऊ लकड़ी का पास मिलना चाहिये। एक निवेदन और करना चाहता हूं आज फ्री पास का नाम तो मिट गया है जिन लोगों को 3-4 साल पहले ईमारती लकड़ी का पास मिलता था वह बन्द कर दिया कि आदिवासी लकड़ी नहीं रख सकते हैं। सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है और आपने जो स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है कि लोक महत्व का नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं लकड़ी के सहारे . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जोथिंग : जीवन यापन करते थे, मकान भी उसी लकड़ी से बनाये जाते हैं, जिन्दा भी उसी लकड़ी से रहते हैं। आज आप बता रहे हैं और आपकी जो व्यवस्था है कि लोक महत्व का नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं सरकार उचित निर्णय लेकर रियायती दरों पर फ्री या किसी भी प्रकार लकड़ी मिलने की व्यवस्था की जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार से यह निवेदन किया है कि दौसा कॉलेज के आस-पास 30-30, 40-40 मील तक कोई दौसा में पोस्ट ग्रेजूएट कॉलेज जयपुर के अलावा नहीं है। आज जयपुर के कॉलेज में हालत यह है कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को ऐडमीशन नहीं मिलता है और बैठने की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक तरफ बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को रहने के लिये मकानों की उचित व्यवस्था नहीं है और बहुत ज्यादा आबादी होने के कारण जयपुर शहर बहुत अधिक खर्चीला पड़ता है और दौसा एक ऐसा स्थान है जो जयपुर के नजदीक भी है और सब प्रकार की सुविधाओं से जुड़ा हुआ केन्द्र भी है। मैं समझता हूं जयपुर में पढ़ने वाले विद्यार्थी पर दबाव ज्यादा पड़ता है वह भी कम हो जायगा, अधिक जनसंख्या वाले शहर से दूर होने के कारण पढ़ने में भी विद्यार्थियों को ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी और फिर जयपुर के कॉलेज में जो ऐडमीशन की दिक्कत होती है वह भी दूर होगी और तीसरे रिहायशी मकानों की समस्या भी खतम होगी और चौथे जयपुर में पढ़ने पर जो विद्यार्थी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है जिससे साधारण विद्यार्थी जयपुर में रह कर नहीं पढ़ सकता वह भी पढ़ लेगा और रिहायशी मकानों की समस्या भी नहीं रहेगी। दौसा में पोस्ट ग्रेजूएट कॉलेज खुलने से हर तरह की फेसिलिटि है, रेल से

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जुड़ा हुआ है और आस-पास में रिहायशी मकानों की काफी सहूलियत मिलेगी, कम खर्च में पढ़ाई कर सकेंगे क्योंकि हर मामले में जयपुर को केन्द्रित करके और ग्रोवर छोड़ करके चलना जयपुर के आस-पास के कस्बों की निरन्तर अवहेलना भी है।

मान्यवर, मैं सरकार, को आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं जयपुर में ऐसी समस्याओं को जन्म न दें जो जयपुर, में और दौसा में आन्दोलन का रूप लेले। उस समय उस मांग को मंजूर की जाएगी जिसमें सरकारी सम्पत्ति और बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा सरकारी सम्पत्ति का नुकसान होगा और उसके बाद सरकार की आंख खुलेगी तो बहुत लेट हो जायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है इसी सत्र में यह प्रॉबलम सोल्व की जाय। आगे आने वाले सत्र में दौसा में सब प्रकार की पोस्ट ग्रेजूएट की क्लॉसेज खोली जायं और जयपुर शहर पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है उसे भी दूर किया जाय।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : उदयपुर शहर में मैंने मान्यवर, कब्रिस्तान के धार्मिक महत्व को देखते हुए और पवित्रता को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था आपने उसको जानकारी के लिए भेजा है। यहां संविधान के तहत जो हमें अधिकार है इस देश में जो माइन्योरिटीज हैं उन्हें सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है और कब्रिस्तान में एक जगह ही नहीं सब जगह जहां यू.आई.टी. रेकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज है और ट्रेडीशनली इस्तेमाल कर रहे हैं बिना यू. आई. टी. के इजाजत के, बिना कमेटी को विश्वास में लिए एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और प्लाट्स का अलॉटमेंट कर रहे हैं।

मान्यवर, अलीपुरा में साढ़े सात एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए और साढ़े तीन एकड़ जमीन आदिवासी छात्रावास के लिए अलॉट हुई है और उसको बेच दिया। उसके बाद यू.आई. टी. ने और प्लॉट काटना शुरू कर दिया है। बख्तावर नाम के व्यक्ति ने बिना इजाजत के निर्माण शुरू कर दिया है। माइनोरिटीज के सेन्टीमेन्ट्स को कहीं कुछ न हो क्योंकि यू. आई. टी. चुपचाप बैठी है, सरकार चुपचाप बैठी है। यह सारे राजस्थान में बेचैनी फैल रही है और बड़ा प्रश्न है। इस पर गौर करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कब्रिस्तान पर अनधिकृत रूप से और कब्जा करने की बात, सरकार की उदासीनता बरतने की बात पहले बयाना के सम्बन्ध में भी आई थी और अब उदयपुर के सम्बन्ध में आई है। हमारी पार्टी की तरफ से इस सम्बन्ध में एक बयान भी निकाला गया है जिसमें इस प्रकार की कार्यवाही को फौरन रोकने के लिए कहा गया है और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है उसमें तमाम यू.आई.टी. के नियमों को तोड़कर ऐसे लोगों को रिजर्व प्राइस में कोई प्लॉट अलॉट नहीं होने चाहिए। पहले जो रिजर्व प्राइस पर अलॉट किये गये हैं वही गलती है और फिर रिलीजियस जगह मुस्लिम माइनॉरिटी व उसके ऊपर अनआथोराइज्ड तरीके से बनाने की इजाजत दी है। यहां तक की दीवार तोड़-कर जो पानी पहले बाहर निकलता था अब वह पानी भी सारा अन्दर जाएगा लोगों ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रोजेक्शन्स करके उसी कब्रिस्तान पर प्रोजेक्शन कर लिए हैं ताकि पानी वहीं पड़ेगा। मुझे जहां तक जानकारी मिली है इसके अन्दर जिम्मेदार लोग यहां तक की मंत्री मण्डल के लोग भी शामिल हैं। वक्त आने पर पूरा नोटिस देकर नाम बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, काफी सीरियस मामला है, इस पर मंत्री महोदय को तुरन्त वक्तव्य देना चाहिए और इसको फौरन रोका जाना चाहिए। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान पर जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उसको तुरन्त रोका जाना चाहिए।

हम सिक्युरिलिज्म को फारमल रूप से नहीं लेते हैं रियल रूप में तमाम माइनोरिटीज को एक कान्फीडेन्स में न केवल कानूनी और भाषा में कह कर लेते हैं बल्कि अमली रूप से बता नहीं देंगे तब तक सिक्यूलिरिज्म में केवल विश्वास नहीं करते। तब तक हम माइनोरिटीज से अपने बराबर के नागरिक की तरह रह सकें ऐसी भावना नहीं रख सकेंगे इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गवर्नमेन्ट का स्टेटमेंट आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि यह उदयपुर का प्रश्न है और माइनोरिटी कमजोर है आर्थिक स्थिति में और वह अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी की तरह से सुरक्षा नहीं कर सकती। यह प्रश्न उदयपुर में माइनोरिटीज का बराबर एजीटेट करता रहा है और इसका एजीटेशन उदयपुर की शांति और अशान्ति का भी मसला बना हुआ है। कलेक्टर महोदय ने इसकी की जांच है, ऐसा मुझे विश्वास है लेकिन कब्रिस्तानों की जमीनों को हड़पने अथवा उस पर मकान बनाने का प्रश्न चिन्तनीय है, कब्रिस्तान जहां कि मुर्दे गढ़ते हैं यह बहुत पाक स्थान माना जाता है और बराबर इस संबंध में वहां की माइनोरिटीज बेचैन हो रही है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबन्ध में यहां की यू.आई.टी. और म्युनिसिपैलिटी को सतर्क करे कि इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जाये।

श्री हाजी जान मोहम्मद : यह उदयपुर का ही नहीं सारे राजस्थान का मसला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसी मंत्री महोदय का जहां तक इससे संबंध होने का प्रश्न है मैं नहीं समझता कि कोई स्थानीय मंत्री हो और वह उससे संबंधित हो।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सदस्य नाम लेने को तैयार हैं।

श्री निरंजनाथ आचार्य : और न किसी तरह का प्रश्न ही इस संबंध का पैदा होता है क्योंकि मैंने सारी स्थिति का अध्ययन किया है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूं। इसलिए मैं उस आरोप से असहमति प्रकट करता हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर के कब्रिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : आप इसके संबंध में और अपने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में दोनों ही के बारे में एक साथ बोल लें।

श्री रामकिशन : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि उदयपुर में 9 के करीब कब्रिस्तान हैं। अगर एक दो कब्रिस्तान के ऊपर इस प्रकार की घटना हो जाती तो हम समझते कि यह मामला ऐसा ही है और ऐसा होता ही रहता है यह सार्वजनिक जमीन है और उस पर अतिक्रमण होते रहते हैं लेकिन 9 पर ही अतिक्रमण करना और वहां के मुस्लिम यह कह रहे हैं कि आप हमको वहां पर कब्रिस्तान के चारों ओर दिवार बनाने की इजाजत दें तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन कब्रिस्तान के नाम से लिखी हुई है और वह नियमों के अनुकूल उस पर दीवार बना सकते हैं। इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं हो सकता है। ऐसे सवाल राजस्थान में जगह जगह खड़े हो गए हैं और इन पर राज्य सरकार की उदासीनता मैं समझता हूं कि केवल सेक्युलरिज्म की बात वोट प्राप्त करने के लिए यह राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी करती है। न तो यहां पर सेक्यूलरिज्म है और न सरकार हमारी इस बात के लिए कटिबद्ध प्रतीत होती है–ऐसा लगता है। यह एक प्रकार का गम्भीर मामला है कि मुसलमानों के मैंने प्रार्थना-पत्र देखे हैं और लगातार 15 साल से वह जो यू.आई.टी. को चिट्ठियां लिख रहे हैं उनको भी मैंने देखा है और उन चिट्ठियों से आभास होता है कि राज्य सरकार जान बूझकर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। आज यह स्थिति हो गई है कि कब्रिस्तान के बगल की दीवार को यू.आई.टी. ने नीलाम कर दिया है और जो गन्दे पानी निकलने के रास्ते थे वह बन्द कर दिये हैं मकान बनाने वालों ने और आज कब्रिस्तान में गन्दा पानी भरा रहता है और बरसात में किसी की मौत हो जाये तो दफनाना मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार कोई उचित निर्णय नहीं कर सकती है तो सरकार के लिए सोचने की बात है।

माननीय आचार्य जी ने कहा कि वहां कोई मंत्री नहीं है और इसका कोई प्रसंग भी नहीं है लेकिन मैंने देखा है कि गुलाब सिंह जी शक्तावत ने उस कब्रिस्तान की 7 फुट जगह पर कब्जा कर लिया है। अब वह झूठ है तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए क्योंकि मंत्री के बारे में कोई बात फैलती है तो गम्भीरता आ जाती है और अगर सही है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि स्थिति क्या है? मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और अगर नहीं अपनाती है तो राजस्थान में जहां-जहां अल्पसंख्या हैं इससे दूसरी तरफ के सवाल पैदा होंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे स्थगन प्रस्ताव का सवाल है यह अपने आप में बहुत गम्भीर घटना है और गम्भीर घटना इसलिए नहीं कि किसी समाजवादी कार्यकर्त्ता को पीटा गया है। मैं इस सवाल को इसलिए उठाना चाहता हूं कि आखिर इस देश की स्थिति क्या बनने वाली है? हालात क्या बनते जा रहे हैं? किसी भी दल को प्रदर्शन करने का अधिकार है और संविधान के अन्दर इस प्रकार के अधिकार हर पार्टी को दिये

(श्री राम किशन)

गये हैं और जो भी दल अपना रास्ता अख्तियार करना चाहे कर सकता है। इसमें न तो हम बाधा पहुंचा सकते हैं और लोकतंत्र की यही परम्परा है कि हम विचार भेद रखते हुए भी एक समाज का निर्माण कर सकें। यही लोकतंत्र की खूबी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को प्रदर्शनकारी अलवर से जयपुर के लिए आये और अवश्य उनमें से कुछ लोगों ने टिकट नहीं लिये हैं। कल मैं सदन में नहीं आया था क्योंकि मेरी आंख ठीक नहीं थी लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था और हांडा साहब ने भी कहा कि एक लाख के करीब प्रदर्शनकारी जयपुर में आये। अखबारों में विशाल प्रदर्शन वाली बात लिखी है। अलवर से भी साम्यवादी दल का प्रदर्शन हुआ होगा। तो एक लाख की तादाद है तो 25 हजार अलवर से साम्यवादी प्रदर्शनकारी अवश्य आने चाहिए। अगर एक लाख से कम प्रदर्शनकारी होंगे तो उसी अनुपात में इस 25 हजार की संख्या को कम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अलवर ऐसी जगह है कि जहां साम्यवादी दल का प्रभाव है वहां से ज्यादा लोग आयेंगे। अब सवाल यह है कि एक लाख प्रदर्शनकारी जयपुर में आये तो उसमें कुछ ट्रेन से आये या बस से आये या ट्रक से आये या साइकिलों से आये या पैदल आये लेकिन करीब 25 हजार के करीब आदमी आते हैं तो रेल से भी कुछ आये होंगे। बस के अलावा ट्रकों से आये होंगे, साइकिलों से आये होंगे, पैदल आये होंगे लेकिन जो रेल का माध्यम है उससे भी प्रदर्शनकारी आये हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो इतने लोग रेल से आये होंगे, उनके टिकट कहां हैं? अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों गाड़ियों के टिकटों की जानकारी ली है तो मुझे जानकारी मिली है कि चेतक एक्सप्रेस, जो चलती है वहां से केवल 26 टिकट कटे हैं। इसका साफ मतलब है कि उसमें प्रदर्शनकारियों के अलावा दूसरे यात्री भी होंगे और दूसरी जो रात की गाड़ी आती है उससे भी 35–36 टिकट कटे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोग बिना टिकट जरूर आये हैं तो साफ जाहिर हो जाता है कि वह बिना टिकट के सफर करके आये हैं। हरीशंकर गोयल जिसके साथ मारपीट की गई है और आप जानते हैं कि इस मुल्क में समाजवादी युवजन सभा नीति पालन करने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी संघर्ष करती रही है। जब चरणसिंह की सरकार ने गोली चलाई थी तो युवजन समाजवादी लोगों का सबसे बड़ा हाथ था कि वह मंत्रियों को घेर लेते थे और उनसे कहते थे कि गोलियां चलाने के बाद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इतनी नीति से बंधे हुए लोग हैं वह कहते हैं कि आप जांच करें। उनके साथ मारपीट की जाये तो मैं सभी लोगों से जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं उनके लिए प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि इस प्रकार के आचरण का नतीजा क्या निकलेगा। जैसे यूरोप में सिविल वार हुई क्या इसी रास्ते पर मुल्क को लाना चाहते हैं और सबसे बड़ा अफसोस यह है कि वहां एस. पी. था, कलेक्टर था और मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैं जानता हूं कि किन लोगों ने मारपीट की। मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई जिम्मेदार आदमी होगा लेकिन जिस किसी ने भी कहा और मारपीट की है उनके खिलाफ नियमों के अधीन केस रजिस्टर होना चाहिए। राजनैतिक सवालों का समाधान भी राजनैतिक तौर

(श्री रामकिशन)

पर होगा। अगर केस रजिस्टर कर देते हैं तो उससे भी कोई बड़ा हल निकलने वाला नहीं है लेकिन न्याय के लिए सरकार क्या सोचती है और हरीशंकर गोयल और मितल के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए और उनके ऊपर यदि ऐसी चोटें आई हैं कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, चालान करना जरूरी है तो ऐसा किया जाना चाहिए था और वह नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा देश में बहुत खतरनाक निकलेगा। तो मैं इस संबंध में केवल जानना चाहूंगा कि अगर वहां एस.पी. और कलेक्टर थे और मारपीट की है तो उस समय क्या बात थी और दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि प्रदर्शनकारी जितने आये हैं और जो तादाद अखबारों में आई है वह सही है तो अलवर से जो रेल से आये हैं उनके क्या टिकट कटे हैं ? मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

हाजी श्री जान मोहम्मद : सदरे मोतरिम, राजस्थान में सभी जगह कब्रिस्तान..

श्री अध्यक्ष : कब्रिस्तान वाला मामला खतम हो गया है। अब तो दूसरा आ गया है। आपकी भावना समझ गया। इज्जत करता हूं। आप तशरीफ रखिये।

श्री गोरधनसिंह !

श्री गोरधनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीकर और रींगस में घटना घटी है वह बहुत ही निन्दनीय है। वहां लोगों को पीटा गया और यहां तक कहा गया कि डांडा साहब कुछ भी कहें सीकर के लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए कोई कार्यवाही वहां पर नहीं की गई। इसके साथ ही साथ मैं मांग करूंगा कि राज्य सरकार इसकी न्यायिक जांच कराये और जो लोग दोषी हैं उनको दण्डित किया जाये। इसके साथ साथ यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को क्या मालूम नहीं था कि यह प्रदर्शन होने वाला है और इसकी व्यवस्था की जावे। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इसकी निन्दा करता हूं और यह आशा करता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने निवेदन किया है सरकार द्वारा इसकी जानकारी की जावे। आपने कहा है कि सरकार से जानकारी की जा रही है लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में जल्दी ही जानकारी की जावे और इस पर निर्णय किया जावे और स्थगन प्रस्ताव के जरिये जो सूचना चाही गई है वह सदन के सामने पेश करें।

श्री मालाराम : श्री रामानन्दजी...

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री मालाराम : यह बड़ा गम्भीर मामला है इसके सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : बैठिये। इस सम्बन्ध में, इसी स्थगन प्रस्ताव के विषय पर मिलते जुलते तीन चार सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं वे सब बोलना चाहे तो पहले वे बोल लें फिर उत्तर आ जावे।

श्री गुमानमल लोढा : पहले उत्तर हो जावे, ये उत्तर देने के लिए आतुर हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले एलीमेशन आ जाये फिर उत्तर आ जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले जिन जिन के स्थगन प्रस्ताव हैं वे बोल लें।

श्री अध्यक्ष : यही मैंने कहा है।

श्री रामकिशन : कब्रिस्तान के बारे में हाजी साहब अपनी राय देना चाहते हैं तो उनकी राय अवश्य सुनी जाय।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारे माननीय सदस्य रामकिशनजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसी से मिलता जुलता दूसरा प्रस्ताव सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी इस बारे में जानकारी दी है, यह वास्तव में बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, जनतांत्रिक पद्धति से अपने अपने प्रदर्शन हों जुलूस निकलें, यह तो एक बहुत प्रसन्नता' की बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिये और मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ बातों में भिन्नता होते हुए भी कई बातों में समानता होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में 18 वर्ष की आयु के लोगों को मताधिकार दिया जावे जिसकी हम बहुत वर्षों से मांग करते आ रहे हैं उसको उन्होंने अपने मांग-पत्र में मांग की हैं, हमें इस बात की खुशी है। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की भी खुशी है कि जबरन लेवी वसूली का भी उन्होंने विरोध किया है और जिस बात को हम मांग करते आ रहे हैं कि लेवी के बारे में जबरन वसूली नहीं होनी चाहिये। साधारण किसान वर्ग से बाजार की कीमत पर वसूली होनी चाहिये, जबरन नहीं होनी चाहिये इन गरीब किसानों से, इस बात को कह कर उन्होंने इसका समर्थन किया है। हमने जिस बात को लेकर जोधपुर में आन्दोलन किया कि दस-बारह किलो धान मिलना चाहिये और एक किलो शक्कर मिलनी चाहिये और हमारी यह मांग भी थी कि आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों के लोगों को जमीन दी जाय, कर्जा देने की हमारी मांग थी उसका भी मोटे तौर से उन्होंने जो मांग-पत्र दिया है, मैं समझता हूं कि समग्र क्रांति की जो हमने रूप रेखा दी है उसमें कई मुद्दों का उन्होंने समर्थन किया है। यह दूसरी बात है कि उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के प्रति कुछ नारे लगाये हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि नारे लगाये हैं, लेकिन यह जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य सदन के सामने आये हैं और यह जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में केवल एक व्यक्ति गंगानगर से आए जो उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे, जोगेन्द्रसिंहजी जिनका नाम था, किसी दूसरे सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने बतलाया था, अनायास ही बात हुई कि आज ट्रेन साढ़े ग्यारह आई, ट्रेन लेट आई। मैंने पूछा कि क्यों लेट आई ट्रेन तो उन्होंने बताया कि क्योंकि गंगानगर से जो ट्रेन आती है उसका समय तो पहले है लेकिन रास्ते के अन्दर और बहुत सी जगहों पर लोग, कई लोग मुफ्त में बैठ गए और हमको भी कहा कि यह गाड़ी मुफ्त में जायेगी और आप लोग इस गाड़ी में मत बैठिए और टिकिट लेस ट्रेवलिंग का यह जो मैं समझता हूं कि राज्य का मेला होता है सरकारी प्रदर्शन, एक परम्परा बन गई हैं लेकिन उसके साथ ही रींगस के ऊपर लोग बाहर निकले और फिर सीकर पर बाहर निकले और बाहर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

निकलने के बाद जो खोमचे वाले होते हैं, गरीब वहां पर कोई दूध, पकौड़ी, पूड़ी, किसी के पास में दही लस्सी तो उसमें लूटपाट शुरू कर दी और शुरू करके उन्होंने मुझे बताया श्री जोगेन्द्रसिंहजी ने कि उन्होंने एक रैस्टोरैन्ट के कांच तोड़ डाले और सीकर के अन्दर तोड़-फोड़ की घटनायें की और रींगस के ऊपर मारपीट की। जिन्होंने विरोध किया उनकी मारपीट की गई। मैं यह नहीं कहता कि उसमें विधायक भी थे, उन्होंने यह नहीं बताया और न मैंने उनसे इसके बारे में कुछ पूछा था। लेकिन दो बातें स्पष्ट थीं कि टिकिट लैस ट्रैवलिंग किया गया और उनका, साम्यवाद का क्या करैक्ट कंसैप्ट है वह रेलवे स्टेशन के प्लेट-फार्म पर बताया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि माननीय रामकिशनजी ने जो सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया है वह बहुत मुद्दे का प्रश्न है। रेलियां सारे दल करते हैं और अलवर से आते समय मुझे पता चला है कि चेतक में तीन चार सौ लोग थे

(समय 12.55 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

और रात्रि को गाड़ी में भी तीन सौ, चार सौ लोग थे और टिकिट जो वहां से बिके उनकी संख्या उनके कम्पेरिजन में नगण्य थी। मुझे यह भी बताया गया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर युवा जन सभा, यहां जयपुर स्टेशन पर पुलिस को तैनात किया गया चैकिंग के लिए लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मिस्टीरियसली, जब कि ट्रेन आने वाली थी अलवर से दोपहर को चल कर शाम को, उस समय जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, पांच मिनिट पहले कहीं से कोई डायरेक्शन आया, मैं यह तो नहीं कह सकता कि राज्य सरकार का पुलिस को डायरेक्शन था, केन्द्र से था दिल्ली की सरकार से था रेलवे स्टॉफ को निर्देश था स्टेशन मास्टर को, चैकिंग को विथड्रा कर लिया और सारे दरवाजे खोल दिए और टिकिट लैस ट्रैवलिंग की छूट दे दी और दोनों ट्रेनों से सैंकडों लोग बिना टिकिट के आये। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के यहां पर कई उदाहरण आये हैं और यह बहुधा होता है, कभी बस में, कभी रैल के अन्दर और पहले भी हुए हैं। लेकिन यह अवश्य है कि जब हम विधान सभा के अन्दर यहां पर हैं और ऐसी घटनायें हमारे सामने जो आंखों देखा हाल लोगों ने बताया है तो मैं समझता हूं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों के भी हित में होगा कि वह इसकी निन्दा करें। हो सकता है कि उनके जानते हुआ हो या अनजानते हुए हुआ हो, उनकी नोलेज में हुआ हो यह मैं नहीं कहता, उनकी कनर्वेस से हुआ हो यह मैं नहीं कहता, उनके इंस्ट्रक्शन से हुआ हो यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जब व्यापक तौर पर जो कल यहां पर पांच दस हजार लोग आए बाहर से उनमें टिकिट लैस ट्रैवलिंग हो, रैलवे स्टेशन पर मारपीट हो और कई तरह की बातें हमारे सामने प्रामाणित तौर पर आती है तो मैं भी माननीय रामकिशनजी का जो स्थगन प्रस्ताव है उसका समर्थन इस रूप में करता हूं कि राज्य सरकार को इस बारे में चौकसी बरतनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें

Page No 58

(58)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भेदभाव हो, अभी सी.पी.एम. के माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी बसों के परमिट नहीं दिए जा रहे हैं, बसों को रोका जा रहा है और दिल्ली में जब रैली हुई तो बसों के परमिट कैंसिल कर दिए गए, विजयनगर में परमिट कैंसिल किया गया जिसकी ओर मैंने स्वयं ने माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि बसों को रोका जा रहा है। बसों को हरियाणा के बोर्डर पर रोक दी गई, दिल्ली के बोर्डर पर रोक दी गई। दिल्ली प्रदर्शन में जाने के लिए टिकिट नहीं लेने की बात तो छोड़िए वहां पर अलग डिब्बा लगना तो डिफिकल्ट था लेकिन बसों को रोक दिया पैसा देने के बाद में भी और दूसरी ओर सरकारी तंत्र का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जावे, यह मैं समझता हूं कि चिंतनीय विषय है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर साम्यवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसको दलगत राजनीति से नहीं देखें बल्कि क्या जनतंत्रीय परम्पराओं में हम ऐसी परिपाटी डालना चाहते हैं और नहीं तो इसकी भर्त्सना करें और कोई तथ्य गलत हों, जानकारी गलत आई हो तो उन तथ्यों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। राज्य सरकार इसके लिए सक्षम है वह देख सकती है। अलवर स्टेशन पर समाजवादी युवा सभा के अध्यक्ष मौजूद थे, उन पर हमला किया गया और उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिशंकर गोयल पर हमला किया गया और उन्होंने वहां पर अपना इलाज कराया अस्पताल में और हमें इस प्रकार की घटनायें कहां ले जायेंगी, यह सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें जिससे वातावरण बिगड़ता हो, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि वे इस पर चिंतन करें। यह कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं है कि राजनैतिक आधार पर आरोप लगाये गये हैं तो प्रत्यारोप भी लगाना चाहिए यह जरूरी नहीं है। इसको करेक्ट करना हो तो कर सकते हैं लेकिन इसका जवाब देना ही है यह भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इस पर चिंतन करें और चिंतन करके जनतंत्रीय परिपाटी को मजबूत करें बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय श्री रामकिशन जी ने रखा है, उसके सम्बन्ध में-चूंकि वह मेरे स्थान से भी ताल्लुक रखता है, जहां से मैं आता हूं, इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उसकी स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दूं और इसके साथ जो सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया है, उसका भी स्पष्टीकरण करूं।

उपाध्यक्ष जी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लोकतन्त्र में पार्टियों का व्यवहार क्या हो, इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं हैं। जहां तक उन्होंने यह भावना व्यक्त की है कि लोकतन्त्र में सबको अपने विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये, प्रदर्शन करने, आमसभा करने और अपने अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यह यदि उनकी मान्यता है तो मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनसे शतप्रतिशत सहमत हूं और माननीय सदस्यों को भी और आपकी मार्फत पूरे सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा दल, हमारी पार्टी की निश्चित रूप से यह निश्चित नीति है कि जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को हम मजबूती से, स्पष्टता से और निडरता से कहें और दूसरों के भी अपने विचार जो हमारे से मतभेद रखते हैं उन विचारों को मीटिंग के जरिए, प्रदर्शन के जरिए कहने का उनको भी पूरा अधिकार है। हम नहीं चाहते कि किसी को सभा या किसी के प्रदर्शन में किसी प्रकार का व्यवधान फैलाया जाये और न ही हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयत्न हुआ है। इस प्रकार मैं भी दूसरी पार्टियों से सम्बन्धित माननीय सदस्य और नेताओं से यह अपेक्षाकृत हूं कि हमारे विचार अभिव्यक्ति में इस प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह वस्तुस्थिति वास्तव में है कि देश में जयप्रकाशनारायण द्वारा किसी प्रकार का एक आन्दोलन छेड़ा गया है। उसके बारे में तीव्र मतभेद है। कुछ माननीय सदस्य जो उनसे सम्बन्धित हैं, इस आन्दोलन को दुरस्त मानते हैं। इसको लोकतन्त्र को बचाने का आन्दोलन कहते हैं। जब कि हम ईमानदारी से ऐसा महसूस करते हैं कि यह आन्दोलन लोकतन्त्र को बचाने का नहीं है–लोकतन्त्र को समाप्त करने का फासिस्टवादी आन्दोलन है। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं हों। इसलिए उनका समर्थन करते हैं लेकिन हम यह अवश्य महसूस करते हैं कि फासिस्टवाद की जो विभीषिका दुनियां में हुई है, चाहे वह हिटलर द्वारा हुई हो, चाहे तो जो के द्वारा हुई हो, चाहे यह मुसोलिनी के द्वारा हुई हो, चाहे वह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अयूब और याहया द्वारा हुई हो, यह जो भीषण विभिषिका है, उससे देश की जनता को, प्रान्त की जनता को, उदासीन या सोई हुई नहीं रखना चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो इसमें न्यूट्रल हैं–हमें इसमें क्या पड़ी? परन्तु हम यह सोचते हैं कि इससे दुनियां को, ह्यूमेनिटी को एक खतरा पैदा हो गया है।....

श्री उपाध्यक्ष : This matter is not a subject of discussion on the motion. The point involved is different and I expect that you will refute or you will like to speak but it will be better to limit yourself. Otherwise there will be no scope for this debate.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दिया है उसका आदर करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्नों पर दो–चार मिनिट का समय ही उपयुक्त नहीं होगा। इसमें थोड़ा लिबरल हों तो यह ठीक होगा और तभी यह सम्भव है कि अपने प्रान्त के लिए, लोकतन्त्र के लिये, देश का पार्टियों का क्या सम्बन्ध हो? कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है। अब यह प्रश्न उपस्थित है। इसी संदर्भ में यह बात यहां पर आयी है। यह स्थिति की शुरूआत है। शुरूआत इस रूप में कि उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में तारीख 9 का, और इसस पहले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस रेली के सम्बन्ध में तैयारी चल रही थी, जिस मीटिंग में जे.पी. के आन्दोलन को फासिस्ट आन्दोलन कह रहे थे हमारे वक्ता, जब वे जनता को सम्बोधित कर रहे थे, यह सही है कि दूसरे माननीय सदस्य, इससे सहमत नहीं हैं लेकिन इस सदन के माननीय सदस्य इस बात को सोचेंगे, माननीय लोढ़ा जी, माननीय रामकिशनजी, सोचेंगे, अगर यह मानते हैं कि स्वतन्त्रता है, हमें अपने विचार व्यक्त करने की, जे. पी. के आन्दोलन को फासिस्ट कहने का अधिकार है हमें अपने विचार, भावना लोगों को प्रकट करने का अधिकार है, और हमको, लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो फिर दूसरे लोगों को जो हमसे सहमत नहीं हैं, हमको मीटिंग नहीं करनी दी जावे, हमारा माईक छीन लिया जाये, हमको अपमानित करने की कोशिश करें, और हमारे लोगों को पीटा जाए, तो यह शुरूआत उपाध्यक्ष महोदय, 9 तारीख से शुरू हुई जिसका मैंने यहां पर, इस सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा और उपाध्यक्ष महोदय, उसके प्रतिकारस्वरूप इस वक्त यह स्थिति सामने आई है। हमारी ओर से जो जवाब है, वह हम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को, इसी प्रकार से दूसरी पार्टियों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता है, इसमें कोई बाधा नहीं देंगे। हम अपने विचार स्वातन्त्र्य की पूरी ताकत के साथ रक्षा करेंगे हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे और किसी के भरोसे नहीं रहेंगे और अपनी सगठन शक्ति की ताकत पर अपनी स्वतन्त्रता की पूरी रक्षा करेंगे। यह बात हम कहते हैं। यह हमारा अधिकार है जिसके लिए हमें कुछ भी बलिदान करना पड़े, करेंगे। इसके लिए कितने ही लोग बिहार में कत्ल कर दिये गये। दूसरी जगह कत्ल कर दिये गये और यहां पर भी इस तारीख को शुरूआत हो रही है, 9 तारीख से यह घटना शुरू हो रही है। 15 तारीख को वहां पर मैंने कहा, मैं खुद जाऊंगा। यह एलान उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में किया कि रामानन्द अग्रवाल नहीं बोल सकेगा। यह चैलेन्ज दिया गया। हमारी पार्टी की ओर से कहा गया यह लोकतन्त्र को चैलेन्ज है। यह चीज यह साबित करती है कि इस आन्दोलन का तरीका फासिस्टवादी है। यह फासिस्टवादी आन्दोलन है। इस चैलेन्ज के बाद उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बतायेंगे, मीटिंग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। माननीय लोढ़ा जी, माननीय रामकिशन जी क्या यह बतायेंगे ? क्या हम कायर लोगों की तरह बैठ जाते और यह मान जाते कि इससे झगड़ा हो जायगा इसलिए मीटिंग न करें या फिर हम अपने विचार व्यक्त करने की आजादी को और उसको अमल में लाने के लिए मीटिंग करें। हमने अपने वालिन्टीयरों से मीटिंग को रक्षित किया बावजूद हमारी पूरी ताकत के वहां पर कुछेक लोग दूर खड़े होकर पत्थर फेंकने लगे। मंच पर पत्थर आये, जो हमारे एम. पी. आये हुए थे उनके ऊपर पत्थर आये, हमारे कई कार्यकर्त्ताओं को पत्थर लगे हैं। हमारे 200 की तादाद में वालिन्टीयर वहां पर मौजूद थे, ताकि ये हुल्लड़बाज मीटिंग में न घुस सकें, बाहर कुछ भी करते रहें, परन्तु उन्होंने इस तरह से हूटिंग की, पत्थरबाजी की, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा माननीय लोढ़ा जी को, माननीय रामकिशन जी को, क्या वे हमारे इस संयम की प्रशंसा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहते हैं या भाप यह कहना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं बावजूद रामानन्द अग्रवाल और उनके माने के बाद मीटिंग में हूटिंग हुई और उनको मीटिंग में नहीं बोलने दिया गया । इस तरह की बात हो रही है । अब 15 तारीख को और उसके पहले भी उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग अलवर में हुई है। हमारे खिलाफ हुई है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां दी गई हैं, रामानन्द अग्रवाल को गालियां दी गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को गाली दी गई है। हमारी तरफ से नारेबाजी, पत्थरबाजी कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। इस जलसे को, 21 तारीख के प्रदर्शन को, जिसकी तैयारी हम पिछले 3 महीनों से कर रहे थे, इस प्रदर्शन के लिए, जब ट्रेन पर आए, हरिशंकर गोयल, जो 15 तारीख को मीटिंग में उपस्थित थे, उस मीटिंग में मेरे से कोई 30 लोगों ने, वालन्टियर्स ने, और अलवर के कलक्टर ने यह कहा हरिशंकर गोयल सोडा की बोतलें, कोकाकोला की बोतलें इनके ऊपर मीटिंग में खुद फेंक रहा था।

सोशियेलिस्ट पार्टी, अब-भारतीय लोक दल में चले गये हैं उनके लीडर इस तरह की कार्यवाही करें तब लोगों ने संयम रखा और वे चाय वाले की दुकान में घुस गये और हमारे वालन्टियर्स ढूंढते रहे कि पत्थर कौन फेंक रहा है और उस होटल के दरवाजे बन्द कर लिए। चाय वाले ने कहा कि बाबा माफ करो आयन्दा नहीं होगा। तब हमारे वालन्टियर्स चले गये।

20 तारीख को लोग आते हैं। वे टिकिट से आते हैं या बगैर टिकट के आते हैं वह हम भुगतेंगे। यह हमारे वालन्टियर्स जानते हैं। इस तरह की जिम्मेवारी पुलिस के इन्फार्मर्स की जिम्मेवारी किन्हीं पार्टियों ने ले ली है तो वे सूचना करें, इत्तिला करें, इसका हमने कोई ऐतराज नहीं किया है। वे शिकायत करें और किसी भी आथोरिटीज को आने दें, यह आथोरिटीज का अधिकार है। लेकिन सोशियेलिस्ट पार्टी, जनसंघ या किसी कार्यकर्ता को यह अधिकार नहीं है कि हमारे आने वाले सत्याग्रहियों या प्रदर्शनकारियों के आने में व्यवधान डालें, उनको रोकें या उन पर पत्थरबाजी करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने को तैयार हूं मुझे स्वयं को उस घटना की सूचना दी गई। गांव के लोगों ने यह बतलाया है कि हम अपने गांव से आ रहे थे तो हरिशंकर गोयल ने और उन्होंने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी करने वाले हरिशंकर और दूसरे हैं राजेन्द्र कुमार यह लोग आये थे। उन्होंने पीछे हटकर फेंक दिये। तो इस तरह की सूचना मिली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के अखबारों में सारे प्रान्त की रिपोर्ट छपी है। 20 तारीख को हमारे यहां पर वालन्टीयर्स आये थे उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव केवल मात्र अलवर की घटना या सीकर और दूसरी जगह रींगस की घटना का हो। जहां तक सीकर और रींगस का सवाल है सीकर जिले से हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हमारी वहां पर शाखा नहीं। उन 5–6 जिलों में से सीकर भी है जहां पर से हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं आया है; लेकिन इस सदन में दो जगहों के अलावा और घटना का जिक्र नहीं किया है। अखबारों ने इस बात पर प्रशंसा की है कितनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शालीनता से जुलूस निकला कि कोई अप्रिय घटना इस जुलूस में या इस प्रदर्शन में नहीं हुई, यह इस बात का सबूत है। सब अखबारों के प्रतिनिधि सब जिलों के अन्दर मौजूद हैं। अगर किसी भी जिले में कोई अप्रिय घटना हुई होती तो अखबारों के अन्दर जो कि आज सुबह आये हैं उनके अन्दर निकल जाती। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को एप्रिशियेट करते, इस बात की प्रशंसा करते कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बावजूद इतने बड़े प्रोवेकेशन के बड़े ही संयम से काम लिया है, तो मैं समझता हूं कि दुरुस्त होता, ज्यादा लोकतन्त्र में मददगार होती। इसके बजाय छींटाकशी करने की कोशिश करें, गलत तरीके से लांछन लगाने की कोशिश करें यह मैं समझता हूं मदद नहीं करेगा। बावजूद कितने ही सिद्धान्तों की बात करें बोन आफ कन्टेन्शन जे. पी. का आन्दोलन है। माननीय सदस्य उसको अच्छा आन्दोलन समझते हों, लेकिन हम उसको देश के लिए बहुत ही हानिकारक समझते हैं। यह भी एक दिक्कत की बात माननीय सदस्यों को लगती हो

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बहुत कम ताकत वाली छोटी पार्टी मानते थे, ने इतना बड़ा जुलूस और इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े संयम से जुलूस निकाल कर दिखाया तो दूसरी पार्टियां जो अपने आपको बहुत बड़ी पार्टियां, ताकतवर पार्टियां मानती रही हैं उनको देखकर आश्चर्य, ताज्जुब या खेद हुआ होगा। उसके लिए मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी पार्टी पूरे तरीके से दूसरी पार्टियों की विचार-अभिव्यक्ति की रक्षा करेगी और उनसे आशा करती है कि वे भी दूसरे के विचारों की अभिव्यक्ति की रक्षा करें, और हमारी सरकार की जिम्मेदारी समझता हूं कि सब के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और करने के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करेगी। यह हम सरकार से उम्मीद करते हैं और साथ ही अपना भी इन्तजाम करके चलेंगे ताकि हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री **बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह 9 तारीख को और 15 तारीख को जो अलवर में घटनाएं हुई हैं जिससे शहर का वातावरण क्षुब्ध रहा है उन सारे वाकेआत से मैं वाकिफ हूं। इन वाकेआत के मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र है और हम सब लोग प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं। उस सूरत में इस प्रजातन्त्र में जो प्रेस और प्लेटफार्म को जो आजादी हमको मिली है उसको कायम रखने के लिए नम्रता के साथ दोनों ओर के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बैठकर बात कर लें। अलवर में हम सब लोग इकट्ठे हो जायं और यह निश्चय कर लें कि दूसरों की मीटिंग हों, जुलूस हों, जलसे हों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
उनमे नारेबाजी करना या आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। इससे शहर का वातावरण क्षुब्ध होता है। इससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता है। किसी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचता है। मैं 9 तारीख को मौजूद था। मैं यह कहूं कि दूसरे रिएक्शनरीज हैं और मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हूं तो उससे काम नहीं चल सकता है। तो इन सब बातों से कोई लाभ नहीं है। मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अलवर शहर का राजनैतिक दृष्टि से वातावरण बहुत सुन्दर रहा है। उसको आप क्षुब्ध न करें। मेरे वहां पर सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो हमारे साथ है और जनसंघ वालों से भी मेरे अलवर में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि शहर का वातावरण और ज्यादा क्षुब्ध न हो इसलिए बैठकर उसको शान्त बना दें और आयन्दा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके एक रास्ता निकाल लें ताकि आयन्दा ऐसा न हो।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं 20 तारीख को गंगानगर से रवाना होकर तीन हजार से भी अधिक व्यक्तियों को जिनमें किसान, फैक्ट्रियों के मजदूर, खेतिहर मजदूर, विद्यार्थी और रिक्शा यूनियन के लोग थे, उनकी अगुवाई करता हुआ जयपुर आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मेरे साथ स्वयं सीकर जिले के विधान सभा के माननीय सदस्य भी थे, जिन्होंने मेरे साथ गाड़ी के अन्दर ट्रैवल किया है, और कोई भी घटना किसी भी प्रकार की कोई ठेला लूटने की या इस प्रकार की नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ जो लोग आये वह सादूल टेक्सटाइल्स मिल के, शुगर मिल के और रिक्शा यूनियन के, रोडवेज के और आम खेतिहर मजदूर और गरीब किसान वह लोग थे और बिल्कुल मोबिलाइज्ड सब संगठनों के लोग थे और सारे जयपुर ने और सारे पत्रों ने उन लोगों के अनुशासन का लोहा माना है, बल्कि इस प्रकार की अगर कहीं कोई घटना हो तो उसके बारे में पूरी तरह से सचेष्ट हैं, लेकिन माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसादजी ने फरमाया है, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उससे सहमत नहीं हूं। 18 तारीख की रात्री को हनुमानगढ़ में जहां पर सी. पी. एम. का गढ़ है और उसके एक दिन पहले वहां के उनके विधायक चीखते रहे हैं। तो रात्री को मेरा जलसा हुआ है, भारतीय काम्युनिस्ट पार्टी का जलसा हुआ। मैं स्वयं बोल रहा था। उस समय काली टोपी पहनकर जनसंघ के कार्यकर्ता और सी. पी. एम. के कार्यकर्ता एक जुट होकर मेरी मीटिंग के अन्दर जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुर्दाबाद और बहुत से अश्लील नारे लगा रहे थे जिनको मैं सदन में नहीं कहना चाहता। स्वयं वहां पर एक भूतपूर्व सदस्य श्री श्योपतसिंहजी अपने मकान के अन्दर बैठे हुए थे। मैंने जनता से अपील की कि यहां पर हमारा संगठन बड़ा कमजोर है, हमारे साथी नहीं हैं, यहां पर हम जलसा कर रहे हैं तो क्या यह सही तरीका है, क्या यह प्रजातन्त्र की रक्षा का तरीका है कि मैं यहां पर बोलना चाहता हूं और आप यह लोग मुझे रूहपोशी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

देना चाहते हैं, बन्द कर देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सही प्रजातान्त्रिक अपील पर सी. पी. एम. के वर्कर्स और जनसंघ के वर्कर्स को मीटिंग के बाहर ले गये और उसके बाद दो घन्टे तक मीटिंग चलती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, हम इन बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं। इसके साथ हम उस शक्ति में विश्वास करते हैं जो प्रजातन्त्र में विश्वास करती है। हमारे देश ने अगर एटम बम बनाया है तो इसलिए नहीं कि हम उसका विश्व के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं। भारत सबसे ज्यादा शान्तिप्रिय देश है। अगर कोई देश हम पर आक्रमण करना चाहता है, पाकिस्तान को हथियारबन्द करना चाहता है तो वह हमारी शक्ति का प्रतीक है। मैं तो बात करनेवाले लोगों से भी कहता हूं वह कार्यकर्ताओं को सबल करें। यह ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के जरिये से नहीं बच सकते हैं। यह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यह अगर प्रजातन्त्र की रक्षा करेंगे, तभी प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता महोदय से कहना चाहता हूं···

श्री गुमानमल लोढा : सीकर और रींगस से आये हुये हैं। उनसे पूछा है। वह यहां आये हुये बैठे हैं। मैं उन्हें आपके सामने पेश कर सकता हूं। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। He has seen on the Railway Stations of Sikar and Reengus. वह सरदार हैं। उन्होंने हम को बताया है।

श्री मालाराम। यह तो सीकर से आये लोगों ने ही बताया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो हमारे साथी आये हैं, मैं उनके लिए फुल रेस्पोंसिबल था। उन्होंने कोई गैरजिम्मेदारी का काम नहीं किया है।

(समय—समाप्ति—सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो होता है। मैं वह पर्चा लाना भूल गया हूं। वह इतना निकृष्ट है। कामरेड डांगे को निकृष्ट बातें कही गई हैं। इन्दिरा गान्धी के सम्बन्ध में निकृष्ट बातें कही गई हैं। और कितने ही लोगों के संबंध से कहा गया है। लेकिन मैं इन बातों से प्रवोक होने वाला नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं जो सी. पी. एम. के लोग हैं, हमारी मीटिंग में ढीले छोड़ते हैं। पत्थर फेंकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : हमारे लोग मीटिंग करते हैं तो वह काली टोपी पहनकर भगवां झंडा लेकर जाते हैं और मीटिंग में नारा लगाते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : भगवा झण्डा लेकर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सारा देश जानता है। यह प्रजातन्त्र विरोधी हरकतें जयप्रकाश नारायण और उनके गुण्डों के द्वारा होती हैं। इसी सदन के अन्दर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की खिचड़ी बन गई है। कोरम काफी फ्री इण्टर प्राइजेज वालों की वकालत खुली अदालत में की गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह तो आप कर रहे । जिन लोगों के लिए वकालत कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप बैठिये । आप तो छुट भइये हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप भी छुट भइये हैं । आप भी पिछलग्गू बनकर आये हैं । कांग्रेस की पूंछ पकड़ कर आये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूंछ वाले हैं । अगर किसी के दिमाग में फितूर है कि हम मीटिंग नहीं करने देंगे तो मैं चेलेंज करता हूं । इस फितूर को हम निकाल देंगे । हम मीटिंग करेंगे, जरूर करेंगे, ताकत के साथ करेंगे । अधिकार के साथ मीटिंग करेंगे ।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था । वह स्पष्टीकरण हो गया है । इसे समाप्त किया जाये ताकि हाउस की कार्यवाही आगे हो ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप यह मीटिंग की बात कर रहे हैं । स्वयं को × × × की बात नहीं करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप करते हैं । आप मेरे लिए × × × कह सकते हैं तो मैं आपके लिए कह सकता हूं । हमारे जुलूस में आकर हिमाकत करें तो उसका जवाब मिलेगा । अच्छी तरह से मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा में यह कहा गया है कि हम सड़कों पर बदला लेंगे । खुद अराजकता फैलाते हैं ।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी मीटिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चेलेंज के रूप में कहना चाहता हूं, अगर कोई यह मानकर चले कि देश में प्रजातन्त्र को खत्म करेंगे तो ऐसे आदमी का हाथ तोड़ने में हम नहीं हिचकेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह हाथ तोड़ देंगे । प्रजातन्त्र को यही खत्म करेंगे । यही कहते हैं । गड़बड़ हो जायेगी । खुदकुशी हो जायेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ऊपर देखिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ की काली टोपी, धोली टोपी, में मैं नहीं जाना चाहता हूं । पर जो सदन में कहा गया है, वह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य बात कहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपनी बात को अपने तरीके से कह रहा हूं । चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या इधर के

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हों। राशन की मात्रा बढ़ाने के लिए सभी ने कहा है। लोग प्रदर्शन लेकर आये है। मैं सदन में भी कहता हूं। बाहर भी कहता हूं। आपके कहने का ढंग तो यह है कि लेवी बन्द हो और अनाज ज्यादा से ज्यादा दिया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : यह तो आपकी मान्यता है। आपने ऐसा माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप गलत कह रहे हैं। मैंने तो यह कहा है कि बड़ों को छोड़ो मत और छोटों को छेड़ो मत। यह हमारा नारा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके लिए तो 13 हजार बीघे वाले महाराजा जयपुर भी गरीब हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आपके हुक्म का पालन नहीं किया जाये। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं कि हमारे प्रजातन्त्र का क्या तरीका है। राजस्थान में कई स्थानों पर चीनी और अनाज नहीं दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में फरवरी और मार्च की चीनी अभी तक नहीं मिली है। 26 तारीख को होली का त्योहार है। सोमवार को 24 तारीख हो गई। 25 तारीख को दूकानों की छुट्टी होगी। 26 को उपाध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जयपुर शहर वालों को होली के त्योहार पर चीनी प्राप्त नहीं होगी। हालत यह है कि जो अनाज मिल रहा है, वह सड़ा-गला मिल रहा है। वह भी कई दूकानों पर मिला नहीं है। सदन 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा। सरकार लोगों को फूल बनाना चाहती है। 1 तारीख से वह क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका का सड़ा-गला पीला गेहूं लोगों को मिलेगा। अनाज देते हैं, अगर चावल लेते हैं तो अनाज कम मिलेगा। अप्रेल के माह में सप्लाई होगा। लोग उसको खायेंगे नहीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि लोगों को खराब गेहूं दिया जाये। खराब चावल दे देंगे। जितना चावल दे देंगे, उतना ही गेहूं कम हो जायेगा। जो भी गेहूं है, वह लोगों को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह अपना अपना तरीका है। प्रजातन्त्री तरीके से रहें। आपने चर्चा की है, काली टोपी और धोली टोपी की। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। नियमों के अन्तर्गत मैंने नोटिस दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से खाद्य मंत्री से मिला। उसके बाद पत्र दिया। लिखित में उत्तर देने के लिए निवेदन किया। डिबेट में, चाहे समय अनुकूल था या नहीं, बीच में राशन व्यवस्था चीनी की व्यवस्था के प्रश्न को बार बार लाया हूं, एक बार नहीं, अनेक बार सदन में लाया हूं। माननीय खाद्य मंत्री के ध्यान में लाया हूं, कल दोपहर को खाद्य मंत्री को पत्र दिया है, यदि आज की तारीख में, दोपहर के 2 बजे तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की तो फिर मुझे कदम उठाना पड़ेगा। यह सूचना, उपाध्यक्ष महोदय, अपने अध्यक्ष हैं, व्यास जी, उनको पत्र द्वारा पहुंचा दी है, आज विवश होकर, मजबूर होकर मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। वैसे तो धरने पर बैठना मुझे इस सदन के परतोर पर चाहिए लेकिन यहां बैठूं तो कहा जायेगा कि गरुड़ पाठी सदन की गरिमा को गिरा रहा है। गरुड़

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पुराण का पाठ करूं तो कहा जाता है, सदन की गरिमा गिर जायगी, भागवत पुराण पढूं तो कहा जायेगा कि सदन की गरिमा गिर जायेगी। सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इस सदन की गरिमा को कम नहीं करना चाहता, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मेरी भावना नहीं है, इसलिए उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जयपुर की जनता के अन्दर बहुत नाराजगी है, आज राजस्थान के लोगों में बहुत नाराजगी है, चीनी के अभाव के कारण जयपुर शहर के लोगों में आक्रोश है। जयपुर में खराब अनाज मिले, जोधपुर में तीन माह से चीनी नहीं मिले, इससे राजस्थान के लोग दुखी हैं, इस सदन के कई सम्माननीय सदस्य दुःखी हैं, लेकिन अनुशासन के आधार पर वह कांग्रेस बैंचेज पर चुप बैठे हुए हैं लेकिन कांग्रेस के सदस्यों में भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे है। यह विद्रोह की भावना, मैं समझता हूं, यह सेशन समाप्त हो जायेगा तब प्रकट होगा, लोगों के मन में जो ज्वार है, जो लोगों के मन में आग लगी हुई है, मैं समझता हूं वह अप्रेल में प्रगट होगी। आज मन में वह मेरी बात से सहमत हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ...मंत्री महोदय से कि मेरी बात मान लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने दल से अनुमति ले ली है, मेरे दल के जो सदन में नेता हैं, उनकी अनुमति ले ली है। उन्होंने आज्ञा दी है कि मुझे सदन के भीतर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैं सदन के बाहर धरने पर बैठ जाऊं तो जो सारजेंट भाई हैं, उनको कष्ट होगा। इसलिए मैं सरकार के ऊपर नैतिक दबाव डालने के लिए कि सारे राजस्थान में अनाज और चीनी की सरकार व्यवस्था करे, मैं धरने पर बैठ रहा हूं। यह न मानें कि मैं इससे कोई राजनैतिक लाभ लेना चाहता हूं। मैं जनता मोर्चे का एक छोटा मोटा सदस्य हूं, मैंने बार-बार इस बात को यहां कहा है, बार-बार निवेदन कर दिया है लेकिन मेरी बात को माना नहीं। मैं समझता हूं, मैं इसको कोई पालिटिकल लाभ लेना नहीं चाहता, राजनैतिक लाभ लेना नहीं चाहता। मेरी इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। जब से इस सदन में, 17 फरवरी से आया हूं, 17 फरवरी से बराबर मैंने इस बात को कहा है, बराबर आपसे सम्पर्क किया है। मौखिक रूप से मंत्री जी ने कहा भी है, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं दे रहें हैं। मैंने जो आपको पत्र दिया, उसका उत्तर आज तक नहीं दिया है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। आखिरकार मुझे जयपुर की जनता ने चुनाव में जिता कर भेजा है, बाहर मुझसे जनता पूछती है, विधान सभा में आता हूं तो यहां सिपाही पूछते हैं, बाबूजी, चीनी के कोटा का क्या हुआ। स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, होली आ रही है लेकिन लोगों को चीनी मिली नहीं। कल रविवार है, खाद्य निगम कल कोटा देगा नहीं, कल बिल का पैसा जमा होगा नहीं, चीनी लोगों के पास है नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा, परसों सोमवार है, फिर मंगलवार है, मंगलवार को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दुकानों की छुट्टी होगी। मेरी निश्चत धारणा है कि राजस्थान के नगरों में रहने वाले, विशेष कर जयपुर में रहने वाले नागरिकों को यह होली फीकी मनानी पड़ेगी। इनको फरवरी की चीनी मिली नहीं, मार्च की चीनी मिली नहीं। होना यह चाहिए था कि होली के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा विशेष चीनी लोगों को दी जानी चाहिए थी, वह बात तो कहां की कहां गई, दो माह की चीनी, जो नाम मात्र को चीनी मिलती है, यह जो गुलाम चीनी है, चीनी दो तरह की है– एक तो गुलाम चीनी और एक स्वतंत्र चीनी। आपने गुलाम चीनी को बोरियों में बन्द कर रखा है। मैं कह रहा था, आप काहे की व्यवस्था करते हैं, लोगों को राशनकार्ड मिले नहीं

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फेल हो गया। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपकी आज्ञा से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं राज्य सरकार पर नैतिक दबाव डालने के लिए धरने पर बैठ रहा हूं, अभी 1 बज कर 35 मिनिट होने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि उनको निवेदन कर दूं किन्तु माननीय खाद्य मंत्री इस समय भी सदन में खड़े होकर कुछ नहीं कहना चाहते जब कि मैंने उनको मौका दिया, पत्र के आधार पर मौका दिया है...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये!

श्री गिरधारी लाल भार्गव: एडजोर्नमेंट मोशन रख कर मौका दिया है, इस समय सदन में मौजूद हैं। वह यह कह नहीं सकते, मेरी अनुपस्थिति में सदन को छोड़ कर चले गये। तुमने मेरी बात मानी नहीं। मैं कहना चाहता हूं, खाद्य मंत्री, अभी समय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर खाद्य मन्त्री कुछ कहना चाहें, अपने श्रीमुख से कुछ कहना चाहें, मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा से बाहर बैठने में मुझे ऐतराज नहीं है, वैसे मैं डिबेट में भाग लेना चाहता हूं, सदन में बैठ कर सारी बात सुनना चाहता हूं, मैं इस सदन में पूरे टाइम रहता आया हूं और रहना चाहता हूं, लेकिन विवश होकर मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। होली का मौका आने वाला है, लोगों को अनाज टाइम पर मिले नहीं, राशन कार्ड मिले नहीं, चीनी मिले नहीं, जो अनाज दे रहे हैं वह सड़ा गला मिले। इसलिए खाद्य मन्त्री पर नैतिक दबाव डालने के लिए, जयपुर शहर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को होली के अवसर पर चीनी मिले, इसके लिए दबाव डालने के लिए, राजस्थान की जनता की भावना के नाते, जयपुर शहर के लोगों की भावना के नाते मैं सदन छोड़ कर जा रहा हूं और इस सदन में धरने पर नहीं बैठ कर इस विधान सभा के सामने ठीक नीचे दिन के दो बजे से, जो पूर्व घोषित कार्यक्रम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री को मैंने मौका दिया है, अब दो बजे से धरने का कार्यक्रम मैं प्रारम्भ कर दूंगा, जब तक कि जयपुर की जनता को चीनी उपलब्ध नहीं हो, राजस्थान की जनता को चीनी उपलब्ध नहीं हो तब तक मेरा धरने का कार्यक्रम बदस्तूर सरकार पर नैतिक दबाव डालने के लिए राजस्थान के लोगों को चीनी देने की बात के लिए नैतिक दबाव डालने के लिए विशेष रूप से जयपुर के उपभोक्ताओं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के लिए मैं धरने पर बैठ रहा हूं, यह भावना आपके मार्फत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो सरकार आपके समक्ष बैठी है, लेकिन मैं समझता हूं, सरकार अब तक मौन बैठी हुई है, एक शब्द भी मन्त्री महोदय नहीं बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं सदन छोड़ कर जाता हूं और नीचे धरने पर बैठता हूं।

श्री किशन मोटवानी : अब तो आर्डर हो गये हैं, अब क्या बैठ रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के उपभोक्ताओं को चीनी····

श्री गुमान मल लोढ़ा : राजस्थान कहिये।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान की कहिये। अभी जयपुर के उपभोक्ताओं को चीनी देने की ओर कई बातें कही हैं। मैंने इस सदन में पहले भी स्पष्ट किया, और भार्गव साहब कई बार मिले उनको सारी स्थिति बताई कि किस वजह से शक्कर पहुंचने में देर हुई है। वैसे सारी स्थिति को वह समझ गए हैं, और हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं शक्कर को लाने के लिए वह जानते हैं। चीनी का प्रश्न है, यह एक साथ बंटवाने में हमें सहूलियत होगी। लेकिन कुछ मात्रा कम थी, और राजस्थान में एक साथ बंटवाने वाली, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बंटवाने की बात में दिक्कतें थीं। यह मैं कह चुका हूं। लेकिन माननीय सदस्य अपनी बात पर डटे रहे। मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। मैं यह भी निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान का शक्कर का हिस्सा बाहर से आता है, उसको लाने में रेल्वे वैगन न मिलने के कारण दिक्कत हुई है। यह स्पष्ट बताया है। वह स्वीकार भी करते हैं। मैंने कहा कि जल्दी ही इन दिक्कतों को दूर करके हम शक्कर बंटवाना चाहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इतनी शक्कर उपलब्ध थी कि जयपुर शहर में शक्कर बंटवाने की बात की जाती। लेकिन वह एक साथ शक्कर बंटवाना चाहते हैं, एक साथ राजस्थान में शक्कर बंटवाने वाली बात है, तो उसमें कुछ दिक्कतें थीं। अब उन दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। यह मेरा निवेदन है।

श्री किशन मोटवानी : भार्गव साहब श्रेय लेना चाहते हैं धरने पर बैठ कर।

श्री केदार नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि देरी हुई, तीन चार माह से चीनी नहीं मिली है। मैं निवेदन करता हूं, भार्गव साहब···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : भार्गव साहब को जानकारी है कि शक्कर बंटना चालू हो गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक आदमी को भी जयपुर शहर में चीनी नहीं मिली है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको मालूम है कि शक्कर बंटना चालू हो गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मालूम है, नहीं बंटा है। मैंने हालत आपको बता दी है। आप उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी बदौलत चुनाव जीतकर आये हैं···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको मालूम है या नहीं···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी कही हुई बात बाहर जनता में जायगी, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने चारों विधायकों की ओर से मांग की है...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने भी मांग की है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर की जनता की भावना रखी है, उसकी आपको कद्र करनी चाहिये। आप इनकी बदौलत चुनाव जीत कर आये हैं इसलिए आप इनकी वाहवाही करेंगे। मुझे जयपुर की जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है, मैं जयपुर के लोगों के कष्ट नहीं देख सकता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपको भावना की कद्र करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपको चुनाव लड़ना है या नहीं, लेकिन मुझे तो चुनाव लड़ना है। जयपुर के लोगों को जो कष्ट होगा, उसको मैं सदन में रखूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं निवेदन करता हूं···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। आज भी करता हूं। सवाल यह है कि शक्कर मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं तो आपको समय देने को तैयार हूं। दो तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलना चाहें तो न तो मुझे सुनाई देता है, न मंत्री जी को सुनाई देता है, न दूसरे माननीय सदस्यों को सुनाई देता है।

प्रोफेसर साहब, आपको बोलना है या आप कह चुके हैं। प्रोफेसर साहब।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन कर रहा था कि यह सारे राजस्थान की समस्या है। पिछले कई महीनों से चीनी नहीं मिली, आपकी कुछ दिक्कतें थीं। आपने वायदा किया था कि हम चीनी पहुंचा रहे हैं और ट्रक्स के मारफत इन्तजाम कर देंगे, तो मेरे खयाल से हम आप पर विश्वास करते हैं और माननीय भार्गव से निवेदन करूंगा कि वह अपने धरने के कार्यक्रम को स्थगित कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय से मैंने बात की है और वह स्वयं चिंतित हैं उसका प्रबन्ध करने के लिए मैं भी भार्गव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मंत्रीजी स्वयं प्रबन्ध करने के लिए चिंतित हैं, कुछ यहां पर विश्वास भी दिया है, उस पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए आपके पास जो धरने पर बैठने का हथियार है उसको स्थगित रखें और इस समय मंत्री महोदय को अवसर दें ताकि वह प्रबन्ध कर सकें। मुझे आशा है कि आप अपने धरने को स्थगित करने पर चिन्तन करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : भार्गव साहब वाली तो अलग चीज है। आप जो भी चीनी बांट रहे हैं इसका मतलब आप होली से पहले सब लोगों को शक्कर दिला देंगे। आप इसका निश्चित इन्तजाम फर्मा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय ने जो यहां जिक्र किया है, उस सम्बन्ध में कई बार हम भी इस सम्बन्ध में उनसे मिले थे और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शक्कर की स्थिति हमने कई बार डिस्कस की थी। रेल्वे वैगन्स के नाम पर या किसी न किसी बहाने चीनी उपलब्ध नहीं हुई है। तथ्य यह है कि जोधपुर में पिछले तीन महीने से चीनी नहीं बंटी और प्राइवेट रेल्वे वैगन्स लेकर आ जाती है, उनकी दुकानें बराबर चीनी बेच रही हैं लेकिन स्टेट सेक्टर में शक्कर नहीं आती। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि होली से पहले चीनी का वितरण हो जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं माननीय गिरधारीलाल भार्गव से निवेदन करूंगा कि उनको धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन सदन को वह नहीं दे सकते तब तो उनको धरने पर बैठने का कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए और जो भी जनता को सरकार पर दबाव डालने के साधन हैं उनका उपयोग करना होगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है कि चीनी का विषय मीठा है। श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : भार्गव साहब को धरने पर बैठने के लिए पीठी और तेल लग गया है, मोहरा मत लाइए, वापस मत बुलाइए, उनको धरने पर बैठने दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : भार्गव साहब ने जो लेटर लिखा है, दरअसल आप स्वयं जानते हैं कि जबसे विधान सभा प्रारम्भ हुई है, प्रश्नों के द्वारा, अथवा मांगों पर अथवा अन्य प्रकार से जब जब मौका मिला, तो सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया है और इतना ही नहीं, यह जयपुर नगर की समस्या ही नहीं है, यह सवाल सारे राज्य का है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र के लिए कहता हूं, वहां भी यही बात है। गत दो महीने से शक्कर नहीं बंट रही है मंत्री जी ने फरमाया कि वह चिंतित हैं, चिंतित होने के साथ वह कहें कि वह सक्षम भी हैं दो दिन में चीनी बटवायेंगे तो मैं भार्गव साहब से निवेदन करूंगा कि दो दिन का समय मंत्रीजी को दिया जाए और तब तक के लिए अपने धरने को स्थगित रखें। अगर वह अपनी असमर्थता प्रकट करें तो चिंतित हम भी हैं और वह भी हैं। अगर वह सक्षम नहीं हैं चीनी बंटवाने के लिए तो भार्गव साहब से कहूंगा कि वह अपने कार्यक्रम को अमल में लायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इस बारे में खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी राशन के अन्दर गेहूं या चीनी देते हैं उसकी सप्लाई नियमित रूप से होनी चाहिए। त्योहार पर तो मिलनी ही चाहिए। वैसे आप तीन किलो गेहूं देते हैं और थोड़ी सी चीनी देते हैं। मैं राजस्थान की बात निवेदन करना चाहता हूं विशेष तौर से जयपुर शहर के लिए। यहां करीब 8 लाख यूनिट्स हैं राशन कार्ड के सारे, इसी पर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
डिपेंड करते हैं। 70 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो राशन के गेहूं लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। आपको तो चिन्ता होगी ही लेकिन आप प्रशासन को इस बात के लिए आदेश दें कि निश्चित रूप से यह चीनी और गेहूं के वितरण की व्यवस्था सोमवार तक हर कीमत पर हो जानी चाहिए।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लिए सबको समय देना मुश्किल है।

श्री फूलचन्द जैन : मंत्रीजी ने जब जवाब दिया है तो हम चाहते हैं कि मंत्रीजी जब बोले हैं तो राजस्थान में सब जगह होली पर चीनी मिले, इस पर विचार करें और व्यवस्था करें, उसके बाद बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, यह डिबेट नहीं है।

श्री मूणाराम : मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री शंकरलाल (पाली) : कम से कम होली से पहले गांव के लोगों को अनाज तो मिल जाए।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मेरा निवेदन है कि 3600 बोरी चीनी गंगापुर में पड़ी हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

× × ×

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चीनी हमेशा समय पर नहीं बंटती रही है, यह बात गलत है। चीनी के वितरण के सम्बन्ध में कुछ विशेष स्थिति एक दो महीने से शुरू हुई। बाकी उससे पहले नियमित रूप से बंटती रही है। इसलिए आपने जो कहा कि हमेशा उसके वितरण में गड़बड़ी रही है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, मैंने कहा, महाराष्ट्र से चीनी के रेलवे वैगन्स न मिलने के कारण हमारे जो होलसेलर्स हैं क्रय-विक्रय संघ, उसका करीब 25 लाख रुपया एडवांस राजस्थान में चीनी लाने के लिए पड़ा हुआ है। हम लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं। रेलवे के साथ, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण चीनी नहीं आ सकी। उसके लिए यह कहना कि चीनी के वितरण की व्यवस्था गलत रही है, यह सही नहीं है। यह एक दो महीने से दिक्कत आई, वह आपके सामने है और उस दिक्कत को शीघ्र दूर करने के लिए···

×××अध्यक्ष पीठ के आदेश से अंकित नहीं किया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कब तक ?

श्री शिवचरण माथुर : सुनिए तो सही। सारे बैकलॉग को एक साथ मैं कहूं कि होली से पहले पूरा कर देंगे यह संभव नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इतना दो महीने के बैकलॉग को दो तीन दिन में सारा सप्लाई करना संभव नहीं है लेकिन हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं बल्कि हमने भारत सरकार को लिखा कि रेल्वे बैगन्स में दिक्कत आती है तो ट्रक्स में मूव कराने की इजाजत दें, उसके लिए ज्यादा पैसा आवश्यक होता है वह पैसा स्टेबीलाइजेशन फंड से मांगना पड़ता है, उसमें कुछ कठिनाई है। जो कुछ कठिनाइयां हैं आज की स्थिति में हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं कि समय पर चीनी का वितरण हो, हमारा प्रयत्न राजस्थान के प्रत्येक हिस्से के लिए है। हम राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में चीनी बांटना चाहते हैं।

जहां तक गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात है कि हमको 500 ग्राम प्रति यूनिट दिया जाए। क्योंकि वहां ज्यादा चीनी पड़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ज्यादा दी जाए। राजस्थान में एक ही स्केल पर शक्कर बांटने वाली बात है। सब जगह प्रति यूनिट के हिसाब से तय कर रखा है उसके अनुसार बांटेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो बैकलॉग है उसको पूरा करें और लोगों को चीनी उपलब्ध करायें। यह कहना कि होली से पहले सारी शक्कर बांट देंगे....

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रारंभ तो कर देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : न संभव है, न व्यवहारिक है। हमने पूरी तरह से सोचा है कि अधिक से अधिक मात्रा में शक्कर आ सके और राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में वितरण हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खाद्य मंत्री ने कोई ठोस बात नहीं कही और मैं प्रोफेसर केदार और आचार्य जी दोनों की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहता हूं। मेरे नेता ने बात कही है, सारे सदन की भावनायें मेरे जैसी हैं, आपने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी, सब लोग चाहते हैं कि होली के अवसर पर चीनी मिलनी चाहिए। यह राजस्थान का प्रश्न है, साथ में जयपुर का भी प्रश्न है। माथुर साहब का कहना मानने या न मानने का प्रश्न नहीं है, वह खाद्य मंत्री हैं। आसन से बार-बार मैंने निवेदन किया है मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मुझे यही काम करना पड़ेगा कि वह चीनी बंटवायेंगे सुबह से या शाम से और होली तक चीनी मिलती रहेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, सरकार पर और खाद्य मन्त्रीजी पर नैतिक दबाव डालने के लिये, कि राजस्थान के लोगों को और जयपुर के लोगों को होली के अवसर पर चीनी मिलनी चाहिए और बढ़िया अनाज मिलना चाहिए और प्रत्येक माह अच्छी प्रकार से व्यवस्था लागू रहेगी। अगर कल चीनी मिल जाएगी तो मैं सदन में उपस्थित हो जाऊंगा इसलिए नैतिक प्रभाव डालने के लिए, जयपुर और राजस्थान के लोगों को चीनी और राशन की अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिये, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करता हुआ, माथुर साहब की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
भावना में जो कमजोरियां आ गई हैं, जो अतिरिक्त चीनी मिल गई है जो तीन-तीन सौ ग्राम और नहीं देना चाहते। मैं समझता हूं कि सदन की भावनाओं का सम्मान करता हुआ, आज शाम से चीनी मिलने लग जायेगी तो आ जाऊंगा, सरकार पर नैतिक दवाब डालते हुए, सदन के बाहर धरणे पर बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लूणाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, लेकिन क्या बात है कि जनता को चीनी नहीं मिली, मैं आपको चीनी की बात नहीं कहना चाहता, परन्तु जो समिति बनी हुई है,

श्री उपाध्यक्ष : समिति का डिस्कशन नहीं है।

श्री लूणाराम : चीनी की बात में नहीं

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जो व्यवहार करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जिसका स्थगन प्रस्ताव था, मैंने उनको बोलने का मौका दिया और मन्त्रीजी ने उसका जवाब दे दिया।

श्री लूणाराम : जवाब से तो पेट नहीं भरता।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री गुमानमल लोढा : यह सबकी कठिनाई है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
प्रतिवेदन राजकीय उपक्रम समिति

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन श्री शंकरलाल (पाली) सभापति,

राजकीय उपक्रम समिति का
छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1974–75 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970–71 व 1971–72 तथा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1969–70 से 1971–72 से सम्बन्धित समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) (1) के अन्तर्गत गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का 30 जून, 1974 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे एवं संचालकों का वार्षिक प्रतिवेदन 1973–74 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : ऑन ए पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर, चीफ जस्टिस पर जो घातक हमला किया गया उसके सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर विचार कर लिया है और ऐसा लगता है कि तारीख 24 को वह रखा जाने

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

वाला है। यह प्रश्न बहुत ज्वलन्त प्रश्न है और इसकी जानकारी कर इसको शीघ्र से शीघ्र लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायाधीश पर जो घातक तरीके से उनकी कार में हथगोले फेंके गये, इसके बारे में जो प्रस्ताव रखा है, यह कल भी आया था। इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है जैसा कि मुझे बतलाया गया है, और माननीय नेता से विचार-विमर्श करके सूचना दे दी जायगी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : इसके बारे में जब भी माननीय अध्यक्ष की इजाजत होगी, उसी समय इसको ले लिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि माननीय नेता महोदय इसके लिये प्रस्तुत हैं तो मैं प्रेस नहीं करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बारे में जारी किये गये सरकारी आदेशों में कतिपय कमियों की ओर मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने प्रारम्भ में 1951 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये थे। उस समय यह आरक्षण 12.5 प्रतिशत था। इन आदेशों पर पुनर्विचार करते हुए 1971 में दूसरे आदेश प्रसारित किये गये जिसके अनुसार रिजर्वेशन का कोटा 28 प्रतिशत किया गया। अनुसूचित जाति के लोगों के लिये 17 प्रतिशत और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये 11 प्रतिशत। जबकि भारत सरकार का आरक्षण का कोटा अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये साढे सात प्रतिशत कुल 22 प्रतिशत हो है। भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले, तुलना में राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये पदोन्नति में भी आरक्षण देने में काफी उग्रता दिखाई है क्योंकि एक दो राज्य सरकारों के अलावा किसी ने भी अभी तक यहां से अधिक आरक्षण नहीं दिये हैं। राज्य सरकार ने 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 से स्वीकार किये थे, परन्तु विधान सभा की अनुसूचित जाति व जनजाति की समिति के जोर देने पर इस आरक्षण को और इनकी शर्तों पर बहुत कुछ ढिलाई दी गई और उनकी मांग के अनुसार यथासंभव भारत सरकार के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 10 फरवरी 1975 को जारी किये

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

गये जिसमें आरक्षण की सीमा 10 व 5 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 16 प्रतिशत कर दी गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिये आरक्षण क्रमश: 16 व 12 प्रतिशत होगा और यह सेवा के उस केडर में लागू होगा जिसमें सीधी भर्ती का यदि प्रावधान है तो वह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है और वह वरिष्ठता-कम-योग्यता, योग्यता और वरिष्ठता-कम-योग्यता एवं प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो कि विभागीय अभ्यर्थियों तक ही सीमित हों में से किसी आधार पर भरा जा सकता है।

(2) रोस्टर रजिस्टर व तीन साल तक आगे ले जाने का प्रावधान है।

(3) आगे ले जाने का प्रावधान किसी भी केडर में उन क्लास, केटेगरी, ग्रुप के पदों पर लागू नहीं होगा जिन पर केवल मेरिट के आधार पर ही पदोन्नति के लिये चयन किया जाता है।

(4) यह आरक्षण तदर्थ एवं आवश्यक अस्थाई आधार पर की गई नियुक्तियों में लागू नहीं होगा। यह इसलिए नहीं किया गया है कि तदर्थ/आवश्यक अस्थाई नियुक्तियां नियमित नियुक्तियां नहीं होतीं।

(5) अनुसूचित जाति/जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा जांच में नोशनल अपग्रेडिंग नहीं होगा।

(6) अनुसूचित जन-जाति के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से भरने के बजाय निश्चित अवधि तक आगे ले जाया जायेगा।

(7) यह आरक्षण जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 10 फरवरी, 1975 से लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 10-2-75 को जारी किये उसमें दो बातों की ओर माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनमें एक तो सीधी-सीधी भरती का जो प्रावधान है तो वह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है और उसके बारे में और दूसरी एडहॉक एपोइन्टमेन्ट के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही यह निवेदन किया हमारे देश में जितनी भी प्रान्तीय सरकारें हैं उनमें सिर्फ एक दो राज्य सरकारों के सिवाय किसी ने भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये इतना आरक्षण नहीं रखा है। इसमें हमारे देश में राजस्थान एक पहली स्टेट है जिसने इसमें भारत सरकार के बराबर आरक्षण किया है और बाकी की जितनी भी प्रान्तीय सरकारें हैं वह राजस्थान से पीछे हैं। जो भारत सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं उनको सभी को राजस्थान में लागू किया गया है सिर्फ 50 प्रतिशत से अधिक वाली सीधी भरती का सवाल है उसमें यह नियम लागू नहीं होंगे। क्योंकि भारत सरकार की सेवायें, जो डाइरेक्ट रिक्रूट की होती हैं उसमें भी ऐसा ही है। जहां तक

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

एड्हॉक एपोइन्टमेन्ट का सवाल है वह तो सिर्फ थोड़े से समय के लिये होती है जो कि एक महीने के लिये या दो महीने के लिये या चार महीने के लिये होती है वह स्थायी तो होती नहीं है इसलिये ऐसी पोस्ट्स के लिये, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है प्रमोशन को क्यों कि उसको चान्स दिया जाता है। एड्हॉक प्रमोशन नहीं माना है इसलिये उसमें यह आरक्षण नहीं रखा है जहां तक भारत सरकार के यहां सवाल है वहां पर तो एक लिस्ट बनती है और चूंकि वहां पर एड्हॉक प्रमोशन नहीं होते हैं इसलिये ऐसा किया गया है। भारत सरकार में कम्बाइन्ड कम्पीटिशन होते हैं। इसके अलावा वहां पर ऐसा भी किया जाता है कि जब कभी प्रमोशन का काम होता है तो जहां पर दूसरों के सी. आर. में गुड होता है तो शिड्यूल्ड कास्ट के केन्डीडेट के लिये उसको उसमें वेरीगुड दिया जाता है। एक स्टेज ऊपर माना जाता है। रोस्टर प्रणाली में और इसमें थोड़ा सा अन्तर है। वहां पर जो जनरल लिस्ट बनी हुई और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये भी एक लिस्ट अलग है, उसी में से कोटा फिक्स उतना ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने तो भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है। जैसा भारत सरकार ने छूट दी है राजस्थान सरकार ने भी वैसी ही दी है। कोई भेदभाव नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे तो यह ऐसा मालूम होता है कि जो आदेश राज्य सरकार ने जारी किये हैं उनके अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये प्रमोशन में बाधा होती है। मैं आपसे इस बारे में यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीधी भरती में जहां कि 50 प्रतिशत से अधिक हो उसमें इन जातियों/वर्गों को आरक्षण से वंचित रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में रूल्स 69 में बनाये हैं उसी के अनुसार राजस्थान को विभिन्न सर्विस रूल्स गवर्न होती हैं। मैं मंत्री महोदय को यहां पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस प्रकार सर्विसेज में फर्क पड़ जाता है। जैसे राजस्थान में आपने डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट में 50 प्रतिशत से अधिक वाले मामलों में रिजर्वेशन बंद किया है। हम देखते हैं कि अगर सीधी भरती 51 पर्सेन्ट करते हैं तो प्रमोशन कोटा में सिर्फ 49 पोस्ट्स रह जाती हैं तो उसके अनुसार हम हिसाब से 13 पोस्ट्स से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह से अगर 40 पोस्ट हों तो हम प्रमोशन के अन्दर 28 प्रतिशत वाले कोटा के हिसाब से 11 पोस्ट्स से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में आर. ए. एस., आर. पी. एस., राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स, 1954 है वह आर. ए. एस. सर्विस को गवर्न करते हैं। इसी प्रकार आर. पी. एस. को राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 से गवर्न होते हैं। इसी तरह राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस रूल्स, 1954 से राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस गवर्न होती है। इसमें ऐसा है कि

(श्री चेतराम)

67 पर्सेन्ट तो डाईरेक्ट और 33 पर्सेन्ट प्रमोशन कोटा से रिजर्व है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि टू थर्ड डाइरेक्ट और वन थर्ड बाई प्रमोशन। इस प्रकार जो 33 पोस्ट् प्रमोशन की है उसमें हम 8 या 9 पोस्ट्स से वंचित रह जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले आर. ए. एस. में प्रमोशन तहसीलदारों में से दिया गया था उसमें हमारे लोगों को प्रमोशन नहीं मिल सका। क्या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी तहसीलदार आर. ए. एस. नहीं हो सका तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ इसमें भी हम वंचित नहीं रह गये बल्कि और भी दूसरी सर्विसेज हैं उसमें भी हम वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी सर्विसेज के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा जिसमें आपने इस तरह से आदेश निकाला है, जिसके कारण हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग वंचित रह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर राजस्थान आर्कीटेक्ट सर्विसेज रूल्स (पी. डब्ल्यू. डी.) बी. एण्ड आर. 1973 में बने हैं उसके अन्दर आपने 75 प्रतिशत तो डाइरेक्ट एपोइन्टमेन्ट से रखा है और इसमें भी 25 पर्सेन्ट आपने बाई प्रमोशन से रखा है। इस हिसाब से हम इन 25 पोस्ट के हिसाब से 7 पोस्ट्स से हम वंचित रह जाते हैं। जो हमारा कोटा है उसके अनुसार हम सात पोस्ट कम पाते हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेक्नीकल एजूकेशन सर्विस रूल्स, 1973 के अनुसार, जिसमें कि लेक्चरार इन इन्जीनियरिंग, वर्क शाप सुपरिन्टेन्डेन्ट इसमें 67 पर्सेन्ट डाईरेक्टसी लेना रखा और 33 परसेन्ट बाई प्रमोशन के आपने पोस्ट्स की भर्ती रखी है तो इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, हम कोटा के अनुसार वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार आपने डिमोन्स्ट्रेटर, ड्राइंग इन्सपेक्टर, वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (इलेक्ट्रिकल) और टैक्नीशियन इसमें मशीन शाप और फिटिंग यह चार पोस्ट हैं जो कि राजस्थान टेक्नीकल एजूकेशन सबआर्डीनेट सर्विस रूल्स, 1973 के तहत आपने रखा है इसमें 75 परसेन्ट आपने डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट रखा है और 25 पर्सेन्ट आपने प्रमोशन से रखा है तो इसमें भी हमें सात पोस्ट्स से वंचित रहना पड़ता है। अब इसके आगे मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान ग्राउन्ड वाटर सबआर्डीनेट सर्विस रूल्स, 1973 के तहत चार पोस्ट हैं जिसमें आपने 75 पर्सेन्ट तो सीधी भर्ती से रखा है और 25 पर्सेन्ट आपने बाई प्रमोशन से रखा है। इसमें आते हैं एसिसटेन्ट, पम्प हेल्पर, बोस्टर, और बोरर। तो इसमें भी हम सात प्रतिशत पोस्ट्स से वंचित रह गये हैं। आगे आपने राजस्थान आयुर्वेद सर्विस रूल्स, 1973 में एसिसटेन्ट फिजीशियन रिसर्च के लिये 60 पर्सेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट और 40 पर्सेन्ट बाई प्रमोशन के रखा है तो वहां भी हम वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान सबआर्डीनेट इन्जीनियरिंग (बी. एण्ड आर.) ब्रांच रूल्स, 1973 के अन्दर आपने ट्रेसर फोरमेन के लिये 75 पर्सेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट रखा है इसके बाद में आपने राजस्थान पंचायत सबआर्डीनेट सर्विस रूल्स, 1973 में रिजर्वेशन फोर शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स में बाई मेरिट कम सीनियोरिटी। इसमें आपने लेक्यूना सिर्फ

(श्री चेतराम)

एक फार्मूला के कारण रख दिया है। इसी प्रकार आपने राजस्थान स्टेटिस्टिकल सर्विस रूल्स, 1968 में भी यही मेरिट-कम-सीनियोरिटी का रखा है यह लेक्यूना रखा है क्योंकि 75 पर्सेन्ट तो डाइरेक्ट भर्ती के तहत लेने हैं और बाकी 25 पर्सेन्ट बाई प्रमोशन के लेना है। इसके अलावा राजस्थान स्टेटिस्टिकल सबग्रोर्डीनेट सर्विस रूल्स, 1971 के तहत आपने स्टेटिस्टिकल एसिस्टेन्ट में टू थर्ड तो डाइरेक्ट रिक्रूट-मेन्ट के रखा है और 33 पर्सेन्ट बाई प्रमोशन के रखा है तो इसमें भी हम 10 प्रतिशत पोस्ट्स से वंचित होंगे।

उसी तरह से तहसीलदार सर्विस रूल्स, 1956। इससे डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट और प्रमोशन से अपोइन्टमेन्ट्स दोनों ही होते हैं। परन्तु डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट 66 परसेन्ट होता है और 34 परसेन्ट बाई प्रमोशन होता है। 34 परसेन्ट का जो प्रमोशन होता है, 10 प्रतिशत पोस्ट्स से शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स इससे भी वंचित रह गये हैं। इसी प्रकार राजस्थान माइन्स एण्ड जियोलोजी सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1960 में Rig-men के लिए सीधे 75% रखी है प्रमोशन 25% अतः 7 पोस्ट्स से वंचित रखा है।

इसी तरह से राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सबोर्डिनेट सर्विस (अमेन्डमेन्ट) रूल्स, 1973। (1) इसमें फेमिली प्लानिंग एजूकेशन एण्ड पब्लिसिटी ओफीसर 75 पर-सेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से और 25 पर-सेन्ट प्रमोशन से। (2) हैल्थ एजूकेशन एण्ड एक्सटेन्शन ओफीसर : 75 परसेन्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से और 25 परसेन्ट प्रमोशन से। (3) अरबन एक्सटेन्शन 75 परसेन्ट डाइ-रेक्ट रिक्रूटमेन्ट से और 25 परसेन्ट बाई प्रमोशन। (4) ब्लाक एक्सटेन्शन ऐजूकेटर, इसमें भी 75 परसेन्ट डाईरेक्ट रिक्रूटमेन्ट और 25 परसेन्ट बाई प्रमोशन। (5) फेमिली प्लानिंग हैल्थ असिस्टेन्ट : इसमें भी 75 परसेन्ट बाई डाईरेक्ट रिक्रूटमेन्ट और 25 परसेन्ट बाई प्रमोशन। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए था, इससे भी वंचित रह गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इनका कोडिफिकेशन किया जाय।

इसके साथ साथ सीनियोरिटी कम मेरिट और मेरिट कम सिनियोरिटी दो प्रोविजन होने के कारण इनका वायोलेशन होता है। यह भी हमें हानि पहुंचायेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरे जो प्रमो-शन्स होते हैं, एडहॉक बेसिस पर और टेम्परेरी तौर पर। पंचायत समितियों में बी.डी. ओज आठ-आठ दस-दस साल से एडहॉक बेसिस पर लगे हुए हैं। अन्य विभागों में भी ऐसा हो रहा है डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट नहीं होता है, प्रमोशन से ठीक प्रकार से मेरिट से नहीं होता है इसलिए टेम्परेरी रखना पड़ता है। दस-दस साल तक चलते रहते हैं। इस प्रकार अधिक समय एडहॉक और टेम्परेरी अपोइन्टमेन्ट प्रमोशन चलते रहते हैं, इससे भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग वंचित रह जाते हैं इसलिए यह जो लेकुना है टेम्परेरी और एडहॉक का इसको समाप्त किया जाय और जो भी एडहाक और टेम्परेरी हैं वहां पर भी आरक्षण कर दिया जाय। सर्वप्रथम प्रत्येक प्रमोशन टेम्पोरेरी एवं एडहॉक होता है।

Page No 80

(80)

(श्री चेतराम)

प्रथम अपाइन्टमेण्ट कभी भी स्थाई नहीं होता है।

पैरा 4 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि ये आर्डर्स जिस दिन से इश्यू होंगे लागू होंगे। राज्य सरकार ने 73 में ये आदेश निकाले थे। इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आर्डर के बाद भी अनुसूचित जातियों। जन-जातियों के लोगों को पदोन्नत नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ चीफ अकाउन्ट्स ऑफीसर। 'शिड्यूल्ड कास्ट केन्डीडेट्स हैं, डिपार्टमेंट मानता है। 5 केन्डीडेट इलीजिबल होते हुए भी नहीं किया है। आरक्षण 10 परसेन्ट और 5 परसेन्ट का था वहां भी एप्लीकेबल होता था लेकिन उसकी उपेक्षा की गई है। होम डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेन्ट, इलीजिबल होते हुए भी उपेक्षा की गई। जिस दिन से चौथा पैराग्राफ के अनुसार आदेश लागू होगा, राजस्थान सरकार को अर्जेस्ट वेकेन्सीज आफ अरलियर इयर्स रूल्स, 1972 राजस्थान सर्विसेज (रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन) की तरफ ध्यान देना चाहिये। जब कि राज्य सरकार ने यह सोच कर कि डी.पी.सी. नहीं हो सकी है और प्रमोशन के लिये पोस्ट वेकेन्ट थी और व्यक्ति इलिजिबल थे, अन्य व्यक्तियों के लिए आदेश निकाले। इससे इन्टरसी और इन्टररिलेटेड सिनियोरिटी में असर पड़ा है। राजस्थान सरकार ने कहा था कि प्रमोशन दे रहे हैं लेकिन दिये नहीं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह रूल्स जनरल प्रोविजन हैं उनके अनुसार भी सहूलियतें देनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री ओंकारलाल जी। केवल प्रश्न के रूप में ही पूछियेगा।

श्री ओंकारलाल (उग) : माननीय उपाध्यक्षजी, एक प्रश्न यह जानना चाहता हूं जिस तरह से डाईरेक्ट रिक्रूटमेंट में 50 परसेन्ट से आगे निकल जाता है, उसमें प्रमोशन आदि के लिए रिजर्वेशन न होने से इन लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को, होनी होती हैं, इसमें लिखा है।

"...shall be applicable to cadres, services......

इसमें यह भी कहा है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स, सेमी-गवर्नमेंट एन्टरप्राइजेज पर भी लागू होना चाहिये। 3 "The reservation shall not apply to appointments made on urgent, temporary and ad-hoc basis"

माननीय मंत्रीजी, उदार हृदय हैं, इस प्रकार अरजेन्ट टेम्परेरी एडहॉक अपोइन्टमेन्ट्स पर भी यह लागू होना चाहिये। राज्य सरकार के आम तौर अपोइन्टमेन्ट्स एडहॉक ही होते हैं। माननीय मंत्रीजी ने जवाब में कहा कि यह नियमित नहीं है। नियमित होने से क्या मतलब है? मैं यह कहना चाहता हूं नम्रता-पूर्वक कि एडहॉक अपोइन्टमेन्ट्स प्रमोशन्स 13–13 साल तक चलते रहते हैं फिर भी परमानेन्ट नहीं किये जाते और रेगुलेट नहीं होते हैं। यह आर्डर इस प्रकार से एडहॉक और टेम्परेरी पर लागू नहीं होत

(श्री ओंकारलाल)

हैं। हम यह चाहते हैं कि एडहॉक और टेम्परेरी पर भी यह लागू होना चाहिये।

जिस प्रकार से यह लिया गया है, यह न्यायसंगत नहीं है। काफी तादाद में वे लोग हैं और फायदा उठा सकते हैं। यह नहीं होगा तो वे फायदा नहीं उठा सकेंगे और उनको नुकसान होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर) : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, प्रमोशन में रिजर्वेशन किया है, उसके लिये आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन लेकुनाज हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जो प्रमोशन एड-हॉक बेसिस पर दिए जाते हैं उससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बड़ी हानि हो जाती है। आपकी डी. पी. सीज. दस दस साल से नहीं बैठी और उनके नहीं बैठने के कारण होता यह है कि आप एड-हॉक बेसिस पर जो प्रमोशन देते हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स लोग जो डिपार्टमेंट में हैं उनको इसमें नहीं लिया जाता है, जो सीनियर हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, यह बिल्कुल टेम्परेरी होते हैं और निश्चित समय के लिये होते हैं। इसको हम इसलिये नहीं मान सकते आज जो आदमी आपका चाहे वह जूनियर हो और शिड्यूल्ड कास्ट्स का सीनियर हो, जो सरक्यूलर जारी किया है उसके बाद ही उसको एडहॉक प्रमोशन दे दिया जाता है और जो सीनियर हैं उसको नहीं दिया जाता है। आपके बड़े अफसर उनको कोई भी चान्स न देकर यह कह देते हैं कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठेगी तब आप लोगों के केस पर विचार कर लिया जायगा और दो-तीन साल तक प्रमोशन कमेटी बैठती नहीं है। काम करते रहते हैं और जब कमेटी बैठती है तो यह हो गया कि इस आदमी को हमने एड-हॉक प्रमोशन दिया था इसको एक्सपीरियन्स हो गया इसलिये इसका हक प्रमोशन में ज्यादा हो गया। इस तरह जो पहले सीनियर था वह रह गया।

मेरा निवेदन है इस डिपार्टमेंटस में जब एक सीनियर आदमी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एड-हॉक बेसिस पर है आप उनको क्यों नहीं चान्स दिलाते हैं। उनको बराबर चान्स मिलना चाहिये लेकिन आपके आफिसर्स की मर्जी पर रह जाता है। आफिसर्स अपनी मर्जी से चान्स नहीं देते हैं। आपने यह सरक्यूलर जिस भावना और जिस उद्देश्य से निकाला तो सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सन्तुष्ट हुए और बड़ा बल मिला लेकिन यह धारा जो जोड़ दी है इससे बहुत बड़ी निराशा है। इसके लिये कदम उठाना चाहिये और सन्तोषजनक तरीके से हल निकालना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से फरमाया है। दरअसल जो इसमें प्रमोशन में रिजरवेशन की बात है कि एक दल के कार्यकर्ता होने के नाते तारीफ होनी चाहिये लेकिन मैं मानता हूं जिस तरह की इसकी भाषा और जिस तरह के नियमों में इफ्स एन्ड बट्स लगाकर, घोषणा में बहुत सुन्दर लगता है

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लेकिन जब इन नियमों के अनुसार एड-हॉक और टेम्परेरी, डाइरेक्ट या इन-डाइरेक्ट डिपार्टमेंट के चक्कर में आकर जब इन पर लागू होते हैं तो उनका क्लेरिफिकेशन और निर्णय करने वाले लोग ये अपने आप में मृत डाक्यूमेंट की तरह रहते हैं और जिन लोगों के हित में यह बात की गई है उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। डाइरेक्ट और डिपार्टमेंटल के चक्कर से निकल कर एड-हॉक और टेम्परेरी में, क्योंकि आज की सरकार में प्रेक्टिस यह है कि जिस इच्छित व्यक्ति को, जो मन भाता हो उसको एड-हॉक और टेम्परेरी नियमों में अलग उस बचत से उसको प्रमोशन दे दिया जाय और जब डी. पी. सी. बैठेगी तो उसके एक्सपीरियन्स को, क्योंकि एक्सपीरियन्स को क्वालिफिकेशन मानी गई है और उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा। जो मिसाल आपने फरमाया हिन्दुस्तान में राजस्थान ऐसा है तो मुझे शंका होने लगी आपको पता नहीं हिन्दुस्तान में राजस्थान के अलावा मैं समझता हूं आपको पूरी पूरी जानकारी नहीं है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा इसमें अगर और मगर, एड-हॉक और टेम्परेरी, डाइरेक्ट और इन-डाइरेक्ट इसकी परसन्टेज कम कर दें। नौकरी में प्रवेश के लिये, अपाइन्टमेंट में 28 परसेन्ट, प्रमोशन में 20 परसेन्ट कर दीजिये लेकिन जिस हालत के लोग होंगे तो उस 20 परसेन्ट में लिया जायगा।

दूसरा इसके देखने से ऐसा लगता है प्रमोशन बहुत छोटी सर्विसेज में तो देंगे लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकैक्टिव सर्विसेज हैं, जो प्रशासन की पोस्ट है उनमें इनको फायदा मिल ही नहीं सकता है ऐसी मुझे शंका है। आपने ऐसे नियम बनाये हैं कि हमको वाहवाही मिले क्योंकि भाषा ऐसी है कि इम्पलीमेन्टेशन के बाद ही उनकी ट्रिक्स का पता लगा सकते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इनको सरल बनाकर, सरलीकरण करके जिन लोगों के लिये बना रहे हैं वे समझ सकें, यह समझ कर आप करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सरक्यूलर पढ़कर सुनाया 52 परसेन्ट के ऊपर जो प्रमोशन पोस्ट हैं उसमें इसका कोटा रखा नहीं है। उसकी दलील गवर्नमेंट आफ इंडिया की दी है। हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि प्रमोशन पोस्ट में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का विकल्प नहीं है तो हम जानना चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स में प्रमोशन का जो कुछ सर्विसेज 30 परसेन्ट, 40 परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड टाइब्स केन्डीडेट्स को देना चाहता है या नहीं देना चाहती और चाहती है तो किस ढंग से ?

दूसरा यह जानना चाहूंगा यह बात सही है एड-हाक अपॉइन्टमेंट टेम्परेरी अपॉइन्टमेंट 3-6 महीने के लिये होता है लेकिन यह मैनेजमेन्ट सेम्ट परसेन्ठ उसको रीपीट करते करते 6-6, 7-7 साल तक चलाते हैं। इसको स्वीकार करने के लिये टेम्परेरी अपॉइन्टमेंट रीपीट नहीं होगा, आप क्या प्रपोज करते हैं ?

तीसरी बात मैं जानना चाहूंगा जो प्रमोशन का फारमूला बताया सीनियरटी कम मेरिट, मेरिट कम सीनियरिटी, सीनि-

(श्री पी. के. चौधरी)

यरिटी एण्ड मेरिट कम सीनियरिटी–इसको खुलासा करिये· · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : खुलासा मंत्री महोदय को भी नहीं है वे क्या खुलासा करेंगे ?

श्री पी. के. चौधरी : मेरिट कम सीनियरिटी एण्ड सीनियरिटी कम मेरिट व्हाट इज दी मेरिट और व्हाट इज दी सीनियरिटी–यह क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इसको समझना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है उनको तो समझाया जा सकता है लेकिन जो हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखें, जिनकी रेत में ही आंखे हैं उनको तो मैं समझा नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास में जो अवेलेबिल फीगर्स हैं उससे उन फीगर्स को हमने पूरे हिन्दुस्तान की सरकारों से लिये हैं और वे फीगर्स आज यह बताते हैं कि इस चीज को हिन्दुस्तान की कम सरकारों ने स्वीकार किया है दूसरों ने स्वीकार ही नहीं किये हैं या तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया है अथवा पान्डेचेरी ने किया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 8 परसेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और 7.5 शिड्यूल्ड ट्राइब्स कुल मिलाकर साढ़े बाईस प्रतिशत स्वीकार किया है। इसी प्रकार पान्डीचेरी ने साढ़े बाईस प्रतिशत स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश ने 20 परसेन्ट स्वीकार किया है, गुजरात ने 23 परसेन्ट स्वीकार किया है, हरियाणा ने 20 परसेन्ट स्वीकार किया है; गोवा, डामन और ड्यू ने साढ़े बाईस प्रतिशत स्वीकार किया है, हिमाचल प्रदेश ने साढ़े बाईस परसेन्ट स्वीकार किया है और राजस्थान ने 28 प्रतिशत स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय हिन्दुस्तान की सारी सरकारें इस प्रश्न पर अभी तक विचार कर रही हैं। हिन्दुस्तान का यह नक्शा है· · ·

(व्यवधान : व्यवधान)

सुनने की कोशिश करें। मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, तथ्य दे रहा हूं। इसके अलावा हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। यह हार्ड फैक्ट है। इस देश की कई प्रगतिशील सरकारों ने स्वीकार नहीं किया है—आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तामिलनाडू, मध्य प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, नागालैण्ड—इन्होंने अभी तक कोई विचार नहीं किया है यह आपकी सरकार है जिसने 1951 के अन्दर यह शुरूआत की थी। फार 'आल स्टेट मिनिस्ट्रियल एण्ड सबऑर्डीनेट सर्विसेस 12½ परसेन्ट' फार आल क्लास फॉर सर्विसेस 15 परसेन्ट—इसको राजस्थान गवर्नमेन्ट ने 1971 में रिवाइज किया और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 17 परसेन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 11 परसेन्ट कर दिया याने एग्रीगेट 28 परसेन्ट का किया है। 1973 में हमने रोस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्यूज करके इसकी गारन्टी दे दी। इसके बाद में यह कहना कि राजस्थान सरकार तो वैसे हो कर रही है और

(श्री हरिदेव जोशी)

हिन्दुस्तान का नक्शा दूसरा है तो मैं समझता हूँ कि आपके हिन्दुस्तान का नक्शा दूसरी तरह का है और राजस्थान सरकार का दूसरी तरह का है। तो मैंने इस सदन में वचन दिया था और वह यह था कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने जो सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया है प्रमोशन के अन्दर भी रिजर्वेशन का उसको हमने उसी रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न यह आता है कि जिन सर्विसेस के अन्दर 50 परसेन्ट वह हो जाता है उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का सरकुलर है उसको भी आप देख लीजिए। उसमें यह है––

'Promotion through limited departmental competitive examination

Reservation to the extent of 12½% and 5% of vacancies for Scheduled Castes/Scheduled Tribes respectively, in promotion was added to Class II services also in which the element of direct recruitment, if any, does not exceed 50 per cent."

यह गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का सरकुलर है।

"Promotion by Selection Metood"

"One grading higher than the grading otherwise assignable to them on the basis of their record of service."

तीसरा है।

"Promotion by Seniority-cum-merit"

यह गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का है। यह क्यों है इसको भी समझ लीजिये। सुप्रीम कोर्ट ने इन दी केस आफ बालाजी केस ए.आई.आर. 1964 एण्ड देवदासन केस आफ 1963 के अन्दर फैसला किया है और यह कहा है।

"care should be taken not to provide for unreasonable, excessive or extravagant reservation."

सुप्रीम कोर्ट जो कहता है और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने जो कहा है उससे डेविएट होने की बात है और वह अनकान्सटीट्यूशनल और इल्लीगल नहीं होता है वो।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को एक प्रकार से इस बात का सन्देह होना कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो बात राजस्थान गवर्नमेंट ने लिटरली उसी रूप में स्वीकार किया है। अब सन्देह यह पैदा होता है कि एड-हॉक डिपार्टमेन्टल प्रमोशन को प्रमोशन माना जाये। सही बात यह है कि जो डिपार्टमेन्टल प्रमोशन है वह वेकेन्सी को फिल-अप किया जाता है, वह प्रमोशन नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो यहां से गया उसको हम एकदम किसी आदमी को यहां तो सीनियोरिटी में रख देते हैं उसमें यह नहीं देखते कि प्रमोशन के लिए हकदार कौन है। जितने सीनियर मैन होते हैं सीनियोरिटीकम मेरिट और शिड्यूल्ड कास्ट को और उसको हम एग्जामिन

Page No 85

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं करते हैं क्योंकि इट टेक्स टाइम। इसलिए सीनियर मैन को कर लिया जाता है। माननीय सदस्यों को पता है कि आज से 5 साल पहले वाली बात तो मैं मान सकता हूं लेकिन आज की बात क्या है और माननीय सदस्यों को पता है। हम डे टू डे डी.पी.सी. कर रहे हैं और डी.पी.सी. में हम अप-टू-डेट हैं। यह सिस्टम अब बराबर चालू रहेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर भी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जिसमें यह खतरा हो सकता है कि 6 महीने से आगे वह और रिपीट नहीं हो और इसके अन्दर हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। डिपार्टमेन्टल अपाईन्टमेन्ट 6 महीने से आगे किस प्रकार से सेव करें कि वह नहीं हो इसको जरूर देखेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात से सन्तोष होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के साथ खड़े होने पर) I close it. No further questions please. Have your seats.

Order please, Order, Order.

Order please.

(शोरगुल)

आप विराजिये।

Order please. I shall not allow now.

(व्यवधान)

I have closed it.

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि मैं इसको क्लोज कर चुका हूं।

श्री चेतराम : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

आप विराजिये।

माननीय वित्त मंत्री जी। विधायी कार्य।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा नहीं हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : I have closed it. I have requested the hon. Members and you also.

श्री पी. के. चौधरी : वेटेज के सवाल का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : I have closed it.

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से प्रश्न हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समाप्त कर चुका हूं इसको। आप विराजिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं विराजता तो रहता ही हूं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रश्न हम पूछना चाहेंगे और माननीय दूसरे सदस्य भी पूछना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

आप (श्री मूलचन्द सामरिया) विराजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके हुक्म का सबसे ज्यादा मैं पालन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

माननीय वित्त मंत्री जी।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975

श्री चन्दनमल बैद (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक आज विचारार्थ सदन के सामने प्रस्तुत है। कई दिनों से हम लगातार बजट के बारे में अपने विचार यहां प्रस्तुत करते आये हैं और उपाध्यक्ष महोदय, उस सन्दर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये। आज इस प्रसंग में सबसे प्रथम तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे विभाग राजस्थान के हैं जिनके बारे में किसी प्रकार का विचार प्रशासन के स्तर पर नहीं हुआ और देवस्थान विभाग उनमें से एक है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जितने मन्दिर हैं, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बनने के बाद में जो पब्लिक टैम्पल्स की डेफीनेशन में आते हैं उसका प्रबंध करने के लिए, सुचारु रूप से उनका संचालन करने के लिए, समिति की नियुक्ति करने का राज्य सरकार का कर्तव्य है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। देवस्थान महकमे में केवल व्यक्तिगत झगड़े, जो व्यक्तिगत रूप से प्रोपर्टी के बारे में, टैम्पल्स के बारे में होते हैं उसके बारे में होते हैं उसके बारे में राज्य सरकार का सिर्फ देवस्थान विभाग विचार करता है लेकिन अन्य सार्वजनिक मंदिरों के बारे में देवस्थान का महकमा और इस विभाग से अभी तक किसी प्रकार की प्रबन्धक कमेटी, मैनेजिंग कमेटी बनाने का कहीं पर भी कोई प्रसंग नहीं है। यद्यपि इस एक्ट को प्रारम्भ हुए मेरे खयाल से 15 साल से अधिक हो गए हैं। इस संदर्भ में मैं उदयपुर के ऐतिहासिक केसरियानाथजी के मंदिर का उदाहरण दूंगा। यह राजस्थान ही नहीं••

श्री दिनेश राय डांगी : ऋषभदेवजी का मंदिर है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : केसरियाजी भी कहते हैं। इस केसरियाजी के मंदिर, ऋषभदेवजी के मंदिर के सम्बन्ध में आपके

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सामने निवेदन करूंगा। इसके मैनेजमेंट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत प्रमुख रूप से भारतवर्ष के अन्दर जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसके बारे में बार बार राज्य सरकार से प्रयास किया गया है कि यहां पर सुचारु रूप से मैनेजमेंट हो, इसके लिए कमेटी नियुक्त की जावे। मुझे दुख है कि आज तक राज्य सरकार ने इसकी मैनेजमेंट के लिए राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के नीचे किसी प्रकार की कमेटी नियुक्त नहीं की और इसके कारण वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर जो सरकारी महकमे के लोग हैं वह वहां के मंदिर के आभूषण, मंदिर के अन्दर जो अन्य प्रकार के जेवर रखे हुए हैं उनको कभी बेच कर, कभी रहन रख कर और इस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं। यह तो मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया है, सर्वभूतेषु देवस्थान महकमे में कुव्यवस्था है, कुप्रबन्ध है और अकर्मण्यता तो इतनी है कि एक्ट में प्रावधान होने के बावजूद भी इसके बारे में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं मांग करूंगा राज्य सरकार से कि वहां पर एक कमेटी राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बनाई जावे जिसमें उस मंदिर से मान्यता प्राप्त जो भी घटक हैं उनके प्रतिनिधि उसमें हों और अन्य जो प्रावधान कानून के अनुसार हैं उनके अनुसार उनका गठन किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर देवस्थान महकमे की जब मैं बात करता हूं, जिस प्रकार की घोर अव्यवस्था की बात करता हूं तो एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं। जोधपुर नगर के अन्दर देवस्थान महकमे के अन्दर जो वहां पर आयुक्त, सरकारी आयुक्त के रूप में जो सहायक देवस्थान आयुक्त हैं, वह आर.ए.एस. की पोस्ट है, वहां पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी होना चाहिए लेकिन ए. भंवरलाल श्रीमाली बहुत समय से वहां पर बिना क्वालिफिकेशन के, अनक्वालिफाइड होते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी की तो बात ही क्या, हिन्दी लिखना भी नहीं आता परन्तु केवल किसी प्रभाव के कारण, किसी दबाव के कारण या अन्य कारणों से वह आज तक वहां पर विद्यमान हैं और जब जब उनका ट्रांसफर होता है, उनका स्थानान्तरण होता है यहां पर आकर सेक्रेट्रियेट के चक्कर लगाते हैं, मंत्री महोदय के बंगलों के चक्कर लगाते हैं प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर और कैंसिल करा कर वापिस चले जाते हैं। वहां पर जसवन्तसराय जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण सराय है, जिसके चारों तरफ दुकानें हैं, रेंट पर देने के बारे में, किराये पर देने के लिए उनको अस्त व्यस्त करना प्रारम्भ कर दिया है, देवस्थान विभाग की प्रापर्टी को जोधपुर में कहीं पर बेचा जा रहा है और कहीं पर बहुत कम दरों पर किराये पर देकर इस प्रकार से सारी अव्यवस्था फैली हुई है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि क्वालिफाइड परसन को नहीं लगा कर, वहां पर इस प्रकार से राज्य सरकार धांधली कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो एक दो उदाहरण मैंने दिये हैं लेकिन सर्वतोमुखी देवस्थान महकमें में जिस प्रकार की अक-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मंगरता फैली हुई है उसको दूर करना चाहिए।

इसके साथ ही सिविल डिफेंस की बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सिविल डिफेंस हमारा एक महत्वपूर्ण विभाग है और खास तौर से जोधपुर की बात करूंगा कि जोधपुर में जब जब बम्बार्डमेंट होता है या अन्य अटैक होते हैं तो यहां पर प्रथम सिविल डिफेंस का प्रोपर अरेंजमेंट होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब बम्बार्डमेंट के कारण आग लगती है और फायर ब्रिगेड आता है तो जब तक पानी के नलों की वहां पर व्यवस्था नहीं हो और इस प्रकार के स्थान स्थान के ऊपर हाईड्रेंट, पब्लिक हाईड्रेंट नहीं हों जिनको खोल करके पानी फायर ब्रिगेड ले सके और आग बुझा सके और बम्बार्डमेंट के समय काम कर सकें, जब तक पब्लिक हाईड्रेंट की व्यवस्था नहीं हो तब तक सही काम नहीं कर सकेगा। इसके बारे में कई बार जिलाधीश को ध्यान दिलाया गया पानी के लिए लेकिन आज तक जोधपुर नगर, जयपुर या अन्य सिविल डिफेंस की दृष्टि से फायर ब्रिगेड को पानी देने के लिए या बम्बारी की दृष्टि से अन्य किसी प्रकार का वहां पर कोई प्रावधान नहीं किया गया, न पब्लिक हाईड्रेंट बनाए गए।

इसके अलावा एयर रेड सेंटर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कान्फ्लिक्ट के टाइम पर भारत पाक सीमा पर बम्बारी होती है, राजस्थान भारत पाक सीमा पर है और इसके लिए आवश्यकता है कि राजस्थान के सारे प्रमुख स्थानों पर जो एनीमीज का टार्जेट है, आसपास आर्मी रहती है या किसी प्रकार का कोई हवाई मैदान है, एरोड्रोम बने हुए हैं उन सारे स्थानों पर सब जगह पर एयर रेड सेंटर्स बनने चाहिए और इसके बारे में सिविल डिफेंस का इन्तजाम करना चाहिए। इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि हम सिविल डिफेंस के महकमे को उस समय देखते हैं जब बमबारी प्रारम्भ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और वार डिक्लेयर हो जाती है उस समय हम येनकेन प्रकारेण किसी व्यक्ति को लाकर सिविल डिफेंस में लाकर बैठा देते हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार सिविल डिफेंस एक्टीविटिज को केवल वार के समय लेती है और उनको अभी तक···

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम बेल बजाइये।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति होने पर)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष, सदन में घोषणायें कर दी जाती हैं, आयोग और कमीशन बिठा दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद वर्षों तक उनके प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं।···

श्री सांवरमल मोर : आज तो गामा पहलवान की तरह हो रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा :···मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर उदयपुर में स्कूटर काण्ड का एक आयोग बिठाया गया। उसकी रिपोर्ट के लिए बार बार सदन में कहा गया है लेकिन आज तक उदयपुर स्कूटर काण्ड में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जिस समय उदयपुर के अन्दर कई व्यक्ति मारे गए, उस सारे रहस्य को किस प्रकार से वहां का लाइसेंस दिया गया, किसी प्रकार वहां पर स्कूटर की अप्लीकेशन देते समय और मगनमल प्रोपराइटर के प्रश्न पर, मैनेजमेंट द्वारा गड़बड़ करने के प्रश्न पर, वह मैनेजमेंट किस का था इस सारे तथ्य के लिए राज्य सरकार ने कमीशन बिठाया था लेकिन आज दिन तक सदन के माननीय सदस्यों को रिपोर्ट नहीं दी गई, न उसको प्रकाशित किया गया। इससे स्पष्ट लगता है कि राज्य सरकार इसको छिपा कर रखना चाहती है, दबाना चाहती है और इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार के खिलाफ बातें हैं; बड़े व्यक्तियों के खिलाफ या यहां के मंत्रि-मण्डल में जो पहले थे और अब कहीं पर हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से किसी प्रकार की फाईडिंग होनी चाहिए, अन्यथा राज्य सरकार को चाहिए कि स्कूटर काण्ड की रिपोर्ट को सदन के सामने रखे और सदन के माननीय सदस्यों को यहां पर विचार करने का मौका दें।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कई आयोग यहां पर बिठाए गए और बार बार अनेक प्रयास करने के पश्चात् भी उनकी रिपोर्ट माननीय सदस्यों को नहीं दी गई और न उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज तक कई सालों से कहने के बाद भी हमारी आवाज नहीं सुनी गई। यहां पर बेरी आयोग की रिपोर्ट आई लेकिन आज तक इम्पलीमेंट नहीं किया गया। बेरी आयोग द्वारा जो लोग दोषी ठहराए गए उनको आज तक न तो सस्पेंड किया गया, न किसी प्रकार की कार्यवाही की गई, न उसकी रिकमण्डेशन्स को इम्पलीमेंट करने की कार्यवाही की जा रही है। इसका अर्थ यह होता है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जो लाखों रुपये इस बारे में खर्च करते हैं, कभी छंगाणी आयोग हो, चाहे गट्टानी आयोग हो, चाहे बेरी कमीशन बैठायें और चाहे जोशी कमीशन बैठायें लेकिन उस कमीशन को बिठाने में जो खर्चा होता है उस खर्चे का उपयोग क्या हो रहा है? इसके विपरीत होता यह है कि एक शोक एब्जार्बर की तरह जब जनता का आक्रोश उमड़ता है तो और उस समय सरकार खून करती है; लाठी गोली चला कर हत्या करती है; इस प्रकार से जो गबन और घोटाले करती हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए केवल कमीशन बिठा दिए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां, पर भीलवाड़ा में एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ डाक्टर का। एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मारा गया, उस बात को लेकर फायरिंग हुआ और कुछ व्यक्ति मारे गये, इसके लिए कमीशन बिठाया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज वहां की इन्क्वायरी करेंगे लेकिन आज तक भीलवाड़ा में इन्क्वायरी प्रारम्भ नहीं हुई। भीलवाड़ा के आयोग का गठन हुए चार छः महीने हो गए हैं लेकिन घोषणा होने के बाद में भी आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही की गई, न वह जांच आयोग-डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल सेशन जज जो भी थे उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया है, न किसी प्रकार की कार्यवाही हो रही है। हुआ यह है कि जिन व्यक्तियों को पहले ट्रांसफर कर दिया था, लाईन हाजिर कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिया गया था, कुछ व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई थी, उनको वापिस रीइंस्टेट किया जा रहा है, ड्यूटी पर रिवाईज किया जा रहा है, रीइन्स्टेट किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारो को सारी बहुत सारो बातें हैं जिनमें सरकार एक्सचेकर का अनाप शनाप खर्चा करती है लेकिन उसके बाद उसका कोई उपयोग न हो तो मैं समझता हूं कि यह एक व्यर्थ के अन्दर कामनमैन पर बहुत बड़ा बोझ होगा।... इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को इसके बारे में व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिये कि आज तक दस सालों में जितने कमीशन बिठाये उन कमीशन्स ने क्या रिकमण्डेशन दी हैं और किस प्रकार से उन रिकमण्डेशन को इम्पलीमेन्ट किया है? अगर नहीं इम्पलीमेन्ट किया है तो क्या कारण रहा? इसका मंत्री महोदय जवाब दें। इसी तरह से बेरी कमीशन है, उसके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में बतावें संगानी कमीशन है उसके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में बतावें। इसी प्रकार से भीलवाड़ा में गोली चलाने की घटना पर कमीशन बिठाया गया था, इस कमीशन को रिकमन्डेशन पर क्या कार्यवाही हुई इसी प्रकार से जोधपुर में एक कांड हुआ था और हुआ कमीशन उस पर जांच के लिए बिठाया गया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई? इस तरह एक नहीं अनेक कमीशन आपने बिठाये है। जोधपुर में दो लाख के केरोसीन का स्केन्डल हुआ। इसके बारे में भी राज्य सरकार ने एक इन्क्वायरी बिठायी थी। उसकी जो रिपोर्ट है, क्या कार्यवाही आपने उस पर की है? तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इन सब को लिपिबद्ध कर के, उनकी रिकमण्डेशन किस प्रकार की आयी है, कब इम्पलीमेंट हुई, इसके बारे में सदन को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये। यह व्यर्थ का खर्चा पब्लिक एक्सचेकर पर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर, जनता के सामने घोषणाएं की जाती हैं, इन घोषणाओं की पूर्ति न हो तो जनता को बड़ी निराशा होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राज्य सरकार कभी मजदूरों के बारे में घोषणा करती है एक कानून बनाने वाला है। मजदूरों को लाभ में भागीदार बनाना चाहिये। मेनेजमेंट में आपने उनको भागीदार बनाया है परन्तु आपने यह आवश्यकता नहीं समझी कि प्राफिट में भी उनका शेयर डालना चाहिये। हो सकता है कि आज लास है। बोनस के बारे में आप कह सकते हैं। परन्तु इसमें तो केन्द्र का कानून है। इसके लिए राज्य सरकार क्रेडिट नहीं ले सकती है। आप इसकी पालना कर लें, यही बड़ी बात होगी। प्राफिट में, मेनेजमेंट में उनको साथ में रखना चाहिये। यह कानून नहीं बनाया है आपने। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जो भी प्राईवेट सेक्टर है, उनमें एक्सप्लाईटेशन किया जा रहा है। अभी भी उदयपुर में इलेक्ट्रिसिटी का काम एक प्राईवेट कम्पनी द्वारा चल रहा है। माउन्ट आबू में भी इलेक्ट्रिसिटी का काम प्राइवेट कम्पनी द्वारा चल रहा है। ये प्राईवेट कम्पनियां जनता का शोषण करती हैं। मनमाने ढंग से दरें बढ़ा देती हैं, मनमाने मीनिमम चार्जेज लेती हैं। मैं यह निवेदन करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
चाहूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड को इन कम्पनियों को टेक अप करना चाहिए। चाहे वह माउन्ट आबू की कम्पनी हो, चाहे उदयपुर की कोई भोपाल इन्जीनियरिंग कम्पनी हो और चाहे अन्य कोई कम्पनी हो, इलेक्ट्रिसिटी इसोन्शियल है और यह प्राईवेट सेक्टर में नहीं रहनी चाहिये। इनको टेक अप करने पर ही जनता का शोषण बंद हो सकेगा। राजस्थान सरकार इन कम्पनियों को टेक अप करने की घोषणा कई बार कर चुकी है। जहां कहीं भी, जो भी मंत्री आता है, किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी मंत्री इस विभाग के रहे हैं, वे फंक्शन में घोषणा करके आ जाएंगे परन्तु उस घोषणा का वरसों तक इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो पाता है। यह कम्पनी आज तक माउन्ट आबू में जनता का शोषण कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से इनको टेक अप करना चाहिये और राज्य सरकार को ये कम्पनियां चलाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से और ये फालतू खर्चे चल रहे हैं उन पर रोक लगाना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में फिर से कोरम नहीं है। ...

(गणपूरक घंटी)

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : (कोरम के पश्चात्) : शुरू कीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है आज हमारे माननीय सदस्यों को वित्त मंत्री से ...

श्री चन्दनमल बैद : आपके सदस्य भी नहीं हैं। घूम कर तो देखिये।

एक माननीय सदस्य : केवल एक ही हैं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक ही पर्याप्त है ....

श्री चन्दनमल बैद : एक ही रहेंगे ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक ही अनेक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता के साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही है। जोधपुर की जनता के लिए आज से दस साल पहले यह घोषणा की गई थी – जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाना लगाने की घोषणा की गयी थी। सभी प्रकार के आयोजन इसके लिए किये गये। परन्तु आज तक वहां पर ट्रैक्टर फैक्टरी की शुरूआत तक नहीं हुई। वहां पर ट्रैक्टर फैक्टरी का बोर्ड लगा दिया गया है इसके लिए साइट सिलेक्ट कर दी गई। आज भी जोधपुर के इन्डस्ट्रीयल एरिया में ट्रैक्टरों फैक्टरी का स्थान सुरक्षित है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, राजस्थान सरकार की तरफ से ट्रैक्टर फैक्टरी का बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, जो अभी भी विद्यमान है। दिल्ली के अन्दर एक एग्जीबिशन हुई – राजस्थान के अन्दर जो ट्रैक्टर बनेगा उसका एक नक्शा बनाकर उस एग्जीबिशन में रखा गया और दुनियां के लोगों को यह बता दिया कि राजस्थान में इस प्रकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का ट्रैक्टर बन रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दस साल के अन्दर, आज तक जोधपुर में ट्रैक्टर बनाने के लिए आपके विभाग में क्या प्रगति है ? चाहे वह एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन हो, चाहे वह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट हो, चाहे कोई भी विभाग हो, यह राजस्थान सरकार का अन्दरूनी मामला है। लेकिन क्या यह सही है, कि यह थोथी घोषणा जनता की आंख में धूल झोंक कर वोट प्राप्त करने के लिए की गई थी ? इस तरह आप जनता को खुले आम धोखा देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं और केवल मात्र वोट प्राप्त करने के लिए जोधपुर को जनता को आपने यह थोथी घोषणा कर दी कि जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री खोल रहे है। इस प्रकार से आप जनता के साथ में दगाबाजी नहीं कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र मे एक प्रश्न आया था और उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने यह फर्माया था कि हम इसके लिए पेरिस गये थे परन्तु पेरिस में एग्रीमेन्ट नहीं हो सका। उसके बाद में यह पूछा गया कि स्थिति क्या है ? तो यह बताया गया कि इसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह घोषणा की थी कि राजस्थान में यहां यहां सीमेन्ट की फैक्ट्री लग रही है और राजस्थान का इन्डस्ट्रियल बेस बहुत ही मजबूत हो गया है। सीमेन्ट, राजस्थान में इतना पैदा होने लग जायेगा कि राजस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेन्ट उत्पादक प्रान्त हो जायेगा। ऐसी थोथी घोषणायें आप हमेशा करते रहते हैं और जनता को भुलावे में डालते रहते हैं। इसी तरह से जोधपुर में 67 में एक स्कूटर फैक्ट्री खोलने की घोषणा की थी। इस स्कूटर फैक्ट्री की घोषणा होने के बाद भी आपने उसको वहां पर नहीं लगाया है। क्या स्थिति रही यह आप जानते हैं। परन्तु इस प्रकार की राजनैतिक ईमानदारी भी आप में नहीं है कि खड़े होकर कह दें कि ट्रैक्टर फैक्ट्री को स्क्रेप कर दिया है। इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है। इतनी निडरता नहीं है। आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपको इन सबके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, बताना चाहिए। जोधपुर में जो ट्रैक्टर फैक्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है, उसको आप आग लगा दें, जला दें। अगर आप ट्रैक्टर फैक्टरी जोधपुर में लगाना चाहते हैं तो कहिये, कब तक आप लगा सकते हैं, 6 महीने में, 12 महीने में, दो साल में ट्रैक्टर फैक्टरी आप जोधपुर में लगा सकते हैं। यह कहना चाहिये। वहां पर जमीन पड़ी हुई है और लोग चिल्ला रहे हैं और वहां बरकत साहब घोषणा करके गये थे। उनकी आत्मा भी चीख रही है—"मेरे सक्सेसर मेरी घोषणा को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज दस साल हो गये। मेरे साथी, मेरी पार्टी के लोग जनता को धोखा दे रहे हैं। आप जनता को अधिक समय तक गुमराह नहीं कर सकते। मुझे जवाब देना है अल्लाह को इन घोषणाओं के बारे में कि क्या क्या अमल हुआ है।" घोषणा करने के बाद, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्टरी खोलने के बारे में एक निश्चित जवाब मंत्री महोदय इस सदन में दें। इस सम्बन्ध में एक मोशन भी मैंने दिया था और अध्यक्ष महोदय ने यह आज्ञा दी थी कि एप्रोप्रिए-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
इस बिल के समय इसका मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जवाब देंगे और ट्रैक्टर फैक्टरी के बारे में निश्चित रूप से, ईमानदारी के साथ सही बात कहेंगे। यदि सरकार की मंशा नहीं है लगाने की, या ऐसी कोई कठिनाई है जिसके कारण इस काम को ड्राप कर दिया है तो स्पष्ट रूप से खड़े होकर कहें कि हम ने इसको ड्राप कर दिया है और जनता को भुलावे में नहीं रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर वायरलेस स्टेशन को एक्सपेन्ड करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 50 लाख रुपये की एड देने की घोषणा की है।

लेकिन हमारी निकम्मी राजस्थान सरकार उनको जमीन एलाट नहीं कर सकी। और बार-बार कहा गया। रामनिवासजी मिर्धा ने घोषणा की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम चाहते हैं कि यहां पर ट्रान्समिटिंग सेन्टर है उसको बढ़ाये। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, लेकिन राजस्थान सरकार जमीन नहीं देती है। आज राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकी है। राजस्थान सरकार को 50 लाख रुपये मिलेंगे जिससे एम्प्लायमेंट खुलेगा और बिल्डिंग बनेगी, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है कि उसने कुछ नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि इस प्रकार की कोई स्कीम है जिसमें जमीन के एलाट करने की बात थी। केन्द्र की रकम को आप प्राप्त नहीं कर सकते। वह लेप्स हो जाती है। यहां पर घोषणा करते हैं कि यह इन्डस्ट्री लगा रहे है, यह विकास कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा फ्रांड और धोखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डिफेन्स की दृष्टि से बाउन्ड्री पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। उसके लिए मैं अलग से कहूंगा, लेकिन यहां पर भी राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह सौभाग्य समझिये या दुर्भाग्य समझिये कि पाकिस्तान का हमला हुआ और डिफेन्स रोड्स बनी थोड़ी बहुत, वरना आवागमन का साधन बिल्कुल अवरुद्ध था। दुनिया जानती है और जान रही है कि न वहां पर सड़क का इन्तजाम है न पानी का इन्तजाम है और न किसी प्रकार का प्रबन्ध है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपने वहां पर पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं किया है। आज भी जो सीमा पर पड़े हुए हैं वे तम्बुओं में पड़े हुए हैं। उनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, जमीन का एलाटमेंट नहीं है, उनको नागरिकता के अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिकमन्डेशन नहीं। इसी प्रकार से जो खाद्यान्न उनको देते हैं वह पर्याप्त नहीं देते हैं, और वह नारकीय जीवन वहां पर बिता रहे हैं। राजस्थान सरकार विधान सभा में यह कहकर समझाने का प्रयास करती है कि समुचित प्रबन्ध कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
दिया है तो वह जनता को धोखा देने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जितनी नीतियां हैं, जो घोषित नीतियां आपने बताई हैं, वैसे कहने को तो हमेशा प्रगति और समाजवाद की बात कहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात की शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में कॉल अटेन्शन मोशन था। मैंने इसलिए इन्टरप्ट नहीं किया क्योंकि काल अटेन्शन मोशन समाप्त हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं एडहॉक या टेम्पोरेरी चीज क्या है? यह कपटद्वार है। सारी सर्विसेज में कपटद्वार रखे हैं। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिग बास्ज या ब्यूरोक्रेसी अपने चहेतों को किसी भी राजनैतिक कारण से, भाई-भतीजावाद के कारण, सुख-सुविधा का कारण हो, किसी कारण से अपने किसी व्यक्ति को प्रोमोट करना है तो बैक डोर से उसका एडहॉक एपाइंटमेंट कर देते हैं। एडहॉक के नाम पर बड़ी धांधली होती है। अभी मैं कह चुका हूं कि सीनियोरिटी के मैटर्स में एपाइन्टमेंट देंगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में लिटिगेशन में आते हैं तो मैं मानता हूं कि 50 से 60 पर्सेन्ट वहां पर इस तरह के होते हैं कि सीनियर को छोड़कर जूनियर को एपाइंटमेंट दे दिया ताकि उसका क्लेम बन जाय 6–12 महीने काम कर ले तो एडहॉक एपाइंटमेंट की व्यवस्था समाप्त कर दें। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोग पीड़ित हों वह स्थिति बनती हो ऐसा नहीं है, बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, डाक्टर्स, लेक्चरार्स सर्विसेज में सब जगह लोग परेशान हैं। कान्स्टीट्यूशन के आर्टीकल 309 के अन्दर एक्ट बनाना चाहिए लेकिन अभी तक आप रूल्स बना रहे हैं और रूल्स में एमेंडमेंट गवर्नर महोदय निकाल सकते हैं। आप जिस किसी व्यक्ति को रखना चाहते हैं और उसकी जैसी क्वालिफिकेशन होती है उस क्वालिफिकेशन के आधार पर नोटिफिकेशन निकाल कर राज्यपाल महोदय से एमेंडमेंट करा देते हैं रूल्स में। सैंकड़ों रूल्स बने हुए हैं। इतने रूल्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सर्विसेज के मामलों में कि न तो विभाग वाले जानते हैं और न एम्प्लाइज ही जानते हैं। कहीं पर सीनियोरिटी डेट आफ एपाइन्टमेंट से होती है और कहीं पर सीनियोरिटी होती है डेट आफ कन्फर्मेशन से। कहीं पर एडहॉक मान लिये जाते हैं। इतने घपले रूल्स के मामले में सर्विसेज के अन्दर हैं कि जिसके कारण से सारे के सारे राजस्थान के कर्मचारी, राजस्थान के एम्प्लाईज पीड़ित हैं, और उनको हमेशा ब्यूरोक्रेसी की ओर देखना पड़ता है, बड़े अफसर की ओर कि किस प्रकार से और प्रोमोशन दें या न दे यह उनकी मर्जी की बात है। कान्स्टीट्यूशन के 309 के प्रावधान का राजस्थान सरकार ने आज प्रयोग क्यों नहीं किया? राजस्थान विधान सभा ने अपने अधिकार का प्रयोग करके राजस्थान की सर्विसेज के लिए राजस्थान सरकार ने एक सेन्ट्रल एक्ट (स्टेट एक्ट) क्यों नहीं बनाया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बनाया जाना चाहिए और इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि सीनियोरिटी का यह क्राइटेरिया होगा चाहे एग्रीकलचर डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हैल्थ डिपार्टमेंट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हो, चाहे वाटर वर्क्स हो चाहे कहीं पर हो, सीनियोरिटी फिक्स हो जायगी अपने आप में और कोई डिस्क्रीशन नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। इसलिए, यह राजस्थान विधान सभा की ओर से सर्विसेज के मामले में एक्ट बनाना बहुत आवश्यक है, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं।

और इसके साथ ही, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ था तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी थी कि पंचायतों के मामले में विरोधी पक्ष के लोगों से मिलजुल कर बातचीत करके विधान सभा के सत्र की समाप्ति के पहले-पहले घोषणा करेंगे। सत्र की समाप्ति लगभग नजदीक आ रही है लेकिन आज तक विरोधी पक्ष के लोगों के साथ में इसके बारे में बातचीत नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे नगरपालिकाएं हों, चाहे पंचायतें हों, जितनी भी लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के चुनावों के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लिया जाना चाहिये और सदन में घोषणा करना चाहिये इसके बारे में। हर मामले को विचाराधीन करने का तरीका यह किस युग का कहां से लेकर आये हैं? चाहे चुनावों का मामला हो विचाराधीन रहेगा, चाहे शिक्षकों के ग्रेड इन्क्रीमेंट का मामला हो, नवीन वेतन देने का मामला हो, विचाराधीन रहेगा। इस 'विचाराधीन' से सारे राजस्थान के लोग परेशान हो रहे हैं। यह परेशानी बार-बार आती है। आज मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसको समाप्त किया जाय। आज शिक्षा मंत्रीजी के साथ वित्त मंत्रीजी भी हैं। जब तक वित्त मंत्रीजी खजाना नहीं खोलते हैं तब तक शिक्षा मंत्री भी अध्यापकों को वेतन नहीं दे सकते हैं। जब वेतन नहीं दे सकते हैं तो वे धरना देते हैं। एक्जाम होगा या नहीं इसके बारे में अस्थिरता रहती है। लाखों विद्यार्थियों की आंखे विधान सभा की ओर लगी हुई हैं कि कब निर्णय होता है। केबिनेट की मीटिंग आज हो रही है इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं तो इस अस्थिरता को समाप्त करना चाहिये। अस्थिरता को समाप्त कर सदन में स्पष्ट करना चाहिये।

यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि···

(3.05 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

आपने इस सारी बहस के अन्दर जो अब तक हुई है लेवी के बारे में कोई निश्चित नीति की घोषणा नहीं की। हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर सारे किसानों की नजरें हैं और उस पर हमारी खाद्य नीति थी, और खाद्य-नीति के साथ में उपभोक्ताओं के पास पहुंचने वाला धान यह सब के सब आधारित हैं। हम बारबार कहते हैं कि जबरन लेवी लेने का तरीका गलत है। राजस्थान के अन्दर अधिकतर किसान छोटे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिये। अगर सीलिंग का सही रूप से पालन हुआ है तो कोई बड़ा भू-स्वामी नहीं बनता है और सीलिंग की अवहेलना होती है तो बड़े भू-स्वामी होते हैं तो उनकी पर्सेन्टेज 5 पर्सेन्ट हो सकती है। सिवाय इन लोगों के सीलिंग के अनुसार जिनके पास जमीन रखी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
है तो उसमें उतना ही धान पैदा होगा कि जिससे वह अपना गुजर-बसर कर सके। सीलिंग की जमीन के अन्दर जितना धान पैदा होता है वह उनके पास रहना चाहिए। मैं सवाई माधोपुर के पास में एक गांव में गया था जहां पर लेवी के मामले को लेकर··.

एक माननीय सदस्य : सीलिंग का नोटिस हरिजनों को मिलेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह मीणा जाति के लोगों का गांव है। वहां पर गया था। उन झोपड़ों के अन्दर न तो राजा रहते हैं, न महाराणा रहते हैं, न रावराजा रहते हैं न जागीरदार रहते थे, न छुटभइया रहते थे। वहां पर छोटी मीणा जाति के लोगों के झोपड़े थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन झोपड़ियों के तार-तार बिखर रहे थे। वहां पर हवा में फाइरिंग करके औरतों को बांध बांध करके गांवों के बीच उनके हाथ-पैर बांध कर, अश्रुगैस और लाठी चलाकर उनसे लेवी वसूल की गई। मैं उसके वर्णन में जाना नहीं चाहता, लेकिन, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि लेवी के बारे में आपकी यह ढिलमिल नीति क्यों है? तो आखिर राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। हमारी यह मान्यता है कि यदि जबरदस्ती लेवी वसूल करने का प्रयास किया, गरीबों से जबरदस्ती लेवी लेने का प्रयास किया तो यह भी हो सकता है, जो हमारे सामने बैठने वाले साथी हैं, उनको मैं कुलक कहूं या धनी किसान कहूं, उनकी संख्या 5% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन साधारणतया गरीब तबके के लोगों से वसूल नहीं करें। 105 रु. तय करते हैं आप। बाजार में 200 रु. है। बाजार में जब वह सीमेण्ट, कपड़ा और अपना दूसरा सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो उनकी पूरी कीमत देनी पड़ती है। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर जबरदस्ती लेवी वसूल करने की कोशिश की गई तो राजस्थान का किसान गांव गांव में, हर ढानी में, सरकार का मुकाबला करेगा और आपकी आर. ए. सी. और पुलिस किसानों को झुका नहीं सकती है। मैं शासन को यह चेतावनी देता हूं कि जबरदस्ती लेवी वसूल की गई तो, जबरदस्ती लेवी वसूल करने का प्रयास किया गया तो हम किसानों के कन्धे से कन्धा भिड़ाकर हम उनका साथ करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसान आपके साथ नहीं हैं। वह ऐसा नहीं करेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या फरमाया, आपने?

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसान आपके साथ में नहीं हैं। आप धोखे में हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह चाहे वृद्धि चन्द जैन भी खड़े होकर कह दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप और किसान क्या हैं? यह हम जानते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : किसानों को रिप्रेजेन्ट करनेवाले आप विधायक हैं। आप उनसे पूछिये जो आपके पास बैठते हैं, रघुनाथ जी बिश्नोई। आप वहां जाकर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बार-बार कहते हैं कि हम किसानों को रिप्रेजेण्ट करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उनकी आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त कर दी है। वहां पर जाकर कहते हैं, कुछ और यहां पर आकर कहते हैं कुछ। आपको शर्म आनी चाहिए : क्या आपको शोषण करने का अधिकार दे दिया गया है ? आप दो मुंह से बात करते हैं। यहां पर आकर इस प्रकार की बात करते हैं। इस तरह से आप किसानों का शोषण करते हैं। हाथी के दांत खाने के और, और दिखाने के और हैं वहां जाते हैं तो वहां पर किसानों की बात करते हैं। यहां पर आते हैं तो आंख से आंख मिलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जबरन लेवी के फैसले को बन्द करना पड़ेगा। नहीं तो किसान की हर ढानी में विरोध होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम विरोध करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री गुमानमल लोढा : आपने जो लिखा है कि गरीब किसान से लेवी नहीं लेंगे तो यह गरीब किसान की परिभाषा क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक हैक्टेयर सिंचित और दो हैक्टेयर असिंचित वाला गरीब किसान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : यह ढकोसला है। मैं, सभापति महोदय, अभी समाप्त करता हूं। हो सकता है, उस पार्टी में ऐसे ज्यादा हों। अमीर कितने हैं, कुलक कितने हैं। दो चार विधायक कुलक होंगे। आमतौर से किसान गरीब होता है। जब किसान के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वह शहर में आ जाता है। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए। जबरदस्ती लेवी योजना समाप्त करनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहूंगा आपको इसको पालन करवाना चाहिए। क्योंकि यहां जो घोषणाएं कर देते हैं, चाहे वह सड़कों की हो, सिंचाई की हो, चाहे फैमिन के बारे में हो। घोषणा करने के बाद उसका पालन नहीं होता है। चाहे वह पानी के बारे में, गन्दगी मिटाने के बारे में हो, मेडिकल डिपार्टमेण्ट के बारे में हो। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। किसी घोषणा का पालन नहीं किया जाता है। सभापति महोदय, आपको दिया हुआ पैसा राजस्थान की गरीब जनता के उपयोग में नहीं आनेवाला है। केवल उसका शोषण करना चाहते हैं। बड़े बड़े अफसरों को आप फारेन में ट्रेनिंग में भेज देते हैं। फिर यहां पर जवाब नहीं देते हैं। जनार्दन सिंह जी का जवाब नहीं दिया गया। उनको वहां क्यों भेजा जाता है? हिन्दुस्तान में क्या नहीं है सीखने के लिए ? हिन्दुस्तान में जो विज्ञान चाहे वह सीख लें। आज आकाश और चन्द्र लोक में जाते हैं। हिन्दुस्तान में हजारों साल पहले उड़न खटोला चलता था। आकाश और चन्द्रलोक में लोग जाते थे। अग्निबाण चलते थे। कोई न्यूयार्क या रूस में जाते हैं। वहां जाकर घूमते-फिरते, आमोद-प्रमोद करते हैं। नाइट क्लबों

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

में जाते हैं। वापिस आकर आपको बिल सबमिट करते हैं। आप उनको रुपया दे देते हैं। लेकिन किसी स्कूल को पैसा देने के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। आपने दिल्ली में एक एक राजभवन बना दिया। एक राजभवन यहां भी है। यहां भी रहते हैं। कौन सी स्टेट है, जिसने दो राजभवन बनाकर रखे हों? यहां पर राजे थे उनके लिए कहा जाता था। आप दिल्ली की सड़कों पर पैसा बिगाड़ते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां हैं। जयपुर हाउस है। जयपुर हाउस का रिनोवेशन हो रहा है राजस्थान हाउस पर पैसा लगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार को पैसा दिया जाता है। इस प्रकार की आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने जो मांग की है कि सारे के सारे फण्ड आपके दे दिये जायें, मैं समझता हूं कि आप सदुपयोग करने वाले नहीं हैं। राजस्थान की जनता का स्टेण्डर्ड आफ लीविंग ऊंचा करने में करेंगे नहीं। आप राजस्थान की जनता को रोटी, पानी, और आन मुहैया कराने वाले नहीं हैं। चीनी के लिए धरना देना पड़ता है। हमारे शिवचरण जी माथुर कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि चीनी आ नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? दूकानदार लेकर आ सकते हैं। रेलवे के द्वारा लेकर आ सकते हैं। हमारे राजस्थान के अधिकारी वहां जाते हैं। मिल मेनेजमेंट के साथ होटलों में बैठते हैं। उनके साथ में आमोद प्रमोद जाकर करते हैं और राजस्थान की जनता को भूखा मारते हैं। हमने वहां 26 लाख रुपया भेज दिया है। फिर शक्कर आई क्यों नहीं? ट्रकों से आ सकते थे। ट्रकों का अभाव हो गया है? बम्बई, दिल्ली और आसाम तक ट्रक चल रहे हैं। रेलवे वेगन का अभाव है। ट्रकों का तो अभाव नहीं है। इससे बढ़कर निठल्लापन और क्या हो सकता है? कैसी लज्जास्पद और हास्यास्पद स्थिति आज राजस्थान की है। ऐसी दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि आपने जो यह मांग विधान सभा के सामने रखी है, आप उसका सदुपयोग करना नहीं चाहते हैं। कर सकते नहीं। इसलिए जो आपने मांग पारित करने के लिए रखी है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, 75–76 का राजस्थान का विनियोग विधेयक, संख्या (1) हमारे सामने है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अपन दोनों बजट की डिमाण्ड पर डिस्कशन करने के बाद में हम एप्रोप्रिएशन बिल को पारित करने जा रहे हैं। इस बिल को पारित करने जा रहे हैं। इस बिल को पारित करने के बाद एक बड़ी भारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ जाती है। जो बजट पारित हो, उसका राज्य सरकार में किस प्रकार से उपयोग हो। और जब हम यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को देते हैं··

श्री बेगाराम : सही सही कहना?

श्री वृद्धिचन्द जैन : सही सही कहूंगा।

जब हम या यह सदन राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी, इस राशि को खर्च करने के लिए देते हैं तो सदन यह भी चाहता है कि

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

इस राशि का सदुपयोग हो, उसका एक एक पैसा अच्छी तरह से काम में आवे। मैं यह चाहता हूं उसके लिए सबसे पहले पहल जब तक मंत्रि-मंडल के सदस्य ईमानदार न हों, वे आनेस्ट और इन्टेग्रिटी के नहीं हों तब तक कोई भी शासन अच्छी तरह से चल नहीं सकता। यह परमावश्यक है और इस डेमोक्रेसी में आवश्यक है। पहले राजा के राज्य में भी यदि राजा ईमानदारी और सच्चाई से काम करता था तो वह भी जनता की सेवा कर लेता था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : आप कोरम को लिये हुए बैठी हैं, इसका ध्यान रखती हैं। मेरे खयाल में सुमित्रा जी चली जायं तो कोरम हो जायगा फिर।

श्री बेगाराम : बहुत है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो इस प्रजातंत्र के अन्दर पहले मंत्रि-मण्डल का गठन होता है, फिर राजकीय मशीनरी, जो भी हम निर्णय करते हैं, उसका वह इम्प्लीमेन्टेशन करती है, वह एक्जीक्यूटिव मशीनरी है। जब तक वे आनेस्टी और इन्टेग्रिटी के न हों तब तक जनता के लिए कठिनाइयां पैदा होती रहती हैं। इसलिए यह परमावश्यक है कि आनेस्टी और इन्टेग्रिटी को मेन्टेन करने के लिए कुछ सिद्धान्तों, कुछ स्टेण्डर्ड्स को कायम रखना पड़ेगा, और स्टेन्डर्ड के लिए कुछ मंत्रि-मण्डल के सदस्य कुछ नियमों पर चल कर कुछ स्टेन्डर्ड कायम करें, उन पर पहले आप चलें। उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, वह अपने दौरे हैं वह फिक्स कर लें, हम पन्द्रह दिन दौरा करेंगे और पन्द्रह दिन जयपुर में काम करेंगे। वह यह फिक्स करें कि हमारा बिजली का खर्चा इससे ज्यादा नहीं हो, हमारा पानी का खर्चा इससे ज्यादा नहीं हो—तो वह इस प्रकार अपने खर्चों को अगर निर्धारित करें, वे जीपों के, कार के उपयोग के बारे में अगर नियंत्रण रखें, अपने दौरों पर नियंत्रण रखें और जो स्थानान्तरण के बारे में मंत्रियों को परेशान किया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है, उसके बारे में कोई नीति निर्धारित कर लें, स्थानान्तरण की नीति के बारे में तो उनका काफी काम हल्का हो सकता है और वे उपयोगी काम कर सकते हैं। नहीं तो पचास पर्सेन्ट कार्य का समय इन स्थानान्तरण के कारण लग जाता है।

श्री बेगाराम : पैदल चलने का नियम बना दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पैदल चलने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि पन्द्रह दिन यहां रहें और पन्द्रह दिन दौरों का कार्यक्रम रखें। तो इस प्रकार नीतियों का पालन करेंगे ही और अपना स्टेन्डर्ड दिखायेंगे। और नेता महोदय के लिए यह भी आवश्यक है कि जिनको मंत्रि-मण्डल में लें, उनका कैसा इतिहास है पहले का, कैसा इतिहास है और उसके अनुसार वे उनका चयन करें····

श्री गुमानमल लोढा : भई साफ साफ बात कहो । यह गोलमाल क्या ?

श्री बेगाराम : कुछ ठीक बात बता रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कह रहा हूं, कुछ बता रहा हूं मुद्दे ।

जो प्रश्न उठा था राज्य के अधिकारियों के लिए और जो चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खां साहब थे, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाये थे कम्पलसरी रिटायरमेंट के और उस कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे में निर्णय लिये थे, और उसका बड़ा भारी असर पड़ा था, और कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे में डिसीजन लिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आफिसरों ने एप्रोच किया लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुए। तो यह क्लीयर हो गया कि हम कम्पलसरी रिटायरमेंट कर सकते हैं और कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जाय तो वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए कम्पलसरी रिटायरमेंट का जो बरकतुल्ला खां, जो हमारे मुख्य मंत्री थे, उन्होंने जो कदम उठाया था, मैं यह चाहता हूं कि हमारी यह गवर्नमेंट इस कदम को और सख्ती से उठाये और जो बेईमान अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कदम कम्पलसरी रिटायरमेंट के रूप में, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के रूप में, जो मिस एप्रोप्रियेशन फण्ड्स का करते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस के रूप में–यह कदम उठाया जाना चाहिए।

आज प्रश्न उठता है भ्रष्टाचार का। विरोधी पार्टी यह प्रश्न उठाती है। विरोधी पार्टी भ्रष्टाचार को हटाना चाहती है इसलिए हम भ्रष्टाचार को न हटायें–यह कोई हम लोगों के सोचने का, थिंकिंग का तरीका नहीं होना चाहिए।

श्री बेगाराम : आपकी इच्छा हो तो हटायें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं, आप बीच में रुकावट नहीं करिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आदत पड़ गई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमें वास्तव में प्रजातंत्र को सफल करना है, प्रजातंत्र को कायम करना है तो इसके लिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में एक्शन लेने चाहिएं। इससे कांग्रेस की प्रेस्टिज बढ़ेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट की प्रेस्टिज बढ़ेगी और यह कदम उठाया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश की जिस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि एक तो रेगिस्तानी क्षेत्र का एरिया है, और दक्षिण के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र का एरिया है, और पूर्वी राजस्थान वाले आवाज उठाते हैं, यह कुछ अच्छा एरिया है जिसमें प्राडक्शन की ज्यादा गुंजाइश है–इस प्रकार का एरिया है। तो इस प्रकार का क्षेत्र हो उस क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि से प्रोग्रेस करने की बहुत कम सम्भावना है। उसमें भी अपने प्रदेश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने राजकीय करों से अधिक आय की 12.56 करोड़ रुपीज को, अतिरिक्त

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

साधनों से निकालें 8.90 करोड़ रुपीज, केन्द्रीय करों से मिले 2.56 करोड़ रुपीज और स्पेशल वेजेज एण्ड मीन्स की रीशिड्यूलिंग के कारण भारत सरकार के ऋणों की अदायगी में कमी करके मिले 9.20 करोड़ रुपीज–और बचत के उपाय तथा वित्तीय अनुशासन के आधार पर हमारे प्रदेश की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है–इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु इस धन्यवाद के साथ में यह चूंकि डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होने के कारण डेजर्ट और रेगिस्तानी एरिया के बारे में जानते हैं, इस वर्ष प्रदेश के जो इलाके हैं, 26 जिले, उनमें से 24 में अकाल है किन्तु स्टेट फण्ड में डेढ़ करोड़ की व्यवस्था की है। अपने स्टेट फण्ड के अन्दर इस फेमिन, जो एक्यूट फेमिन है, इसको मीट करने के लिए सिर्फ डेढ़ करोड़ रखने के साथ 10.19 करोड़ रुपीज तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नेचुरल कैलेमिटी के लिए मिले हैं, 10.24 करोड़ रुपीज सेन्ट्रल से एडवान्स प्लान का लिया है, 8.90 करोड़ रुपीज राज्य सरकार ने अपने साधनों से जुटाये हैं। तो जब आप कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए 25.37 करोड़ रुपीज की व्यवस्था कर सकते हों, और यह बहुत अच्छा कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि सर्विसेज के वेतनमान में वृद्धि होगी तो और अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को अदा करेंगे। तो जितनी भी हमारी पालिसीज हैं, उनको एक्जीक्यूट यह मशीनरी करने वाली है। तो मैं इनके वेतनमान में अभिवृद्धि की प्रशंसा करता हूं। यह स्थिति थी जब हमारे चीफ मिनिस्टर हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री बने थे, और आप वित्त मंत्री बने थे। उस वक्त सर्विस को पे करने की कैपेसिटी नहीं थी और उस संकट से गुजर कर वर्तमान स्थिति में लाये। परन्तु जब कर्मचारियों के साथ आपकी इतनी सहानभूति है तो रेगिस्तानी क्षेत्र के गरीब लोग जो भूख से तड़प रहे हैं, जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए जो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, वह बहुत कम व्यवस्था की है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करने में जो गल्ती आपने की सो की, परन्तु अब संकट के दिन आ रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह भी कुछ फंड्स इस अकाल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए लगायें।

नान टैक्स रैवेन्यू बढ़ाने की भी आपने कोशिश की है, राक फास्फेट बढ़ाने की कोशिश भी आपने की है, मिनरल्स को बढ़ाने के लिए कोशिश की। मिनरल्स का स्कोप हमारे जिले में भी है। ठेकेदारों के जरिए जो काम किया जाता है मुल्तानी मिट्टी का या और भी काम जो किए जाते हैं, आप देखें कि औद्योगिक व खनिज निगम इन कार्यों को अपने हाथ में ले और अपने राज्य की आय बढ़ाए। तो मिनरल्स के अन्दर बहुत प्रासपेक्ट्स हैं और इस संबंध में और भी कोशिश करनी चाहिए।

जंगलों के बारे में, तेंदू पत्ते के बारे में कानून बनाया गया और कुछ आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है, परन्तु और भी आय बढ़ सकती है और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ साथ में हमारे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
प्रति व्यक्ति टैक्सेज दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम हैं, इन करों को बढ़ाने की गुंजाइश है। आंध्र प्रदेश में 60:64) रु. प्रति व्यक्ति है, गुजरात 77:66), हरियाणा 88:54), जम्मू व काश्मीर 63:21), महाराष्ट्र 92:55), रु. राजस्थान 48:01)...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कुछ और समय लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : काफी समय हो गया है। 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो करों के बढ़ाने का स्कोप है और उनको बढ़ाए बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती और मंत्री महोदय जो कर बढ़ा रहे हैं हम हमेशा उसका अनुमोदन करते हैं। तो हमारे प्रदेश की स्थिति को मजबूत करें, अकाल का मुकाबला करने के लिए, किसी को भूख से न मरने दें। करों के लिए मैं सुझाव देता हूं। केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिए हैं और हमारी जो नीतियां हैं, उनके अनुसार सिंचाई के आपने रेट्स बढ़ाए हैं। आपको कृषि आयकर लगाने का कार्य भी करना चाहिए। जिसकी आमदनी 10 हजार से ज्यादा है उस पर यह कर लगायें। आप घबराते हैं तो 12 हजार रुपए सालाना की आमदनी का हिसाब रखें। परन्तु यह कर लगाना चाहिए क्योंकि अगर यह कर नहीं लगाया तो इसका प्रतिकूल असर पड़ता है क्योंकि कृषि उत्पादन से जो आय होती है गंगानगर जिले में और अन्य जिलों में, जहां सालाना एक एक लाख रुपए की आय होती है, जिनको 50-50 हजार की आय होती है वे इससे वंचित हो जायं और उनसे कोई कर न लिया जाए तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए कृषि आयकर लगाने की आवश्यकता है।

अब कुछ विभागों के बारे में मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पुनर्वास विभाग के लिए मुझे निवेदन करना है कि शरणार्थी 1971 से लेकर आज तक वहीं हैं। 4 साल हो गए, उन्हें न तो नागरिक अधिकार दिए गए हैं और न उनको बसने की योजना बनाई गई है और उन पर जो खर्चा आया है वह करीब 3,48,99,075)रु.। दिसम्बर 1974 तक खर्चा आया है। इस प्रकार उन पर एक साल में एक करोड़ रुपए खर्चा करने जा रहे हैं और उनको सभी सुविधायें दी जा रही हैं, उनको अनाज 8 किलो दिया जाता है, चारे के लिए व्यवस्था होती है, पहले कपड़ा कम्बल की व्यवस्था थी जबकि वहां के जो नागरिक हैं उनको दो किलो अनाज मिलता है, कोई राहत कार्य नहीं तो उसका बहुत असर पड़ता है। वे लोग कहते हैं कि हमको आप बसायें। क्यों खर्चा करते हैं इन पर जब इतना खर्चा करते हैं और हम जो नागरिक, इस देश को रक्षा के लिए हम अपना सर देने के लिए तैयार हैं और ये लोग अभी नागरिक भी नहीं हुए हैं, उनको इतनी सुविधायें देते हैं और हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप इनको नागरिक बनायें, खर्चा मत करें, इनकी आदत खराब हो रही है। केन्द्रीय सरकार से कोशिश करके इनको नागरिक अधिकार दिलाकर इनको बसाने की योजना बनायें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं यह भी चाहता हूं विद्युत् के बारे, में, आपने जैसलमेर जिले में 0·6 प्रतिशत और बाड़मेर में 5.6 प्रतिशत व्यवस्था की है। बाड़मेर टाउन के अलावा और किसी जगह उस जिले में विद्युत् की व्यवस्था नहीं है। हम चाहते है कि 132 के.वी. लाइन बाड़मेर जिले में भी आनी चाहिए, उसके बिना भी जितनी जल प्रदाय योजनायें बना रहे हैं, ये सेट ढंग से काम नहीं करते। जब तक विद्युत् की व्यवस्था नहीं होगी जब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वह रिटार्ड होती रहेगी। यह सीमावर्ती क्षेत्र है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के सम्बन्ध में खराब है। इसलिए उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, वहां की जनता का मोराल बूस्ट करने के लिए विद्युत् की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

बीकानेर जिले में पलाना लिग्नाइट है, कोयला है, उसके लिए कोशिश करें, थर्मल प्लांट की व्यवस्था करें और पश्चिमी राजस्थान में आप विद्युत् की व्यवस्था करने की कोशिश करें। इसलिए में चाहता हूं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसका पूरा विकास करने के लिए भी आप कदम उठायें।

राज्य कर्मचारियों में आर.एस.एस. की एक्टिविटीज घुस गई हैं। 50 परसेंट अध्यापक, 25 प्रतिशत लेक्चरर्स और राज्य कर्मचारी आर.एस.एस. में खुल्लमखुला काम करें और आपका कोई नियंत्रण नहीं। ये जो शक्तियां लेवी का विरोध कर रही हैं, दूसरी जगह चाहते हैं कि 10–12 किलो अनाज मिले, सैंट्रल कोटा में खुद की शक्ति से कोई मदद नहीं करना चाहती और वे शक्तियां राज्य कर्मचारियों के अन्दर सक्रिय कार्य कर रही हैं और उनका माइंड पाइजन कर रही हैं और राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मशीनरी, जिसको हम यह एप्रोप्रिएशन करने का अधिकार देना चाहते हैं, जिन कर्मचारियों का आर. एस. एस. का माइंड हो और रुपयों का भी मिसयूज करें, उन नीतियों को गलत तरीके से एग्जीक्यूट करें और युवकों को पाइजन करें, यह हम किसी तरीके से बरदाश्त नहीं कर सकते।

तो इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह बजट में जो राशि का हम आपको एप्रोप्रिएशन करने का अधिकार दे रहे हैं, आप इसका सदुपयोग करेंगे, इस प्रदेश की प्रगति करेंगे और इन फन्ड्स का किसी भी प्रकार मिसएप्रोप्रिएशन न हो और पूर्ण रूप से सदुपयोग हो और अपने प्रदेश का जो शासन है इस प्रकार से आनेस्टी और इन्टीग्रिटी पर चलकर गरीब जनता की सेवा कर सकें। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि राजस्थान में जो है मिनिमम लेवल के कन्जूमर्स की गांवों में संख्या कितनी है, तो उसका जवाब दिया गया कि 1 लाख 39 हजार ग्रामीण हैं जो राज्य में इस आधार पर हैं और वे व्यक्ति उपभोक्ता के निम्न स्तर पर पंचवर्षीय योजना में आंके गये हैं। आपने 74–75 में इनकी स्थिति को किस प्रकार से सुधारा, कितनी इनकी संख्या में कमी की गई, यह प्लान बनाने की आवश्यकता है। आपने पहले प्लान बनाया, पर जो, डिस्ट्रिक्ट एजेन्सी जो जिला परिषद् है, पंचायत समिति है; उनकी भी राय लेते और मैं यह चाहता हूं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कि बार बार यह प्रश्न आता है कि इस जिले में ज्यादा खर्चा किया गया है और इस जिले में कम खर्च किया गया है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बात की जाती है तो अगर आप डिस्ट्रिक्टवाइज प्लान बनाते तो इसमें कितना खर्च किया, उद्योगों में कितना खर्च किया गया और प्रोडक्शन में किस प्रकार से खर्च किया, तो यह सारा प्रचार समाप्त हो सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री गुमानमल लोढा : मिनिस्टरों के आपने बताये ही नहीं गड़बड़-घोटाले।

श्री रावतराम (छापर) : माननीय सभापति महोदय, आज हाउस में विनियोग विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ चन्द बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं अकाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे अकाल के सम्बन्ध में इस सदन में काफी बार चर्चा हो चुकी है और यह सदन महसूस भी करता है और सरकार भी महसूस करती है कि इस साल जो राजस्थान में अकाल की स्थिति है, वह इतनी भयंकर है कि हम पिछले दस साल में जो अकाल राजस्थान में आये हैं उनको भूल जाते हैं। वह इसलिए कि जहां राजस्थान में 24 जिलों में अकाल की स्थिति है और लाखों करोड़ों लोग अकाल से पीड़ित हैं। उसके साथ-साथ देखना यह है कि अकाल से पीड़ित लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं? सभापति महोदय, पिछली बार भी यह कहा गया था लेकिन इस समय परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और भयंकर हैं, वह इस तरह कि राज्य सरकार ने निर्माण कार्य खोलकर लोगों को मजदूरी दी है और इसके साथ-साथ अनाज की जो स्थिति है राजस्थान में और जो अनाज के भाव पहले थे और आज के जो भाव हैं, उस तरह से हालत अच्छी नहीं है। जहां तक मुझे याद है सवा रुपये-डेढ़ रुपये किलो से ज्यादा अनाज का भाव नहीं था और इस साल में शुरू से ही अक्टूबर—नवम्बर से लेकर आज तक साधारणतया बाजार में सवा दो रुपये किलो अनाज का भाव है, इस भाव पर अनाज बिकता है। यह अनाज भी जब गांवों में कुछ लोग ले जाकर बेचते हैं या इसको जब गांवों में उपलब्ध किया जाता है तो वहां के गरीब काश्तकारों, गरीब हरिजनों को ढाई—पौने तीन रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिल पाता है। अब आप महसूस करिये सभापति महोदय, कि एक तरफ तो ढाई-पौने तीन रुपये किलो अनाज एक गरीब हरिजन या काश्तकार उसको खरीदे और दूसरी तरफ गांवों के पास कोई काम नहीं है, उनको मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, उनको एक रुपया भी रोज का मजदूरी का देने को तैयार नहीं हैं और दूसरा उनके पास कोई साधन नहीं, गांवों में और कोई धन्धा नहीं तो, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हालात में गांव के लोगों को, गरीब लोगों को कैसे जिलाना है, वह कैसे जिन्दा रह सकते हैं, यह सोचने की बात है। इस साल इतनी भयंकर मंहगाई है, कि उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, खाने को अनाज नहीं है और उनकी परचेजिंग केपेसिटी भी नहीं है, इसलिए उनकी जो हालत खराब हो रही है उस हालत में उनकी मजबूरियों की वजह से यह कहना

(श्री रावत राम)

कि योजनागत नहीं है या हमारे पास बजट में उनके लिए पैसा नहीं है, इससे हम हमारी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हम गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। सभापति महोदय, कहीं भी जाइये शहरों में आपको अकाल नजर नहीं आता है। जयपुर में आयें, सेक्रेट्रिएट में जायें, कलेक्टोरेट में चले जाइये और कहीं दूसरी जगह जाओ, जयपुर की बड़ी चौपड़ पर जाकर देख लो, कहीं भी अकाल नजर नहीं आता है, उसी तरह से सारी दुनिया चल रही है और गवर्नमेंट देख रही है, मैं मानकर चलता हूं कि जानबूझकर हो सकता है, लेकिन उनके केरेक्टर में भी अकाल नहीं नजर आता है, कहीं से भी अकाल की वजह से हम लोगों के कार्य में, हमारे तरीकों में कोई फर्क आया हो, ऐसी बात नजर नहीं आती है। अकाल केवल गांवों में ही है, जहां हम नहीं जा सकते हैं। मैं मेरी ही बात कहता हूं कि हम गांवों में जाने लायक नहीं है और वहां जाकर कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे मन्त्रीजी को अच्छा नहीं लगेगा, यह अलग बात हो सकती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जनता के नुमाइन्दे हैं, हम वोट लेकर आये हैं जनता से, और हम उनका विश्वास लेकर आये हैं, हम जनता को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे हमको बजट में दूसरे खर्चों में कमी करनी पड़े, लेकिन यह एक मानवीय प्रश्न है, और अगर इस प्रश्न को टालते हैं तो यह एक गैर जिम्मेदारी की बात होगी और हम गांवों में लोगों को मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे। सभापति महोदय, सदन में यह भी कहा गया कि योजना गत कार्य तो हाथ में लिये जा सकते हैं और फेमिन सिस्टम को बदलना चाहिए, यह एक अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम गांव में जाकर गरीब लोगों के सामने, किसानों के सामने यह कहें कि फेमिन का सिस्टम बदल दिया है और योजनागत कार्यों को ही हाथ में लिया जायगा इसलिए मजदूरी नहीं दिलाई जा सकती और राहत कार्य नहीं खोले जायेंगे, तो इससे उनको सन्तोष होने वाला नहीं है, इससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। आज योजनागत तरीके से, प्लान में जो भी काम हों, उनको अवश्य करवायें लेकिन गांव के लोगों को जो अकाल से पीड़ित हैं, उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, उनके पेट भरने का भी साधन होना चाहिए। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि फेमिन का तरीका बदल दिया है और योजनागत कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं इसलिए उनको मजदूरी नहीं दी जा सकेगी।

सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि चूरू जिले में अकाल राहत कार्य खोले जायं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जहां तक सवाल अकाल का है, अकाल हमारे राजस्थान में चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर सभी जगह पर है। और इसके अलावा दूसरी जगह भी अकाल है लेकिन बाकी जगहों पर रबी की फसल थोड़ी ठीक होने से कुछ न कुछ खाने पीने को अनाज थोड़ा बहुत तो हुआ है।

(श्री रावत राम)

लेकिन हमारे इन इलाकों में पिछले पांच साल से अकाल पड़ रहा है। कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है। लोगों के लिये दो वक्त खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज हमारे चूरू जिले में 8 लाख की पापूलेशन है उसका आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की वहां पर कितनी दयनीय हालत हो रही है। वहां पर सभापति महोदय, इन आठ लाख व्यक्तियों में से दो लाख तो भयंकर अकाल की चपेट में आये हुए हैं। इसमें से वहां पर अभी तक सिर्फ दस हजार लोगों को मजदूरी पर लगाया गया है। आप देखिये सभापति महोदय, कितना कम लोगों को काम मिला है। अगर राज्य सरकार, सभापति महोदय, इसमें जो तहसीलें हैं उसके हिसाब से सात जगह पर भी दस दस हजार लोगों को काम भी दे तो करीब सत्तर हजार लोगों को काम मिल सकता है तब तो हम यह भी कह सकते हैं कि दो लाख में से सत्तर हजार लोगों को काम दिया गया है लेकिन वहां तो, सभापति महोदय, सिर्फ दस हजार लोगों को काम दिया गया है। यह तो बहुत कम है। हमारे वहां का इलाका, सभापति महोदय, डेजर्ट एरिया है, वहां पर कोई इरिगेशन के कार्य खुल नहीं सकते हैं और दूसरे कोई काम नहीं खुल सकते हैं सिवाय वहां पर सड़कें बनायी जायें ताकि उस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके। आप सड़कों के निर्माण कार्य चालू करके वहां पर लोगों को काम दे सकते हैं। सभापति महोदय, वहां की हालत खराब है इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हों तो आप उसके लिये इधर उधर से बजट में से पैसे निकाल कर वहां पर काम शुरू करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आज वहां पर लोगों की दयनीय हालत है लोगों की जिन्दगी का सवाल वहां पर है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि वहां पर राहत कार्य अविलम्ब शुरू किये जायें। सभापति महोदय, यहां पर माननीय सदस्य जो बैठे हैं वह लोग हाउस के अन्दर तो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये बोलते हैं लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां पर बैठकर बातें करना अलग बात है और अकाल ग्रस्त इलाके में लोगों को अगर आप जाकर देखें तो आपको मालूम पड़े कि कितनी भयंकर हालत वहां पर खराब हो रही है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, जो हाउस के अन्दर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और हरिजन लोगों के लिये इतनी बातें करते हैं उनके लिए असलियत में हम कुछ नहीं करते हैं। यहां पर जो हरिजन माननीय सदस्य हैं उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। हम उनका वास्तव में शोषण करते हैं। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, जो अकाल है वह वास्तव में अकालग्रस्त क्षेत्रों में भी उन लोगों के लिए ही है जो कि हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है वह अपना काम कैसे चलावें। यह तो सर्वमान्य बात है, सभापति महोदय, कि अकाल हमेशा गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए ही होता है। सिर्फ यहां पर बैठकर बातें करने से उन लोगों का पेट नहीं भरता है। सभापति

(श्री रावत राम)

महोदय, सिर्फ सहानुभूति की बातें करने से काम नहीं चलता है। सभापति महोदय, एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर दूसरी जगह अकाल कहीं भी पड़ता है तो वहां पर लोगों के पास कुछ न कुछ होता है जिससे वह लोग उन्हें बेचकर अपना पेट पाल लेते हैं। लोगों के पास कोई न कोई साधन होता है चाहे पशु हो, चाहे लोगों के पास गहने हों, चाहे और कोई चीज हो। लेकिन बेचारे हरिजनों के पास क्या साधन हैं ? न तो उनके पास पशु हैं और न ही उनके पास गहने हैं, न उनके पास और कोई साधन हैं जिसको वह बेच कर अपना पेट पाल सकें। वह तो बेचारे साधन हीन होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों के अकाल पीड़ित लोगों को पहले काम देना चाहिए। और सभापति महोदय, आपको जो इलाके मैंने अकालग्रस्त बताये हैं उसमें सबसे ज्यादा खराब हालत चूरू जिले के लोगों की हैं। सभापति महोदय, आज जो भी हरिजन और आदिवासी माननीय सदस्य हैं जो कि इस विधान सभा में बैठे हैं वह बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका मुंह बन्द है। वह यहां पर बैठे उस हालत में हैं जिस तरह कि एक प्यासा जब बरसात की मौसम होती है तो बादल की तरफ देखता है और प्रसन्न होता है कि बादल आये हैं और बरसात होगी लेकिन जब एक ही हवा का झोखा आता है और वह बादल को ऊपर उठा कर बिना बरसात के ले जाता है तो वह उस तरफ देखता ही रहता है प्यासी नजर से। वही हालत आज इन लोगों की यहां पर है। वह बेचारे बैठे हुए सदन में राज्य सरकार को ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ देखते रहते हैं। उनका मुंह बन्द है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी हरिजन और आदिवासी माननीय सदस्यों का शोषण होता है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अप्रैल, मई और जून तीन महीनों का थोड़ा सा समय है फिर तो बरसात आजावेगी आप कम से कम इन तीनों महीनों तक वहां पर काम चालू करदें। आज लोगों की भूख के मारे हालत खराब हो गयी है, पसलियां निकल रही हैं।

एक माननीय सदस्य : अभी तो भू-खण्ड बांटे हैं।

श्री रावतराम : सभापति महोदय, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन लोगों के लिए कार्य करें। आज आपके शहरों में अगर चीनी नहीं मिलती है, अनाज नहीं मिलता है थोड़े समय निकल जाने के बाद वहां पर लोग आन्दोलन करने लग जाते हैं। और यहां पर समाचार पत्रों में भी छप जाता है। और आपने उनको अनाज, चीनी एक साथ सप्लाई करदी। मुझे इसका एतराज नहीं कि आपने शहरों में अनाज, चीनी क्यों सप्लाई करदी। लेकिन मुझे एतराज इस बात का है कि आपने आज तक अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अनाज नहीं भेजा है। इसलिये नहीं भेजा कि वह आन्दोलन नहीं कर सकते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप किन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहारे, जिन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के सहारे यहां आकर बैठते हैं जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा जिता कर भेजते हैं, उन्हें आप अनाज नहीं

(श्री रावत राम)

भेजते हैं, सभापति महोदय, आज जब आप शहर में वोट लेने जाते हैं तो आपको एक वोट के लिये दस दस चक्कर काटने पड़ते हैं और गांवों में आप चक्कर काटते हैं तो आपको हजारों की तादाद में वोट मिलते हैं। लेकिन फिर भी आज उन क्षेत्रों के लोगों की उपेक्षा करते हैं। आज चूंकि वह लोग आन्दोलन नहीं करते हैं इसलिये आप उन्हें इगनोर कर रहे हैं। नहीं तो शहर के लोगों को एक दो माह अनाज नहीं मिले, चीनी नहीं मिले आपको आन्दोलन का सामना करना पड़ता है। जयपुर में लोग चौपड़ पर जाकर भाषण करते हैं और आप बाद में लोगों के लिए अनाज व चीनी दोनों ही सप्लाई कर देते हैं। सभापति महोदय, यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिये। आपको राजस्थान की जनता को चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र को हों दोनों के साथ ही समान तरह का बर्ताव करना चाहिये। समान रूप से डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये। आज आपने शहरों में किलो अनाज, कहीं पर दो किलो अनाज देते हैं लेकिन गांवों में आप एक किलो अनाज ही देते हैं तो आपने यह शहरों में ज्यादा और गांवों में अनाज देने की दोहरी नीति क्यों अपनाई है? आज अकाल की स्थिति शहरों में नहीं है गांवों में है। पर आप जयपुर में 6 किलो, जिला हैडक्वाटर पर चार किलो तहसील हैडक्वाटर पर दो किलो और गांवों मे एक किलो ही क्यों देते हैं? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अकाल ग्रस्त क्षेत्र में तो ज्यादा अनाज भेजना चाहिये। नहीं तो आप को कम से कम समान वितरण सभी जगह करना चाहिये। सभापति महोदय, हमारा चूरू का ऐरिया एक डेजर्ट ऐरिया है अभी आपने डी. पी. ए. पी. को स्कीमूस को हमारे वहां पर लागू करने की बात कही है और डेजर्ट ऐरिया के लिये आपने जो डेजर्ट बोर्ड बनाने की घोषणा की है उसके लिये तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा चूंकि चूरू जिले में कोई नहर नहीं कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। आपने राजस्थान कैनाल से पानी देने की जो बात कही है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरी करवायें जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिल जाये और इरीगेशन भी वहां हो।

सभापति महोदय, यहां पर सदन में बार बार सिद्धमुख नहर का जिक्र किया जाता है। इस बारे में सदन में कई बार प्रश्न भी उठे हैं और यहां पर यह बात है कि सिद्धमुख नहर यहां आ रही है। तो मेरा आप से निवेदन है कि वह कब आयेगी? या वह नहर आयेगी भी या नहीं यह बताने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह कम से कम सदन में स्पष्ट तो करें कि यह प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं। अभी यह किस स्टेज पर है? सभापति महोदय, जैसा कि अब हम सुनते हैं कि इस सिद्धमुख नहर से हमें पानी मिलने वाला नहीं है। हरियाना गवर्नमेंट ने पानी देने से इनकार कर दिया है। इसलिए यहां पर सदन के माननीय सदस्यों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है। सभापति महोदय, हम तो मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट घोषणा कराना चाहते हैं कि साल

(श्री रावतराम)

में दो साल में पांच साल में आखिर कब तक यह नहर आयेगी ? या आयेगी ही नहीं उस हालत में राज्य सरकार चूरू की जनता के पानी की समस्या के लिए क्या करने जा रही है ? मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी इस सिद्धमुख नहर की योजना को पूरी कराये ।

सभापति महोदय, यहां पर बार बार सदन में कहा जाता है कि चूरू जिले के लिये योजना बनायी जा रही है और दूसरे जिलों की उपेक्षा की जा रही है। सभापति महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि योजना वहां पर पहले बनायी जानी चाहिये जहां की अत्यन्त आवश्यकता हो। चूरू जिला एक ऐसा जिला है राजस्थान का, सभापति महोदय, जो कि पूरा ही डेजर्ट ऐरिया है और अगर आप फेअर डिस्ट्रिब्यूशन की नीति से चलेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे उन इलाकों को भारी नुकसान हो जायेगा जहां कि पानी की बहुत भारी दिक्कत है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पानी के बारे में आप जो योजना बनायें उसमें प्राथमिकता उस योजना को अधिक दें जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो। दूसरी चीज जो है कि कई जिलों में तो आर.इ.सी. स्कीम है, और उन जिलों में 15–20 फीट की गहराई से पानी हाथ आ जाता है। लेकिन, सभापति महोदय, हमारे यहां से जो पानी आता है उसमें लोग अपने पशुओं पर 6–7 मील से पानी लाते हैं। कई जगहें तो ऐसी हैं सभापति महोदय, कि लोगों को सड़क से 6–7 मील दूर से अपने पशुओं पर पानी लाते हैं और कई लोगों के पास जिनके कि पशु नहीं हैं वहां पर बेचारी ग्रामीण औरतें पानी के घड़े अपने सिर पर रखकर 6-7 मील से पानी लाती हैं। वहां पहले जरूरी है या यहां पहले जरूरी है ? आपने दो करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। लेकिन आप दूसरे जिले वाले नाराज हो जायेंगे इसलिए इस प्रकार से करते हैं। बिजली की स्कीम बनती है, क्या डेजर्ट एरिया है उसको उसकी जरूरत नहीं है? उद्योग धन्धे नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं। यह मानसिक कमजोरी है कि दूसरे जिले वाले भी नाराज हो जावेंगे। चूरू जिले में पानी की कमी थी और वहां ज्यादा दिया। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वह दिलानी चाहिये।

श्री भीमसेन : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं । चूरू जिले में सबसे ज्यादा खर्चा किया है।

श्री रावतराम : पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान कैनाल है, उस पर खर्चा कर रहे हैं।

श्री ओंकारलाल : प्रायोरिटी बेसिस पर दे रहे हैं।

श्री सभापति : सुनिये आप।

श्री रावतराम : स्कूटर का कारखाना आपने अलवर में लगाया।

श्री चन्दनमल बैद : हरिजनों की भावना का हरिजन ही विरोध कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : क्या ओंकारलाल जी हरिजन नहीं हैं ?

श्री रावतराम : समर्थन कर रहे है विरोध नहीं।

श्री ओंकारलाल : आपने चूरू जिले को अधिक पैसा दिया, इसलिए कि उसको आवश्यकता थी।

श्री रावतराम : मेरा कोई आरोप नहीं है। मेरा यह कहना है कि जिस जिले में पानी की समस्या ज्यादा है, चूरू, बाड़मेर, नागौर····

श्री भगराज चौधरी : जालौर।

श्री रावतराम : जालौर हां। जहां पर पानी खारा है। जहां का पानी पीने से सभापति महोदय, दस मिनिट बाद ही पशु खत्म हो जाता है, वहां पर आप प्रायोरिटी दें। मेरा यह आरोप है ऐसा नहीं कहता मैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी आप बजट बनायें पानी के लिए, आप अवश्य इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अलोकेशन करें। खास तौर से रेगिस्तानी इलाका और उन जिलों का ध्यान रखना चाहिये जहां पर इसकी विशेष आवश्यकता है, वहां प्रायोरिटी देकर, जहां जरूरत है इसकी, वह देकर वहां पहले करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही समाप्त करूंगा।

समाज कल्याण के बारे में इतना ही कहना है। सॉरी, एक बात छूट गई है वह पहले कह देता हूं। डेजर्ट एरिया के लोगों को आप राजस्थान कैनाल में क्यों नहीं भूमि देते हैं? गंगानगर आदि के लोगों को देते हैं। चूरू, नागौर, इन डेजर्ट एरिया के लोगों को, क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हैं जिनके पास अधिक जमीन है, गरीब तबके के लोग हैं छोटी 2 होल्डिंग हैं जिनके पास उनके हक में सरेन्डर कर जायेंगे जमीन, उनको नहर पर आधा मुरब्बा भी दे देते हैं तो उनका आर्थिक बेस बनता है और उनके बच्चों का पालन पोषण हो सकता है।

देश के आजाद होने के बाद हरिजनों और आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि हरिजन और आदिवासी की जब तक आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी, वे अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे और और उनका शोषण होता रहेगा। आप अपने दिल से कह सकते हैं कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी आर्थिक हालत क्या है? क्या प्रयास किये हैं इस ओर? छुआछूत। मंदिरों में प्रवेश करना, यह तो सब करते हैं। पहला काम है शिक्षा, जिसके लिए आरोप नहीं लगाता किन्तु बधाई देना चाहता हूं कि एजुकेशन के बारे में अच्छा काम किया है, छात्रावास स्कॉलरशिप, पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छा काम किया है। उसके बारे में धन्यवाद दे सकते हैं। कमियां हो सकती हैं। लेकिन जो अच्छा काम किया है, उसको इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति के लिए कोई काम किया हो और उससे उनमें आर्थिक

(श्री रावतराम)
परिवर्तन आ गया हो, मैं नहीं मानता हूं। स्पेशल स्कीम्स के जरिए से आर्थिक हालत सुधारने के लिए गांव गांव में आर्थिक उन्नति के कार्य नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आवेगा। पढ़े लिखे आदमियों ने, सम्पन्न लोगों ने जितनी भी सरकार की योजनायें हैं उनका लाभ उन्होंने उठाया है...

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि और भी बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय ने जो सूची दी है उसके अनुसार ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री रावतराम : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आदिवासी और हरिजन की बात कहना नहीं चाहता था। हमने प्लान बनाये। मुद्दे उठाये थे कि इस तरह के प्लान बनाये जायं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान गांवों के हरिजन और आदिवासियों की ओर दिलाना चाहता हूं, पुराने जमाने में उनके पास घरेलू उद्योग धन्धे हुआ करते थे। कपड़ा बुनाई, चमड़े का काम, जूते आदि का काम करते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक सेकिन्ड।

वे सारे काम वहां पर आज खत्म हो गये। हम यह समझते हैं कि अब तक स्पेशल प्लान के जरिये इन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठायेंगे कुछ नहीं होगा। परमिट मिलते हैं लाइन्स के ठेके मिलते हैं, उनका सारा का सारा लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। हरिजन और आदिवासी नहीं उठा सकते। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने चाहिए।

अन्त में सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मेरे पिता जी की तबियत ठीक नहीं है। मुझे आज ही समय दे दीजिये।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री माणकचन्द सोगानी : पांच पांच मिनिट सब को दे दीजिए।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : आपकी आज्ञा हो जाय तो मैं बोल लूं।

श्री सभापति : दो मिनिट।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, सभापति महोदय; लेकिन संक्षेप मे अपनी बात कह देना चाहूंगी।

सबसे पहले तो मुझे प्रशासनिक ढांचे के बारे में निवेदन करना था और वह यह है कि हमारे यहां का प्रशासनिक ढांचा जिस ढंग से चल रहा है, उसमें माननीय मंत्रीजी की ओर सदस्यों की बात नहीं मानी जाती है उसके लिए कौन जिम्मेदार

(सुश्री शकुंतला श्रीवास्तव)

है ? इस बारे में सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता चाहती हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण करें नम्बर एक और नम्बर दो पंचायत राज संस्थाओं के बारे में मुझे कुछ कहना है। ये घिसी पिटी लकीर जैसे सांप निकलने वाली बात है। आज पंचायत राज संस्थाओं में पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक आप मुझे बता दीजिये क्या हो रहा है और वास्तव में उन लोगों को केवल तनख्वाह देने के लिये ही तनख्वाह देते हैं जो कि गरीबों के टैक्स के द्वारा समझिये या रेवेन्यू द्वारा समझिये, क्या इसी काम के लिये ये हमारी पंचायत राज संस्थायें कायम हैं ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार उस ओर ध्यान देकर पंचायत राज संस्थाओं को या तो पावर्स ज्यादा दें या खतम करदें जिससे कम से कम हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से जो आर्थिक भार पड़ रहा है वह कम हो जाय।

जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के बारे में बताना चाहती थी लेकिन उस दिन मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिये मैं बोल नहीं पाई थी और मेरे कटौती प्रस्ताव भी थे। पुलिस के सम्बन्ध में मुझे एक ही बात लेनी है। दोषी और निर्दोष इन दोनों में कुछ फर्क किया जाना चाहिये। अगर कोई राय हो कि दोषी है उसको कोई नहीं पूछता लेकिन जो निर्दोषी है उसको उठाकर पिटाई की जाती है। इसी तरह से मैं पुलिसवालों की वकालत करने खड़ी हुई हूं कि आज के इस महंगाई के जमाने को देखते हुये उनके वेतनमानों को, शुरू से जब से मैं सदन में आई हूं कहती आ रही हूं आखिर वह असमानता क्यों है ?

हमारे यहां के बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुये हमारी पुलिस फोर्स को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ? और उनके वेतनमानों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ?

जहां तक प्रश्न उद्योगों का है, एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूं जहां एक ओर हम उद्योग लगाना चाहते हैं और एक तरफ हमारे इस राज्य के ऊपर अकाल की छाया पड़ी हुई है। उस अकाल की छाया में जो चाही जमीने हैं वे हम इन्डस्ट्रीज के लिये एक्वायर करते हैं–मिनरल एन्ड डवलपमेंट सिन्डीकेट के माध्यम से–तो मुझे यह बता दीजिये जब जगह बता दी जाती है कि फलां जगह खाली है, इसमें पानी भी है, सड़क भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन वह जमीन एक्वायर न करके इन बेचारे किसानों को, जिनके पूर्वजों ने आकर खून की बूंद बूंद को पिला पिला कर उन जमीनों को चाही बनाया, आज उनको एक्वायर करना कहां तक वाजिब है ? यहां तक कि चाही भूमि को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं मेरी कान्स्टीट्युएन्सी की बात बताती हूं। अनिल इन्डस्ट्री लगी हुई है। जो इन्डस्ट्री लगी है उससे हम बहुत खुश हैं कि हमारे यहां के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इस इन्डस्ट्री के समीप एक सिर्फ 14 बिस्वा भूमि का टुकड़ा है जो श्मशान है उसको अब एक्वीजीशन के अन्तर्गत लाया जा रहा है। क्या आप लोग इस कार्यवाही को उचित मानते हैं ? इसके अतिरिक्त अन्य जमीनें जो मिनरल डवलपमेंट बोर्ड एक्वायर

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

करना चाहता है वहां बड़े बड़े ग्राम के पेड़, बड़े बड़े शीशम के पेड़ हैं, कुआ है, बिजली है जिसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उन जमीनों को लेने के बजाय मैं बताना चाहती हूं कि कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास वहां पर गोविन्दगढ़ का बीड़ है उस जमीन को ली जा सकती है। उससे आगे बढ़िये विनायक रेलवे स्टेशन है वहां पर एक हाडा स्थान है, उपज नहीं हो सकती है लेकिन पानी काफी है। यदि हम खेती योग्य भूमि अवाप्त करलें तो इससे अन्दाज लगाइये अगर किसी को हम जमीन नहीं दे सकते हैं तो उसको बे-घरबार करने का कौनसा हक है ? यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। इसलिये मैं ये चाहूंगी इन बातों पर गौर किया जाना चाहिये। सरकार हमारी इन बातों पर गौर करेगी, आप उन तक ये बातें पहुंचायेंगे कि इस तरह के अन्याय नहीं होने चाहिये।

रहा सवाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का बहुत से लोग, ढेरों लोग, ऐसे हैं जिनकी मैं लिस्ट दे सकती हूं और जिनके लिये हम कहते हैं कल्याणकारी योजना बना रहे हैं और बनायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है ये कल्याणकारी योजनायें बनेंगी। अभी तक तो देखने में नहीं आया। गरीबों के पास न उद्योग है, न धन्धा है, न जमीनें हैं और फिर कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बहुत बड़े हामी हैं। यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। मैं यह चाहूंगी जो सीलिंग एक्ट के अन्दर जमीनें आई हुई हैं उनका बेचान रोका जाय जिनकी रजिस्ट्रियां भी हो गयी हैं तो उनको कैन्सिल की जाकर वे जमीनें उनसे वापस लेकर उन गरीबों को दी जानी चाहिये जिससे उन गरीबों की रोजी रोटी का बन्दोवस्त हो सके।

गरीबों को इसी प्रकार रहने के लिये, जिसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनके रहने के लिये, क्या पूरी तरह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं जहां व्यवस्था की है वहां इतनी फर्जी व्यवस्थायें हैं कि मेरे हो विधान सभा के क्षेत्र में नीन्दड गांव पड़ता है, बिलकुल चौमू रोड पर; वहां क्या हुआ है ? वहां पर प्लाट काटे गये और काट रहे हैं फर्जी नाम से जिनके पास जमीनें आलरेडी हैं उन लोगों को जमीनें दी गई हैं। और वहां पर बड़े आराम से डण्डा लगा रहे हैं–डेयरी के लिये कोई तीसरा ही आदमी इन गरीबों को बहका कर कब्जा किये हुये हैं। इन चीजों को हटाया जाना चाहिये और जहां तक खनिज का सवाल है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जहां एक तरफ हमारे देश की प्रधान मंत्री इस बात का दावा करती हैं कि हम समाजवाद लाने के लिये कटिबद्ध हैं वहां पर खनिज का जो धन्धा है वह आज भी पूंजीपतियों के हाथ में है, उन गरीबों के हाथ में नहीं है जिनको भर पेट रोटी नहीं मिलती है, तन ढकने के लिये जिनको पूरा कपड़ा नहीं मिलता है, जिनके बाल बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो उन लोगों को खनिज का धंधा नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं चाहूंगी आप मेरी इस बात को भी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

सरकार तक पहुंचा दें कि खनिज का जो धन्धा है, गरीब लोगों से करवाया जाय चाहे वह कापरेटिव सोसायटी के माध्यम से करवाया जाय और चाहे किसी तरह से करवाया जाय जिससे वे लोग अपना गुजर बसर कर सकें।

मुझे यह बतायें कि आखिर वे गरीब लोग भी इसी देश के वासी हैं, किसी चन्द्र लोक में तो रहते नहीं हैं, कोई हैलीकोप्टर से नहीं उतरे हैं। वे किसके पास जायेंगे रोने के लिये, किसके पास जायेंगे कहने के लिये। मैं निवेदन करूंगी सरकार मेरी इस बात पर ध्यान दे।

जहां तक किसानों का प्रश्न है एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप यह देखें कि किसानों को हम क्या सुविधायें देते हैं? इस ओर भी आप थोड़ा सा गौर करें। इस ओर भी गौर कीजिए कि क्या हम उनको बिजली, खाद, बीज समय पर उपलब्ध कराते हैं और पंचायती राज्य की जो सेवायें हैं क्या उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जिनको हम अन्नदाता मानकर चलते हैं हम दे पाये हैं? इस ओर भी आप ध्यान देने का कष्ट करें।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं अपनी बात शार्ट में ही कह रही हूं इसलिए आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : समय बहुत कम है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हमने बहुत बड़ा हल्ला किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और गरीबों की गरीबी दूर होगी लेकिन आज उन बैंकों में जाकर देखिये कि उनकी क्या अवस्था है? वहां की क्या व्यवस्था है? इन्सान वहां से कर्ज ले सकता है। मैं ले सकती हूं, आप ले सकते हैं और वह लोग ले सकते हैं जो प्रभावशाली हैं लेकिन गरीब नहीं ले सकते। इस तरह के कानून बने हुए हैं कि गरीबों के लिए उनकी पूर्ति करना कतई भी सम्भव नहीं है।

आज हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से गुजर रहे हैं। हम बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की लेकिन महिलाओं को क्या आगे बढ़ाया? क्या उनकी शिक्षा के लिए अलग से हमने प्रावधान किया या उनको अच्छी मजदूरी दी जो कि सबसे ज्यादा काम करती हैं? सुबह 3 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक देहाती महिलायें जितना काम करती हैं क्या पुरुष वर्ग उतना काम करता है और उसके अनुपात में उस बेचारी को यह कहकर कि यह फेयर सैक्स है यह काम नहीं करती हैं जब कि वह सबसे ज्यादा काम करती हैं, उनके ऊपर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होता? इसलिए मैं कहती हूं कि अगर हमें समानता लानी है, महिला वर्ष को सार्थक बनाना है तो हमको यह काम भी करना पड़ेगा।

चिकित्सा सुविधाओं के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। चिकित्सा सुविधायें बहुत

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

जरूरी हैं और खास तौर से देहाती क्षेत्रों में इतना ज्यादा इस बात का असन्तोष है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज हमने प्राईवेट प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगा दी, हमने पे क्लिनिक बना दीं और जिन लोगों के पास पैसा है वह उनका उपयोग ले सकते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं ले सकते। इसी तरह से जो डाक्टर अच्छा काम करने वाले हैं उनको केवल मात्र इसलिए कि यह अमुक पार्टी के व्यक्ति से संबंधित है या वह इसका फेवर करता है इसलिए उसे बिना किसी कसूर के हटा दिया जाता है, उसको सस्पेण्ड किया जाता है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में सिरसी एक गांव है···

श्री सभापति : अब आप समाप्त करेंगी।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : जी हां।

श्री सभापति : काफी बातें हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि आप समाप्त कर दें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं जल्दी ही करती हूं। वहां पर डाक्टर, जो कि बहुत अच्छा काम करने वाला है उसको केवल मात्र इसलिए कि उसने प्रशासन को टाइट किया उसके ऊपर सारा स्टाफ, जो कि जयपुर में घूमता रहता था उसका एक षड्यंत्र बनाया और उस गरीब को मरवा दिया। आज 3 साल होने आये, उस गरीब के बच्चे भी हैं, उसके बीबी भी है और वह यहां का रहने वाला भी नहीं है, वह मध्य-प्रदेश का रहने वाला है। उसका परिवार भूखों मर रहा है लेकिन हम उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो क्या न्याय संगत है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बस अब आप समाप्त कीजिए।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : समाज कल्याण विभाग के बारे में भी दो शब्द कहना चाहती हूं। समाज कल्याण विभाग के बारे में कहती हूं कि जो गिरे हुए लोग हैं, जो गिरा हुआ तबका है, पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी हम रक्षा करते हैं इस समाज कल्याण विभाग के द्वारा और उसी के अन्तर्गत एक बोर्ड बना हुआ है जो कि सेंटर से बना हुआ है जिसका नाम सोशियल वैलफेयर बोर्ड है। आज आप देखिये कि वहां की क्या हालत है? वहां के कर्मचारी जो कि जयपुर में बैठे हुए हैं सारी सुविधाओं का वह उपयोग कर रहे हैं और जो गांवों में काम करने वाली महिलायें हैं, जो रात दिन अपना खून पसीना एक करती हैं उनको वह लाभ नहीं मिलता है बल्कि लाभ मिलता है उसको कि जो जयपुर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। क्या यह समानता है? मुझे यह जवाब दे दिया जाये कि वह समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी नहीं हैं क्या? उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है? आप जरा देखिये। आप अन्दाजा कीजिए कि समय पर जिसको वेतन नहीं मिलेगा आखिर वह इस जमाने में अपना खर्चा कैसे चलायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए कृपया।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसी तरह से····

श्री सभापति : मैं काफी समय दे चुका हूं। मेरी मर्यादायें भी ग्राप ध्यान में रखेंगी।

श्री मानकचन्द सोगानी !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : कोई बात नहीं है। मेरी दो चार बातें ग्रौर थीं वह ग्रापने नहीं कहने दीं। बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि ग्रन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है इसलिए ग्राप क्यों नहीं उसके ऊपर प्रहार करेंगे ? ग्राप जरूर करेंगे।

श्री सभापति : श्री मानकचन्द सोगानी।

श्री मानकचन्द सोगानी (ग्रजमेर पूर्व): सभापति महोदय, मैं ग्राज एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में ग्रपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने जो भी बजट पेश किया वह बहुत संतुलित है ग्रौर इसके लिए बहुत मुबारकबाद। ग्रब जहां तक समस्या है वह है राजस्थान के पास डवलपमेन्ट के लिए रुपया है ग्रथवा नहीं है। यह चीज स्पष्ट है कि हमारे वित्त मंत्रीजी के पास ही पानी का विभाग है ग्रौर यह भी स्पष्ट है कि जब तक रुपया नहीं होगा पानी की पूरी व्यवस्था नहीं होगी। इस सिलसिले में जो मेरे से पूर्व वक्ता कह चुके हैं उस पर मैं भी दबाव देना चाहता हूं।

एग्रोकल्चर का टैक्स लगा ही देना चाहिए। यह मामला सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ग्राज से कुछ वर्ष पूर्व उठाया था ग्रौर उन्होंने एग्रोकल्चर टैक्स इन्कम टैक्स के लिहाज से इन्ट्रोड्यूस किया था। पंजाब हाईकोर्ट ने उस पर खिलाफ फैसला दिया इसलिए वह चीज उस समय समाप्त हो गई। ग्रब ग्राज के दिन एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया। सवाल यह ग्राता है कि हमारे यहां पर इस समय किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया ग्रौर जो हमने जनता को राजीखुशी रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जैसा कि ग्रापको मालूम है बगैर रुपये के डवलपमेंट हो नहीं सकता। रुपया ग्राखिर ग्रायेगा कहां से ? तो जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास काफी इस समय लैन्ड एग्रीकल्चर की है, उन सक्षम ग्रादमियों पर टैक्स लगाना जरूरी है। यह भी साथ में सोचना पड़ेगा कि कितने हजार पर एग्जम्प्ट कर दिया जाये वह गवर्नमेन्ट तय करके ऊंचे वाले तबके को इस टैक्स में लाना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है।

इसके बाद जहां तक सवाल ग्राता है ग्राक्ट्राय का, ग्राज राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज को ग्रधिकार है कि वह ग्रपने तरीके से ग्रपने स्थानों पर ग्राक्ट्राय लगाये। मगर इतने ग्ररसे के बाद ग्रब जरूरी चीज हो गई है कि राजस्थान में ग्राक्ट्रॉय का एक समुचित तरीके से ऐसा तय किया जाये जिससे कि हर शहर पनप सके। उदाहरण के लिए मैं ग्रापको ग्रर्ज करना चाहता हूं कि ग्रजमेर ग्रौर जयपुर में 80 मील का फासला है ग्रौर यहां पर जिस चीज पर तोल के हिसाब से ग्राक्ट्राय लगाते हैं वह चाहे दवाई हो या कपड़ा हो ग्रजमेर में उन्हीं पर रकम सैंकड़ा के हिसाब से टैक्स लगाकर दिया जाता है। इसका फल यह है कि यहां व्यापारी ग्रादमी ग्रजमेर में दवाई

(श्री माणकचन्द सोगानी)

नहीं मंगवा कर जयपुर आकर चोरी छिपे यहां से अजमेर के अन्दर दवा लेकर एन्टर होता है और वहां की आक्ट्राय बिलकुल वसूल नहीं हो पाती है। यह राजस्थान का तजुर्बा है इसलिए मैंने इस पर ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान के लिए बैठ करके और तमाम म्युनिसिपैलिटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुला कर यही तय करना चाहिए कि इस तरह की एक समन्वित नीति बने ताकि व्यापार हर जगह बढ़े।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में इतना ही कहना है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई सभी अफसर खराब नहीं हैं तो साथ के के साथ बहुत से अफसर अपना काम भी अच्छी तरह नहीं करते हैं। यह तो मैं तजुर्बे के आधार पर निवेदन करता हूं। अभी राज्य सरकार का अजमेर के लिए स्लम एरिया के लिए चार लाख रुपया मंजूर हुआ दिसम्बर के महीने में। मैं उन अधिकारियों को लेकर जहां जहां घूमना था तमाम जगहों पर गया और बैठ करके तय किया कि इस जगह बिजली लगानी है, यहां पानी का स्लम एरिया में नल लगाना है यहां यह बनवाना है, वह बनवाना है। जो भी चीजें पास की गई हैं उनका दौरा लगा कर समझा करके बता दिया। आज भी जब कि मार्च की यह अवधि खत्म हो रही है, वहां जाकर निरीक्षण करने से पता चलता है कि वह प्रोग्रेस इतनी धीमी स्पीड से चल रही है कि उसको क्रियान्विति होना मुश्किल है और बजट लेप्स हो जाएगा।

(म.प 4.30)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं क्योंकि यू.आई.टी. का फंक्शन इन तमाम कामों को जल्दी निपटाने का होता है।

यू. आई. टी. के सम्बन्ध में जब मैं बात करता हूं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि शहरों में जहां पर मकान नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट मिले बगैर बनते चले जा रहे हैं और सर्टीफिकेट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वह एग्रीकल्चर लैंड है। अब सवाल इस बात पर विचार करने का है, मैं पर्टीक्यूलर प्लेस को लेकर चलता हूं, अजमेर के अन्दर आज जहां पर कलेक्टर का आफिस बना हुआ है वह एग्रीकल्चर लैंड थी, आफिस बन गया, वह तोड़ा नहीं जा सकता, मगर आज हमारे यहां पर कन्वर्शन चार्जेज का अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि आबादी तो चारों ओर है, जमीन खाली है, लोग मकान बनाते जा रहे हैं, जमीन के चारों तरफ मकान बने हुए हैं, बीच में थोड़ा सा प्लाट है और उस प्लाट पर चूंकि यह एग्रीकल्चर लैंड है इसलिए सर्टीफिकेट नहीं देंगे। सर्टीफिकेट यू.आई. टी. देती नहीं है मगर जरूरत जिनको है वे मकान बनाते हैं। अब नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट के लिए भाग दौड़ मचाते हैं। तो हमारे यहां जो कुछ अव्यवस्था है उसको दूर करना जरूरी है। इन नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट के बारे में इतना निवेदन कर दूं कि वहां पर जो वीकर सेक्शन है जहां पर जिन्होंने अपने मकान बनाने के लिए सौ सौ रुपये जमा कराये हैं उस स्कीम, कोपरेटिव सोसायटी बना कर कि उनके सौ रुपये के पीछे

(श्री माणकचन्द सोगानी)

चार हजार रुपये देंगे। अब हालत यह है कि दो साल पहले तो रुपये जमा कराये लेकिन आज तक परमीशन मिली नहीं और अब तो वे आते हैं और कहते हैं कि हमारे सौ रुपये वापस दे दो तो कम से कम 15 रोज का खाना तो हमें मिले। जब ऐसी स्थिति में चार हजार रुपयों का वितरण नहीं होगा तो हमारे यहां हम जो यह चाहते हैं कि हम चार हजार रुपये देकर जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, वह लाभ नहीं पहुंचता है। यह कोआपरेटिव सोसायटी की दरअसल बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है, उनका भी फायदा नहीं मिल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की बेईमानी हो यह अव्यवस्था दूर कर देना चाहिए।

हमारे यहां गवर्नमेंट ने जो कुछ अच्छे कदम उठाये हैं, उसमें पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन। अब उसका विभाग तो अलग से खोला नहीं गया, कलेक्टर के दफ्तर में एक बाबू बिठा दिया। वह पहले से ही व्यस्त है और आप अपेक्षा करते हैं कि तमाम बातों की इन्क्वायरी कर रिपोर्ट करे और फिर पेंशन मिले तो यह हो नहीं रहा है। जहां तक मुझे मालूम है उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दी, साल सवा साल हो गया वह आदमी जो वृद्ध है अपने घर से कलेक्टर दफ्तर का चक्कर लगाता रहा और वह ओजीशरण हो गया मगर उसको पेंशन की रकम नहीं मिली। इस तरह से इस चीज के लिए विधान सभा में आपके सामने बताया जाता है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है।

सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां पर 1965 में एक सेक्शन 13 सब-सेक्शन (6) पास कराया गया था। बिल में यह प्रावधान किया कि जिनकी तरफ रकम निकलती है उनको पहले तो स्टे अपील कमिश्नर दे सकता था, वह प्रावधान हटा कर वह पावर दे दी गई सेक्शन 11 सब-सेक्शन (3) में डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कि दस हजार का स्टे दे और एडीशनल कमिश्नर ज्यादा के लिए दें। यहां पर इस वक्त जो स्थिति है वह भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि 1965 में उस समय जो यहां पर यहां के एम.एल.ए. थे उनका नाम है माणकचन्द सुराणा.....

श्री जगमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शायद कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी)

(गण पूर्ति होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes please continue.

श्री माणकचन्द सोगानी : तो उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त यहां पर श्री परसरामजी मदेरणा ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह कुछ पंक्तियां हैं मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने फरमाया :

"मैं आपकी बात को समझ गया हूं जो आप कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि जब तक स्टे की एप्लीकेशन पेंडिंग है और एप्लीकेशन जब तक कमिश्नर के पास पेंडिंग है और जिस दरमियान पेंडिंग है स्टे एप्लीकेशन तब तक उनका टैक्स वसूल नहीं होना चाहिए। मतलब यही है।"

(श्री माणकचन्द सोगानी)

तो उस वक्त माणक चन्दजी ने कहा "एग्जेक्टली यही होगा" फिर हमारे मंत्री महोदय ने, शायद उस समय डिप्टी मिनिस्टर होंगे, उन्होंने यह फरमाया—श्री परसरामजी मदेरणा कहते हैं :

"इसके प्रावधान के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को एश्योरेंस दे सकता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर देंगे कि जब तक पेंडिंग एप्लीकेशन है तब तक टैक्स का रियलाईजेशन नहीं होगा"

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसी सभा भवन में जो एश्योरेंस दिया गया था, जरूर यह सोच कर दिया गया था कि ज्यूडिशियल साइड से हटा कर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में यह पावर दे दी जाय तो आज जो मसले सामने आ रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि स्टे नहीं मिलता है, माल सीज कर लिया जाता है। यह चीज बाजार में, व्यापार में असन्तोष फैलाने वाली है। इसलिए मंत्री महोदय ऐसे केसेज के ऊपर कृपा कर ध्यान दें और आम पब्लिक जो अपेक्षा करती है उनको इस तरह की राहत मिले। यहां तक भी हुआ कि लोगों का माल लेने के पहले उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। नोटिस देना जरूरी है और ऐसी चीजों को अमल में लाने के पहले अधिकारीगण गवर्नमेंट के नोटिस में लायें तो यह चीज बहुत सरल हो जाएगी।

उपाध्यक्षजी, जहां तक सवाल है हमारे यहां के खनिज का तो राक फास्फेट से बहुत मदद मिली है, और भी खनिजों के अन्दर—हमारे खनिज मंत्री इस तरफ ध्यान दें तो इसमें जितने हमें साधन मिलेंगे हमारा डवलपमेंट अधिक होगा और तो कुछ भी प्रगति हुई है वह भी सराहनीय है। लेकिन जब तक पानी की व्यवस्था सब तरह से ठीक नहीं होगी तब तक हम कोई इस बात को नहीं कह सकते कि डवलपमेंट हमारा बहुत हो गया है। आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज है खाने की पीने की। पीने में पानी—हमारे लिए जो कुदरत ने दिया है उसके लिए हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। अजमेर के लिए हमारे यहां के मंत्री महोदय ने यह फरमाया था और जिसके लिए अजमेर डिस्ट्रिक्ट अहसान मानती है कि अजमेर ब्यावर नसीराबाद किशनगढ़ को पानी मिलेगा। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अर्से पहले वहां पर पुष्कर से पानी की योजना थी, वहां पर पुष्कर में पानी सूख गया। उसके बाद बनास से प्रबन्ध किया गया, वहां के कुए भी सूख रहे हैं। अब राजमहल की योजना सामने है, मैं मानता हूं कि इस बात पर काफी गौर किया गया है, लेकिन मैं निवेदन किया चाहता हूं कि चम्बल नदी देवली से करीबन 50 मील है, वहां से चम्बल का पानी बूंदी तक आ जाय और अगर लिफ्ट योजना में प्रबन्ध हो सकता हो तो उसका प्रबन्ध करना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कृपा करके गौर फरमायें। पुलिस का जहां तक सवाल है, उसके लिए सबने कहा, वेतन कम है, संख्या कम है, इसकी तरफ ध्यान दें। परन्तु जो शान्ति प्रिय शहर है, अजमेर, वहां पर ऐसी कभी भी घटना नहीं होती थी, अब

(श्री माणकचन्द सोगानी)
वहां पर ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। एक साल में इतने मर्डर दिन दहाड़े होते जा रहे हैं कि उसको रोकना जरूरी है। इसमें सब से बड़ा पार्ट प्ले कर रही है शराब। यह ठीक है इससे आपको रकम मिलती है। परन्तु वहां पर छात्र और अन्य लोग खुल्लम खुल्ला अंग्रेजी शराब की दुकान पर जाकर शराब पीते हैं और उसके बाद मदमस्त होकर सड़क पर घूमते हैं। यह भी नहीं देखते हैं कि कौन जा रहे हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिये और छेड़-खानी करना शुरू कर देते हैं। बात बात में चाकू मार देते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैं बता रहा हूं इसको जितना जल्दी समाप्त कर सकें उतना ही श्रेयस्कर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री माणकचन्द सोगानी : एक मिनिट।

एक मसला और है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अभी तो माननीय सदस्य मदमस्ती की बात कर रहे हैं और जल्दी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं····

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मसला और है। इस मामले पर मैं काल अटेन्शन भी पेश करना चाहता था। वह मसला अजमेर का ही है। एक धोबीघाट है····

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब तो दे चुके हैं। आपके पत्र में ही जवाब दिया था।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं नहीं था माफी चाहता हूं। इसको छोड़ देता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे जो अभी तक बहस सदन में हुई है उसके अलावा कुछ बातों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें सब से पहले योजना जो हमने अब बनाई है, उस प्रसंग में मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर यहां यह कहना चाहता हूं अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है और जिसको सारे देश ने, और हमारी भारत सरकार ने सबने यह माना है कि इन योजनाओं के माध्यम से बावजूद हमारे सब प्रयत्नों के हम जो रिजल्ट जिस दृष्टि से एचीव करना चाहते थे, हम एचीव नहीं कर पाये हैं। उससे जो असमानता मिटाना चाहते थे वह काफी हद तक नहीं मिट पायी है इसके आधार पर यह सोचा गया कि हमारी योजनाएं नीचे से, एक ठीक ढंग से बनाई जानी चाहिये जिससे आगे सुधार कर सकें। इस प्रसंग में जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं आज पुनः यह कहना चाहता हूं कि मेरा अपना यह मानना है कि योजनाओं के अन्दर और विकास की दृष्टि से जब तक हम मेनपावर यूटिलाइज करने का एक बहुत बड़ा आधार नहीं रखेंगे, श्रम को सोसाइटी में प्रतिष्ठा मिल सके, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक जो हम हमारे सीमित साधन से विकास के क्रम को जारी रखना चाहते हैं, उसके अन्दर

(श्री फूलचंद जैन)

आज हमारे सामने जो बाधाएं हैं, यह हम को मानना पड़ेगा। विकास की दृष्टि से यह ठीक है कि कई सेक्टर में काफी बड़ा रुपया खर्च कर रहे हैं परन्तु जैसे पहली योजनाओं के अन्दर हमने विकास के क्रम को शुरू किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आज जो आवश्यकताएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं जनमानस की बढ़ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम किसी भी विकास के क्रम की गति को इतना कम नहीं कर सकते जिससे यह लगे कि पिछड़ गये हैं। इस दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने यहां पर यह कहा था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के साथ में हमारा एक सप्लीमेन्टरी प्लान होगा और इस प्रसंग में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सप्लीमेन्टरी प्लान क्या हो–यह तो मैं नहीं कह सकता परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी योजनाएं जिला स्तर से बननी चाहियें और किस जिले के अन्दर किस प्रकार के विकास की संभावनाएं, आवश्यकताएं हैं और वहां के डवलपमेंट दृष्टि से हम यह महसूस करें कि ये जरूरत है, और उसके आधार पर एक प्लान बनाकर उसके अन्दर प्रायोरिटीज तय करके फिर उसमें जन सहयोग–पीपुल पार्टीसिपेशन शामिल करके इस प्रकार से काम डवलपमेंट के क्रम को, हमारे सीमित साधनों के बावजूद भी हम जारी रख सकते हैं। इस बात को जनता तक ले जाना चाहिए क्योंकि हम आज काम की गति को किसी भी क्षेत्र में रोकें, इसके बजाए जनता के बीच में बैठ कर जन प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर गांव के लेविल पर बैठ कर उनका सहयोग लें–तो फिर हम इसी क्रम को किसी हद तक जारी रख सकते हैं। इस पर विचार करना चाहिये। इस दृष्टि से मैं दो–तीन बातें हमारे अरबन डवलपमेंट के बारे में, अरबन डवलपमेंट के बारे में माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं। अरबन डवलपमेंट के बारे में यह कहना चाहता हूं–जिसका राज्य की वित्तीय स्थिति से भी सम्बन्ध है। वह यह कि राज्य सरकार को इस बारे में कई बार माननीय सदस्यों ने कहा है, फिर भी अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं होने का मैं कोई कारण नहीं समझ सका। हमारी स्वयं की दृष्टि उधर नहीं गई है–यही इसका मूल कारण है। नगरपालिकाएं कोई भी ऐसी नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां पर कि ऐनक्रोचमेंट के केसेज नहीं हों बल्कि मेरे सुजानगढ़ की बात कहूं–यह मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 8-10 हजार एनक्रोचमेन्ट के केसेज, है, जिन पर लोग काबिज हैं। यह केसेज अकेले सुजानगढ़ नगरपालिका के हैं। जमीन म्युनिसिपेलिटी के नीचे है और उस पर लोग काबिज हैं। कई ऐसी म्युनिसिपेलिटीज हैं जहां पर हजारों की संख्या में एनक्रोचमेंट के केसेज हैं और जिनको आप रेगुलराइज नहीं करते हैं। इस तरह से कई लोकल बोडिज हैं, जहां पर ऐसे केसेज हैं। एक निश्चित डाइरेक्शन आप नहीं देते हैं। पहले आपने ऐसे केसेज को 64 तक रेगुलराइज करने का आदेश निकाला और बाद में यह 1971 तक कर दिया। परन्तु इन आदेशों का कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एरिया में ऐसे केसेज हैं जिनका निपटारा

(श्री फूलचंद जैन)

अभी तक नहीं हुआ है और इससे हमारे गवर्नमेन्ट की रेवेन्यू भारी गई है। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटिज की इनकम भारी गई है और इस कारण से म्युनिसिपैलिटी घाटे में चल रही है। यह चिन्ता का विषय है। इनको रेवेन्यू का आधार बनाया जाये। राज्य सरकार इस बारे में सक्रिय होकर शीघ्र से शीघ्र आवश्यक नीति बना कर इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाती है यह समझ में नहीं आता। इस प्रसंग में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी एक बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। जहां तक जिन म्युनिसिपैलिटिज की जानकारी है, मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान में ऐसे ही स्थिति है। हमारा आवासन बोर्ड हाउसिंग प्राब्लम को साल्व करने का काम कर रहा है। इधर यू. आई. टीज. बड़े शहरों में काम कर रही हैं। आमतौर पर जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके अन्दर पिछले कई वर्षों से यह स्थिति है, और आज भी है। रिहायशी जमीन का ऐलाटमेन्ट वहां पर नहीं हुआ है और न हो रहा है। चूरू जिले के बारे में तो मैं यह कह सकता हूं पिछले 5/7 वर्षों से या इससे भी अधिक समय से वहां के एक भी सिटीजन को कोई रिहायशी प्लाट आवंटित नहीं किया गया है। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डवलपमेन्ट के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सिटीज के अन्दर रिहायशी प्लाट अलाॅट नहीं करें तो इसी वजह से एनक्रोचमेन्ट बढ़ते हैं और आज स्थिति यह है कि हजारों ऐसे केसेज पेन्डिग हैं जिनका निराकरण करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में, जो वहां के रेवेन्यु के आधार हैं, उनकी बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। इसके अन्दर कई ऐसे काम हैं जिनके अन्दर राज्य सरकार ठीक से कदम उठावे तो इन म्युनिसिपैलिटीज से काफी बड़ी रेवेन्यु मिल सकती है और उससे ये नगरपालिकाएं अपने यहां पर डवलपमेन्ट के काम भी ठीक ढंग से कर सकती हैं। सड़कें खराब हैं परन्तु उसके लिए धनराशि प्रोवाईड नहीं की जाती है। यह सब कार्य गवर्नमेंट की ओर से हों तो हो पाते हैं। यह गवर्नमेन्ट की काएबिलिटी है परन्तु ऐसे भी इनकम के सोर्स हैं जिनको ठीक ढंग से पकड़ा जाए तो राज्य सरकार को भी लाभ मिल सकता है। परन्तु इसकी तरफ हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है। तो मैं यह समझता हूं कि करीब करीब प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी में हमको कालोनाइजेशन का प्रोग्राम जो है उसको हाथ में लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो एन्क्रोचमेंट के केसेज हैं उनको किसी तरह से हम जल्दी से जल्दी रेग्युलेराइज करें या जो कुछ भी एक्शन उनके ऊपर लेना हो लें, पर गवर्नमेंट की रेवेन्यू उससे हमको मिले यह खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां पर आज डेवलपमेंट के मामलों में जो स्थिति हमारी है, उसको देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हो यह इस प्रकार के जो विभाग हैं जिनके लिए बड़ी

(श्री फूलचंद जैन)

बड़ी बिल्डिंग का जो पैटर्न बना हुआ है चाहे वह गांवों में हो, चाहे शहरों के अन्दर हो इस पैटर्न के मुताबिक जब तक भवन नहीं बनेगा सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल या कोई भी इन्स्टीट्यूशन नहीं खोलेंगे। आज की स्थिति को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि राज्य सरकार को गम्भीरता से उस पर विचार करके उसको बदलना चाहिए। एक स्वच्छ तरीके के भवन के अन्दर जो कम कीमत के भी बन सकते हैं जिनमें ज्यादा सुविधा हम दे सकते हैं। इस तरह के एप्रोच को हमारी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न हो एज्यूकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट के उनके फेज के अन्दर चेन्ज करके एक नई स्थिति यहां पर पैदा करना चाहिए जिसमें ऐसे दानदाता के रूप में जो पैसा देने वाले हों, चाहे पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से भवन बनाने की बात हो, उनके अन्दर आगे रुपया खर्च करके शिक्षा की या चिकित्सा की या दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें।

मैं निर्माण विभाग के बारे में भी एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि आज ऐसी पी. डब्लू. डी. की कई प्रापर्टीज हैं, हालांकि सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने यह कहा था कि एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर्स के नीचे के जो भवन हैं उनके रख-रखाव की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पी. डब्लू. डी. के अन्दर जितने भी भवन हों और जो उनके फार्म पर स्थिति हैं उनके लिए पूरी तरह से सर्वे करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि उनके भवन किसमें कहां पर ऐसे पड़े हुए हैं कि जो बहुत कीमत के हैं परन्तु आज उचित उपयोग नहीं होता है। इसलिए उनका उचित उपयोग हो या वह अगर दूसरे काम में भी लिये जायं जिससे आज हमको अच्छी रैवेन्यू मिले तो किसी न किसी रूप में उस पर विचार करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता कि जैसे सुजानगढ़ का रैस्ट हाउस है। वह एक बहुत बड़ी कोठी थी किसी जमाने के अन्दर और जब भी राजा-महाराजा वहां आते थे उसका यूज करते थे। वहां पर चार कमरों में रेस्ट हाउस बना हुआ है बाकी उसके अन्दर की जमीन फालतू पड़ी हुई है। वह काफी कीमत की जमीन है। इसी तरह से दूसरे ऐसे भवन या जमीनें हैं जिनको ठीक ढंग से रिप्लेस करके उनका उपयोग करें चाहे रैवेन्यू क्रियेट करके दूसरे ढंग से काम में लायें। पर इस पर उनको विचार करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसी मेरी मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देवस्थान के अन्तर्गत जो हमारी प्रापर्टीज हैं, मन्दिर हैं और दूसरी चीजें हैं, हालांकि मैं यह मानता हूं कि आज पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है उसमें भी सर्वे करा कर संशोधन करना चाहिए, क्योंकि उसको जिस दृष्टि से हमने बनाया था आज उसकी उपयोगिता उस रूप में नहीं हो रही है। यह मैं कहना चाहता हूं कि उसको ठीक ढंग से बनाना चाहिए जिससे जो सार्वजनिक सम्पत्ति है उनके द्वारा जो कुछ भी हमारा दृष्टिकोण

(श्री फूलचंद जैन)

या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत में उसकी पूर्ति होना चाहिए। उस दृष्टि से उस पर विचार करके एक नया संशोधन उसमें हमको लाना चाहिए, और देवस्थान विभाग के नीचे जो मन्दिर हैं, संस्थायें हैं, जैसे कि मान लें जोधपुर है वहां पर जसवन्त सराय है, तो जसवन्त सराय के बारे में मुझे पता है कि जसवन्त सराय का अच्छा उपयोग है, लेकिन जसवन्त सराय और अच्छे ढंग से चले उसके लिए कौन कम्पीटेन्ट आथोरिटी है ? कहां पर देवस्थान विभाग में प्रोवीजन है कि उसमें कुछ करें ? ऐसी प्रापर्टीज जो देवस्थान विभाग के पास में हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, अच्छा युटिलाइजेशन कैसे हो, इस दृष्टि से गम्भीरता से हमको विचार करना चाहिए।

इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट के कई ऐसे अलग-अलग विभाग हैं कि जिनके अन्दर हम अपने दूसरे ढंग से चाहें तो रेवेन्यू क्रियेट कर सकते हैं, चाहे उनका युटिलाइजेशन ऐसे अच्छे ढंग से कर सकते है जिससे बहुत ज्यादा वित्तीय साधनों के आधार पर वजन हमारे ऊपर न पड़े, और उसके ठीक उपयोग से हम जो हैं वहां के लोकल डेवलपमेंट में काफी अच्छा कन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे यहां पर यह निर्माण के या दूसरे जो भी काम चलते हैं उनके अन्दर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं उनके अन्दर डिले न हो, टाइमली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। जहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे इन्डस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे हमारे दूसरे ढंग के कन्स्ट्रक्शन हो, चाहे वह हमारी योजनायें हों उनके अन्दर जो है जब तक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम के तौर से उनके ऊपर कड़ी निगरानी नहीं रखेंगे और हमारी जो कीमतों का उतार-चढ़ाव और बढ़ने का सिलसिला है उस सिलसिले के अन्दर जिस तरीके से वजन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ता जा रहा है, उसका असर आखिर किस पर पड़ता है ? उसके लिए हम विचार नहीं करेंगे तो हमारे सामने जहां पर उनके युटिलाइजेशन की, इम्प्लीमेन्टेशन की या कम्प्लीशन की बात है और जहां पर रिटर्न शुरू होते हैं तो उनके रिटर्न शुरू नहीं होते हैं और एक्सपेन्डीचर उसके कारण ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका असर भी हम पर पड़ता है। एक तरफ तो हमारे आंकड़े बढ़ते हैं दूसरी तरफ हमारा एक्सपेन्डीचर कम हो हमारी एफिशियेन्सी इन्क्रीज हो और हमारे जो कुछ भी लूप होल्स हैं टैक्सेशन के और दूसरे उनके लीकेज का सुधार हो। परन्तु यह एक ऐसा आस्पेक्ट है जो मैं अभी कहना चाहता हूं कि जिसके अन्दर हमारी स्वयं की सम्पत्तियां हैं उन सम्पत्तियों के बारे में भी हमको देखभाल करने की आवश्यकता है कि जिससे हम जो हैं उनके आधार पर चाहें तो एक तरफ रेवेन्यू बढ़ायें और दूसरी तरफ उनका प्रापर युटिलाईजेशन करें। जैसा कि मैंने कहा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं यहां पर विस्तार से नहीं जा सकता हालांकि मैं सबके फीगर्स लाया हूं कि किन-किन प्रोजेक्ट्स के अन्दर किस-किस टाइप में हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए था और जो वर्ष तक पूरा नहीं हुआ और उसके कारण से आज हमारी क्या स्थिति है। मैं उदाहरण देता हूं सुजानगढ़ के आर्ट्स

Page No 125

(125)

(श्री फूलचंद जैन)

एण्ड कामर्स कालेज का। 1967 के अन्दर एक दान दाता ने उसके लिए चार लाख रुपये दिये, और इस सम्बन्ध में सरकार ने कहा कि जो पैटर्न हमने दिया है उसमें चार लाख रुपये लगेंगे भवन के निर्माण के लिए और वह आपको देना होगा। 1967 में चार लाख रुपये देने थे उसका एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद से पी.डब्लू.डी. ने काम शुरू कर दिया। आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि 72 तक वह उस भवन का एक फेज भी कम्पलीट नहीं कर सके और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि जब उसके बाद में हमने बहुत ज़ोर लगाना शुरू किया तो आज आप देखिए कि चार लाख रुपये लग गए और जितना भवन उन रुपयों से बन सकता था उसका आधा भवन भी चार लाख रुपयों में नहीं बना। उसको कोई देखने वाला नहीं है। जो भवन चार लाख रुपये में बन सकता था आज 8, 9 लाख रुपये में बनने की स्थिति में आ गया। तो यह किस वजह से? वह क्या है? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? किसने ऐसा किया है? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में एक मिसाल देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी स्थिति आज चिन्ताजनक बनी हुई है। डोनर ने एक लाख रुपया दिया शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग ने रेवेन्यू के हैड में उसको ट्रांसफर कर दिया और ट्रान्सफर की एन्ट्री किसी तरह से रांग हैड में हो गई। इसकी वजह से न तो एकाउन्टेन्ट जनरल एक साल तक उस रुपये को खर्च करने के कोई आदेश देता है और शिक्षा विभाग इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि रुपये को कैसे निकालें और खर्च करें। परिणाम यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे स्वयं को पिछले समय तक कान्स्टेन्टली एफर्ट्स करने पड़े उसके पीछे और एक साल बाद एक लाख रुपये को वहां से किसी तरह से निकलवाये और वह एक लाख रुपया एक साल पहले यूज हो सकता था उसका एक साल के बाद में यूज हुआ। उसका असर यह हुआ कि एक लाख के अन्दर जो कन्स्ट्रक्शन हो सकता था....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 मार्च, 1975 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री फूलचन्द जैन : मैं कन्टीन्यू करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.00 बजे सोमवार दिनांक 24 मार्च, 1975 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

चोहटन ग्राम की जल प्रदाय योजना

714 श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)– क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में चोहटन तहसील के मुख्यालय चोहटन ग्राम की जल प्रदाय योजना कब शुरू हुई ? इस योजना के अन्तर्गत कितना बड़ा होद बना और अब तक कितनी पाइप लाइन का निर्माण हुआ और इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाइप लाइन योजना एवं होद का निर्माण चोहटन ग्राम की उस वक्त की आबादी को मद्दे-नजर रखते हुए किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि चोहटन ग्राम की आबादी जो कि सन् 1971 में 4499 थी जो अब 6000 हो चुकी है और शरणार्थियों की एक हजार जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए 7000 की आबादी है और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है बीस सालों में 15000 हो जावेगी और यह योजना इस समय की जनता के पानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना से सम्बन्धित ट्यूबवैल दो माह से खराब है और जिसको ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(5) क्या जन स्वास्थ्य विभाग चोहटन ग्राम की जल प्रदाय योजना की विस्तार योजना जल्दी से जल्दी बनाना आवश्यक समझता है ? यदि हां, तो उसके लिये कब सर्वे का कार्य शुरू किया जायेगा और कब तक विस्तार योजना की स्वीकृति दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1961–62 में कार्य प्रारम्भ किया गया । एक टंकी 20,000 गैलन की व आवश्यक पाइप लाइन बिछाई गई । उक्त योजना पर फरवरी 1975 तक 3.09 लाख रुपया खर्च किया गया ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । राजस्थान भू-जल विभाग से सम्पर्क कर सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(प्रश्न के भाग 5 का उत्तर नहीं दिया गया)

घग्घर डाईवरशन कैनाल से सिंचाई करने की योजना

715. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़)– क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि घग्घर डाई-वरशन कैनाल (Ghaggar Diversion)

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

Canal) की अठारह झीलों (Depressions) से नहरें निकाल कर सिंचन करने की एक योजना गंगानगर के नहरी अधिकारियों द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कितनी नहरें किस-किस झील (Depression) से निकालने की योजना है, तथा इससे कुल कितना सिंचन होगा ? झीलवार, नहरवार तथा कुल अनुमानित राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजनाओं को प्रति एकड़ सिंचन व्यय बहुत ही कम आता है तथा व्यय के अनुपात में लाभ भी बहुत अधिक है ? कृपया यह व्यय और अनुपात गंगनहर, भाखरा और राजस्थान नहर के व्यय और अनुपात क्या हैं ? तथा इन योजनाओं के तुरन्त न स्वीकृत किये जाने का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) प्रस्ताव पर केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें घग्घर डाईवरशन कैनाल के डिप्रेशन में भरे जल को सिंचाई में उपयोग करने की सम्भावना का विवरण है। विस्तृत सूचना सर्वे करने के बाद ही दी जा सकेगी।

(2) आवश्यक सर्वे करने व योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद ही व्यय व तुलनात्मक लाभ का सही पता हो सकेगा।

मैसर्स सियाराम ब्रादर्स, जयपुर द्वारा बिक्री कर की चोरी

716. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य-सरकार को मैसर्स सियाराम ब्रादर्स, एम. आई. रोड, जयपुर द्वारा की जा रही बिक्री कर की चोरी के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायती-पत्र में यह शिकायत की गई है कि उक्त फर्म अपना सारा माल जयपुर में बेचती है किन्तु बिल दिल्ली से बनवाया जाता है ?

(3) उक्त फर्म पर गत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने कर का निर्धारण किया गया, सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वार्ड नं. 28 दिल्ली बिक्रीकर अधिकारी से एक जांच पत्र ता. 1-5-73 को प्राप्त हुआ था।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है :—

मैसर्स सीयाराम ब्रादर्स

वर्ष	कुल बिक्री	कर योग्य बिक्री
आर.एस.टी. 69–70	16,27,873.40	14,74,874.16
सी.एस टी. 69–70	16,27,873.40	90,656.92
(1–7–68 से 30–6–69)		
आर.एस.टी. 70–71	20,79,673.04	17,48,492.85
सी.एस.टी. 70–71	20,79,673.04	95,784.81
(1–7–69 से 30–6–70)		
आर.एस.टी. 71–72	26,71,417.82	10,68,754.80
सी.एस.टी. 71–72	26,71,417.82	94,299.02
(1–7–70 से 30–6–71)		
आर.एस.टी. 72–73	29,60,308.76	11,21,028.40
सी.एस.टी. 72–73	29,60,308.76	84,039.08
(1–7–71 से 30–6–72)		
आर.एस.टी. 73–74	29,28,833.09	11,43,078.16
सी.एस.टी. 73–74	29,28.833.09	1,22,609.56
(1–7–72 से 30–6–73)		
आर.एस.टी. 74–75	35,30,334.23	13,53,526.98
सी.एस.टी. 74–75	35,30,333.23	94,677.31
(1–7–73 से 30–6–74)		
आर.एस.टी. 75–76	17,47,001.68	5,75,537.82
सी.एस.टी. 75–76	17,47,001.68	1,07,166.64
(1–74 से 31–12–74)		

एम.आई.रोड, जयपुर

कर	पारित करने की दिनांक	कर	शास्ति	योग	रिमार्क्स
1,39,506.50	25-11.70	1,39,506.50	50.00	1,39,556.50	पूर्ण
2,732.07	25-11.70	2,732.00	–	2,732.07	जमा
1,67,206.12	25-11.72	1,67,260.12	10.00	1,67,270.12	,,
	25-5.74		578.68	578.68	
3,663.08	25-11.72	3,663.08	–	3,663.08	,,
97,234.56	शेष	नोट :–कर योग्य राशि व कर का विवरण प्रपत्र के अनुसार है। सम्पूर्ण कर प्रपत्रों में प्रदर्शित जमा है।			
2,735.09	शेष				
95,651.91	शेष		,,		
2,521.08	शेष		,,		
1,00,406.27	शेष		,,		
3,675.47	शेष		,,		
1,16,887.69	शेष		,,		
2,840.30	शेष		,,		
1,50,198.92	शेष		,,		
3,214.98	शेष		,,		

Page No 130

(130)

कोटपूतली तहसील के बनाड़ी बांध का सर्वे

717. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में बनाड़ी बांध का सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस बांध पर कितना खर्चा होने का अनुमान है तथा कितनी जमीन सिंचित होगी ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त बांध का कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, बनाड़ी बांध की लागत 11.79 लाख रुपया तथा सिंचाई क्षमता 1952 एकड़ अनुमानित है।

(2) धनाभाव के कारण इस वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं हो सकेगा।

झुन्झनूं जिले में सरकारी कॉलेज

718. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के 26 जिलों में से सरकारी कॉलेज किन-किन जिलों में है ?

(2) क्या झुन्झुनूं जिले में भी कोई सरकारी कॉलेज है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में सरकारी कॉलेज खोलने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के 26 जिलों में से झुन्झुनूं और जोधपुर के जिलों को छोड़कर सब जिलों में राजकीय महाविद्यालय हैं।

(2) जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निम्नलिखित 5 महाविद्यालय झुन्झुनूं जिले में चल रहे हैं:—

(1) इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन, अड़ावता।

(2) चिड़ावा कॉलेज, चिड़ावा।

(3) मोतीलाल कॉलेज, झुन्झुनूं।

(4) सेठ जी. बी. पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़।

(5) एल. एस. कॉलेज, मुकुन्दगढ़।

(3) जी नहीं।

जल प्रदाय विभाग सांचोर के ओवरसियर

719. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर में जल प्रदाय विभाग का खण्ड खोला गया था और बाद में उसको जालौर से हटाकर सिरोही कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) जालौर में उक्त खण्ड वापस कब तक लाया जायेगा ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या सरकार सांचोर में जल प्रदाय योजना का उप-खण्ड स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सत्य है कि सांचोर से जल-प्रदाय विभाग के ओवरसियर श्री गर्ग का स्थानान्तरण शिकायतन कर दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? क्या वे अभी तक सांचोर में ही कार्य कर रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनको कब तक हटाकर दूसरा ओवरसियर उनके स्थान पर भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जल विभाग जालोर का मुख्यालय प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-3-74 द्वारा जालोर से सिरोही स्थानान्तरित किया गया है, चूंकि इस खण्ड का जालोर मुख्यालय होने से सिरोही जिले की जल-योजनाओं की देख-रेख पूर्णरूपेण नहीं हो पाती थी, अतः इस खण्ड का मुख्यालय सिरोही बदला गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) चूंकि सांचोर में परियोजना उप-खण्ड पहिले ही से कार्यरत है, अतः नया उप खण्ड खोलने का कोई विचार नहीं है।

(4) श्री गर्ग का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों पर दिनांक 4-9-74 को किया गया था। बाद में दिनांक 2-11-74 को उनकी स्वयं की इच्छा पर आदेश में संशोधन कर उनको भीनमाल के बजाय सिरोही उप-खंड में स्थानान्तर कर दिया गया तथा वे कार्य मुक्त दिनांक 1-3-74 को किये जा चुके हैं। उनकी जगह दूसरे कनिष्ठ अभियन्ता की पोस्टिंग की जा चुकी है।

अजमेर जिले को चम्बल से पानी देने की योजना

720. श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले को चम्बल से पानी देने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार उसको पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं,

सन् 1970 में सिर्फ प्रारम्भिक जांच की गई थी।

(2) अभी प्रश्न नहीं उठता। प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ है कि यह प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

छाबड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

721. श्री जगमोहनसिंह (छाबड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि छाबड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का स्थान करीब 1 वर्ष से रिक्त

(श्री जगमोहन सिंह)
चला आ रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा अब नियुक्ति कब तक करदी जायेगी?

उत्तर

जी हां। राजस्थान न्यायिक सेवा में अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण अब तक कुछ न्यायालयों में अधिकारी नहीं लगाये जा सके हैं। अधिकारियों की नई भर्ती के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में जैसे-जैसे अधिकारियों की नियुक्ति होती जावेगी यह समस्या भी हल हो जावेगी।

अजमेर जिले के शराब के ठेकेदारों पर बकाया राशि

722. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अजमेर जिले में कुछ शराब के ठेकेदारों में गत कई वर्षों से राज्य सरकार की रकम बकाया है? यदि हां, तो कितनी रकम किन-किन ठेकेदारों पर बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

जी हां। व्यौवार एवं ठेकेदार ग्राहक बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है

वसूली की स्थिति निम्न प्रकार है:—

1.	रु. 16,33,907.32	वसूली के लिए भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही चल रही है।
2.	रु. 23,53,757.50	वसूली विभिन्न न्यायालयों तथा राज्य के स्थगन आदेशों के कारण रुकी हुई है।
3.	रु. 13,959.25	वसूली के लिए विभाग द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम लालपुरा (बून्दी) में निकलने वाले धोरों पर मकानों का निर्माण

713. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई के लिये बनाये गये सरकारी धोरों पर किसी को मकान नहीं बनाने दिये जाते?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम घोलपुरा (तहसील-बून्दी) में निकलने वाले धोरे पर किसी ने कुछ मकान बना लिये हैं? यदि हां, तो यह मकान कितने हैं? किस-किस ने बनाये हैं तथा इनको बनाये हुए कितने वर्ष हुए हैं? सम्पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस धोरे के बनने से कुछ किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध

(श्री रमेशचंद्र सैनिक)

नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो कुल कितने किसान, कौन बिरादरी के तथा कुल कितनी भूमि है जिसमें पानी कितने वर्षों से नहीं जा रहा है ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(4) पानी नहीं पहुंचने से अनुमानित कितना नुकसान हुआ होगा ? और अब यह धोरे कब तक तुड़वा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, ऐसे चार मकान श्री नन्दा, माधो, सोडवया व सुखदेव (जाति मीणा) ने लगभग चार वर्षों से बनाये हुए हैं।

(3) सूची संलग्न है।

(4) चूंकि अधिकतर काश्तकार स्वयं कुए चलाकर सिंचाई कर रहे हैं अतः नुकसान का वास्तविक अन्दाज लगाना संभव नहीं है। तहसीलदार, बून्दी ने इन मकानों को तोड़ने के आदेश दे दिये हैं। धोरों पर मकान बनाने वालों ने अभी इकरार नामे लिख दिये हैं कि वे नया धोरा बनाने के लिए राज्य कोष में पैसा जमा करेंगे अतः नया धोरा बनाने की कार्यवाही आरम्भ करदी गई है।

सूची

सूची लालपुरा माइनर के वंचित क्षेत्र की जिसको नष्ट किए धोरों के कारण पानी नहीं मिल रहा है उसके खसरा नम्बर व रकवा

क्र.सं. 1	खसरा न. 2	नाम कृषक 3	रकवा 4
1.	19	श्री किशना आ. बुद्दा मीना साकिन लालपुरा	18 बिस्वा
2.	38	श्री गबरूया आ. मांगिया मीना ,,	1 बीघा 13 बिस्वा
3.	210	श्री कालू मेडिया गोविया आ 2 ओमदा चमार लालपुरा	9 बिस्वा
4.	211	श्री भैरिया लक्ष्डरिया आ. माधो चमार	14 बिस्वा
5.	212	श्री माधो आ. फता चमार	13 बिस्वा
6.	212	श्री नरकिया आ. माधो मीना	19 बिस्वा
7.	27	श्री मेनदया फदिया आ. गिरधारी गूजर	1 बीघा 10 बिस्वा
8.	26	श्री नारायण आ. नारमल गूजर	12 बिस्वा

Page No 134

(134)

1	2	3	4
9.	35	उपरोक्त	10 बिस्वा
10.	34	श्री रतना जाना ग्रा. ग्यारसिया मीना	1 बीघा 18 बिस्वा
11.	38 22	उपरोक्त	17 बिस्वा
12.	21	उपरोक्त	2 बीघा 7 बिस्वा
13.	29	गैनदया फदिया ग्रा. गिरधारी गूजर	1 बीघा 1 बिस्वा
14.	28	श्री दीपा ग्रा. श्रवण गूजर	1 बीघा
15.	27	उपरोक्त	5 बिस्वा
16.	30	गेनदियां फदियां ग्रा. गिरधारी गूजर	8 बिस्वा
17.	25	श्री छुप्ना ग्रा. गोमदा गूजर	6 बिस्वा
18.	24	छुप्पना ग्रा. गोमदा गूजर	19 बिस्वा
19.	26	श्री गेदिया फदिया ग्रा. गिरधारी गूजर	12 बिस्वा
20.	7	श्री छुप्पना, गोमदा गूजर	1 बीघा 1 बिस्वा
21.	8	श्री रतना जाना ग्रा. ग्यारसिया मीना	13 बिस्वा
22.	9	श्री छुप्पना गोमदा गूजर	19 बिस्वा
23.	10	श्री कालु ग्रा. लादू मीना	2 बीघा 5 बिस्वा
24.	12	श्री छुप्पना ग्रा. गोमदा गूजर	1 बीघा 10 बिस्वा
25.	13	श्री नारायण ग्रा. भारमल गूजर	2 बीघा 1 बिस्वा
26.	18	श्री छुप्पना ग्रा. गोमदा गूजर	2 बीघा 4 बिस्वा
27.	16	श्री नारायण भारमल गूजर	1 बीघा 9 बिस्वा
28.	20	श्री छुप्पना ग्रा. गोमदा गूजर	1 बीघा 18 बिस्वा
29.	15	श्री नारायण ग्रा. भारमल गूजर	15 बिस्वा
30.	14	उपरोक्त	1 बीघा 8 बिस्वा
31.	17	श्री नारायण ग्रा. भारमल गूजर	5 बिस्वा
32.	6	श्री दीपा ग्रा. श्रवण गूजर	18 बिस्वा
33.	31	श्री गैन्दया फूदियां ग्रा. गिरधारी गूजर	16 बिस्वा
34.	22	श्री छुप्पना ग्रा. गोमदा गूजर	2 बीघा 4 बिस्वा

नोट:–उक्त काश्तकारों को मकान बनने के समय अर्थात् करीब 4 वर्ष से घोरों द्वारा पानी नहीं मिला है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबू रोड में स्टॉफ की कमी

724. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबूरोड को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए लगभग छः वर्ष हो चुके हैं किन्तु अभी तक इस विद्यालय में उच्च मा. वि. स्तर का स्टॉफ नहीं दिया है जिसके कारण विद्यालय के कार्य में बहुत असुविधा रहती है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष इस विद्यालय को नियमानुसार दो वरिष्ठ लिपिक व तीन कनिष्ठ लिपिक व तीन प्रयोगशाला सहायक व तीन प्रयोगशाला कर्मचारी व छः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की स्वीकृति दे दी जावेगी? वर्तमान में रा. उ. मा. विद्यालय, आबू रोड में कुल कितने अध्यापक, लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला कर्मचारी कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 1973–74 में नदी की बाढ़ से विद्यालय भवन डूब चुका था जिससे लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई व भवन को भी नुकसान हुआ जिसकी मरम्मत हेतु 38,000 रु. इस वर्ष राज्य सरकार से देना स्वीकृत हुआ था किन्तु अभी तक यह राशि विद्यालय के विकास में नहीं लगी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि रा. उ. मा. विद्यालय, आबूरोड के पास छात्रों की संख्या के अनुपात में फर्नीचर, दरी पट्टियां व भवन नहीं हैं और छात्रों के बैठने में बहुत ही कठिनाई है? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से फर्नीचर व दरी पट्टियां व आवश्यक कमरे बनवाने की कब तक व्यवस्था कर दी जायगी?

(4) 1973-74 के वर्ष में नदी के बाढ़ में "विज्ञान उपकरण" पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं किन्तु अभी तक उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कृपया बताने का कष्ट करें कि इस विद्यालय को विज्ञान उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय के लिए निर्धारित स्टॉफ/प्रधाना अध्यापक, 9 वरिष्ठ अध्यापक दे दिये गये हैं। वरिष्ठ लिपिक का पद 1 ही दिया जाता है। प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला सेवक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी शीघ्र पूरी की जायेगी। कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। यह राशि जिला परिषद् को दी गई थी। इस सम्बन्ध में जिला परिषद् से विस्तृत सूचना चाही गई है।

(3) जी हां। भवन व फर्नीचर अपर्याप्त हैं। सन 73–74 में 3,000 रु.

(श्री शिक्षा मंत्री)
की राशि फर्नीचर की खरीद व मरम्मत के लिये दी गई थी। भवन की कमी के लिये राज्य सरकार मुख्यतः जन सहयोग की अपेक्षा करती है।

(4) इसके लिये सत्र 73-74 में 4,000/- की राशि आवंटित की गई थी।

कार्यरत कर्मचारियों की सूची

1.	प्रधानाध्यापक	एक
2.	वरिष्ठ अध्यापक	नौ
3.	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	चौदह
4	तृतीय श्रेणी अध्यापक	दस
5.	वरिष्ठ लिपिक	रिक्त
6.	कनिष्ठ लिपिक	एक
7.	प्रयोगशाला सहायक	एक
8.	प्रयोगशाला सेवक	एक
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो

———————

हाई टेक प्रेसीशन ग्लास लि. धौलपुर में डेपुटेशन पर आये कर्मचारी

725. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या मंत्री, राजकीय उपक्रम विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—।

(1) हाई टेक प्रेसिशन ग्लास लि. धौलपुर में वर्तमान में राज्य सरकार के कौन कौन अधिकारी।कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अधिकारियों।कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा किस आधार पर डेपुटेशन पर लिया गया ?

(3) क्या इन अधिकारियों।कर्मचारियों के लिये डेपुटेशन की अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन कौन अधिकारी। कर्मचारी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी संस्थान में नियुक्त हैं और क्यों ?

(4) इन अधिकारियों।कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि में संस्थान को कितनी धन राशि प्रतिवर्ष व्यय करनी पड़ती है ? वर्ष 1972-73 से अब तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि शासन के अधिकारियों।कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा डेपुटेशन पर लिये जाने का संस्थान के कर्मचारी संघ ने विरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में हाई टेक प्रेसीजन ग्लास लि. धौलपुर में कोई भी राज्य सरकार का अधिकारी/कर्मचारी डेपुटेशन पर नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्तमान में कोई कर्मचारी डेपुटेशन पर नहीं होने से व्यय के विवरण का प्रश्न नहीं उठता है। वर्ष 1972-73 में दिनांक 22-7-72 से 6-1-73 तक अलबत्ता इस फैक्ट्री में सहायक लेखाधिकारी

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

के पद पर श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा की सेवायें राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर ली गई थीं। इन पर इस अवधि में वेतन, भत्ते, इत्यादि पर कुल रु. 4286.03 की राशि व्यय हुई है।

(5) जी नहीं। संस्थान के कर्मचारी संघ की ओर से कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

आबू बाई पास रोड का निर्माण कार्य

726. श्री भूराराम (आबू)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि आबू रोड तहसील में आबू बाई पास रोड अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो सरकार इस रोड को पूरा करवाने की मंशा रखती है? व कब तक उपरोक्त रोड पूरा कर दिया जायेगा और वित्तीय वर्ष 1975-76 में इसके लिये कितना प्रावधान रखा गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह कार्य अकाल राहत व क्रैश योजना के अन्तर्गत लिया गया है व 14 किलो मीटर में से 11.2 किलोमीटर मेटल रोड एवम् 4 क्रोस ड्रिनेज कार्य को छोड़कर सड़क कार्य पूर्ण है।

विभाग की योजना में उक्त कार्य स्वीकृत नहीं होने से 1975-76 के बजट में प्रावधान सम्भव नहीं हुआ है।

विद्यालय निरीक्षक, चूरू द्वारा मान्टेसरी ट्रेन्ड अध्यापकों का साक्षात्कार

727. श्री भूराराम (डूंगरगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, चूरू ने मान्टेसरी ट्रेन्ड अध्यापकों का साक्षात्कार अक्टूबर 1974 में लिया?

(2) यदि हां, तो क्या चयन किये गये अध्यापकों को कार्य पर लगा दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकार से चयनित पुरुष अध्यापकों को विद्यालयों में कार्य पर लगाने के लिये निरीक्षिका, बीकानेर को निरीक्षक, चूरू द्वारा लिखा गया?

(4) क्या यह सही है कि निरीक्षिका, बीकानेर ने चूरू निरीक्षक को वापिस लिख दिया कि मान्टेसरी ट्रेन्ड पुरुष अध्यापक जो चयनित कर सूची भेजी गई है, उन्हें कार्य पर नहीं लगाया जायगा?

(5) क्या यह सही है कि उन चयनित अध्यापकों को अभी तक कार्य पर नहीं लगाया गया है?

(6) यदि हां, तो उन्हें कब तक नौकरी पर लगा दिया जायगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्जिन मनी के रूप में प्राप्त धनराशि

728. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को "मार्जिन मनी" के रूप में कब और कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के लिये वित्त आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या सुझाव अथवा निर्देश दिये ?

(3) अब तक राज्य सरकार ने "मार्जिन मनी" में से कितनी धनराशि कब-कब और किन-किन कार्यों पर व्यय की ? कृपया जिले वार आंकड़े बतावें ?

उत्तर

(1) छठे वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रेल 1974 से लागू है। उन सिफारिशों के तहत प्रति वर्ष 10.19 करोड़ रुपये का प्रावधान मार्जिन मनी के रूप में केन्द्रीय सरकार से अन्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता की राशि के साथ शामिल होकर मिलता रहेगा। वित्त वर्ष 74–75 में तदनुसार प्रावधान रखा गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार ने मार्जिन मनी के बाबत यह सुझाव दिया है कि इस धनराशि का बजट में प्रावधान करते हुए इसे ऐसे ऋण-पत्रों में विनियोजित कर दिया जावे जिससे जरूरत पड़ने पर उनकी बिक्री करके उस धनराशि को प्राप्त किया जा सके। वित्त आयोग ने यह प्रस्तावित किया है कि इसका उपयोग अभाव, बाढ़ अथवा तूफान आदि से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए किया जाना चाहिये।

(3) जो धनराशि जिन-जिन कार्यों पर व्यय की गई है उसकी सूची सदन में रख दी गई है।

सूची

सहायता कार्यक्रम चलाने हेतु प्राप्त 10.19 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी इस वर्ष के अन्त तक व्यय हो जाने की सम्भावना है। जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	मद	व्यय का लक्ष्य	राशि जो व्यय होगी
1	2	3	4
1.	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में (नान-प्लान)	असहाय सहायता वितरण हेतु	22.25 लाख
		पशु संरक्षण एवं चारा प्रबंध हेतु	13.00 ,,

1	2	3	4
		पेयजल व्यवस्था हेतु	19.75 लाख
		वेतन आदि हेतु	20.14 „
		सहायता कार्यों हेतु	725.25 „
			800.39 लाख
		पुरानी देनदारियाँ संवत् 2029 की जो वास्तव में चुका दी गई हैं परन्तु सहायता मद में व्यय का समायोजन किया जाना है।	218.61 लाख
		योग ..	1019.00 लाख

पिड़ावा-कोठली एवं पिड़ावा-सुवेत सड़क

729. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा कोठली रोड मन्जूर होने पर भी नहीं बनाई गई और वह पैसा उस समय के इंजीनियर ने गबन कर लिया और वह इंजीनियर इस केस में सस्पेन्ड है? अगर हां, तो इस केस में और क्या कार्यवाही चल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पिड़ावा-सुवेत सड़क की हालत बहुत खराब है और कई पुलियां भी हर साल टूट जाती हैं और लाखों रुपया सरकार का खराब जाता है? यदि हां, तो सड़क और पुलिया की मरम्मत कब तक कराई जावेगी?

उत्तर

(1) पिड़ावा कोठली रोड के 5 किलो मीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1969-70 में अकाल सहायता विभाग द्वारा दी गई थी। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत केवल मिट्टी बोल्डर व मिट्टी खुदाई का कार्य हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मामले की जांच कर रहा है, और सम्बन्धित इन्जीनियर निलम्बित है।

(2) सड़क की दशा साधारण है, प्रति वर्ष पुल नहीं टूटे हैं।

वर्ष 1973 में अधिक वर्षा होने के कारण सड़क टूट गई थी। 3 पुलियों पर हाई लेवल ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। 6 पुलियों की एप्रोच रोड की मरम्मत करदी गई है जिन पर से आवागमन चालू है।

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, अकलेरा के भवन का निर्माण

730. श्री भेरू लाल (अकलेरा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अकलेरा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का नव निर्माण कार्य अकलेरा पंचायत एवं जन सहयोग द्वारा लगभग 75 हजार रुपया लगाकर किया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस भवन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा वांछित धनराशि का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण निर्माण कार्य अपूर्ण हालत में है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि शाला भवन के अभाव में यहां की छात्राओं को विद्याध्ययन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त किराये के भवन में विद्यालय रन कर रही है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 15 हजार की धनराशि की सहायता प्राप्त हो जाने से इस शाला भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त भवन के अपूर्ण निर्माण कार्य को सम्पन्न कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? और कितनी धनराशि की तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति अकलेरा द्वारा भवन तैयार किया जा रहा है, किन्तु वह अभी अपूर्ण है। अपूर्ण होने से भवन की कीमत नहीं आंकी जा सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस भवन के निर्माण हेतु 10,000) रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(3) जी हां।

(4) मुख्यतया विभाग की नीति यह रही है कि भवन जनसहयोग द्वारा ही पूरा कराया जाय।

पंचायत समितियों व तहसीलों के ऊंट सवार

731. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पंचायत समितियों व तहसील मुख्यालयों पर जो ऊंट सवार सरकारी सेवा में हैं, क्या उनको सिर्फ दैनिक भत्ता ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मोटर चालक, जीप चालकों को यात्रा व नियमित टी. ए. व डी. ए. दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस भेदभाव को मिटा कर ऊंट सवारों को भी समान रूप से टी. ए. व डी. ए. दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि ऊंट सवारों को अपने मामूली वेतन में से ही ऊंटों को चारा भी खिलाना पड़ता है ?

(वित्त मंत्री)

उत्तर

(1) जी, वस्तुस्थिति इस प्रकार है। शुतुर सवारों को अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रेल द्वारा या यात्री बस सेवा द्वारा की गई यात्राओं के लिये नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है। अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं है क्योंकि शुतुर सवारों को ऊंट भत्ता 40/- रुपये प्रति माह दिया जाता है।

(2) जी नहीं। उन्हें केवल विराम (डी.ए.) भत्ता ही नियमानुसार प्राप्त होता है। यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत उन्हे देय नहीं है।

(3) शुतुर सवार भत्ता इसी शर्त पर देय होता है कि शुतुर सवार सरकारी कार्य हेतु ऊंट अपने खर्चे पर रखें।

रूपारेल नदी पर पुल बनाने की योजना

732. श्री हरिकिशन (राजगढ़)–– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि 2–7–72 को ग्राम सोहनपुर के पास अलवर–राजगढ़ रोड पर रूपारेल नदी के खुर्रे पर पानी के वेग से एक यात्री बस बह गई थी? क्या इस बस में बैठे 75 यात्री, जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे थे, मर गये थे?

(2) क्या यह सही कि यह भयावह दुर्घटना नदी पर पुल के अभाव में हुई थी, तथा बी.बी.सी. लन्दन से इस दुर्घटना की खबरों का प्रसारण हुआ था कि राजस्थान में ऐसी सड़क हैं जहां पुलों के अभाव में यह दुर्घटना होती है?

(3) क्या यह सत्य है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, राजस्थान श्री बरकतुल्ला खां ने 6–7–72 को हृदय विदारक दुर्घटना स्थल देखा था, तथा हजारों शोक सन्तप्त जनता के समूह के समक्ष इस स्थान पर अविलम्ब पुल बनाने का आश्वासन दिया था?

(4) क्या सरकार इस स्थान पर जन सुरक्षा की दृष्टि से पुल का बनाया जाना आवश्यक समझती है? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, 2–7–73 को दुर्घटना हुई थी, जिसमें 73 यात्रियों की मृत्यु हो हो गई थी।

(2) यह सत्य है, कि रूपा रेल नदी पर पुल नहीं है, इस दुर्घटना के क्या कारण थे, इस विभाग की जानकारी में नहीं हैं।

(3) आश्वासन की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) सभी नदियों पर पुल की आवश्यकता होती है, किन्तु अभी अर्थाभाव के कारण इस पुल निर्माण का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के उप निदेशक

733. श्री भीम सैन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वर्तमान उपनिदेशक यशदेव शल्य के पास किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि नहीं है और उनकी शैक्षणिक योग्यताएं राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अध्यापक से भी कम हैं ?

(2) क्या श्री यशदेव शल्य को राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अध्यापक से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है या, कम ? यदि उनका वेतनमान अलग है तो ऐसा क्यों ? पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताएं न होने के बावजूद उन्हें अलग वेतनमान देने का क्या आधार है ?

(3) इस पद पर आने से पूर्व श्री शल्य का प्रशासनिक अनुभव कितने वर्ष का था ? क्या उपनिदेशक जैसे पद के लिए प्रशासनिक अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है ?

(4) क्या श्री शल्य ने भाषा ज्ञान की दृष्टि से हिन्दी के साथ अंग्रेजी की भी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है ?

(5) अकादमी में नियुक्ति से पूर्व उनका प्रकाशित साहित्य, पुस्तकों के रूप में, क्या क्या था ?

(6) क्या नियुक्ति के पूर्व यह प्रयत्न किया गया था कि शल्य से अधिक योग्य व्यक्ति को उपनिदेशक के पद पर रखा जा सके ? यदि हां, तो वह प्रयत्न किस रूप में था और किन-किन व्यक्तियों का पैनल बनाया गया था ?

उत्तर

(1) जी हां। वे हिन्दी की साहित्यरत्न व संस्कृत की साहित्योपाध्याय परीक्षा पास हैं।

(2) श्री शल्य का वेतनमान वरिष्ठ अध्यापक के वेतनमान से अधिक है। वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 225 से 650 है तथा श्री शल्य 700 से 1250 को ग्रेड में नियुक्त हैं। अकादमी के पदों का ग्रेड अध्यापकों के ग्रेड से भिन्न है। श्री शल्य की नियुक्ति अकादमी की एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा की गयी है।

(3) (अ) अकादमी में नियुक्ति के पूर्व श्री शल्य राजस्थान विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र में 1965 से 1969 तक सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त थे।

(ब) उपनिदेशक के पद के लिए प्रशासनिक अनुभव व शैक्षणिक योग्यता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

(4) श्री शल्य ने अंग्रेजी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्टरमीजियेट परीक्षा पास की है।

(5) सूची सदन को मेज पर रख दी गयी है।

(शिक्षा मंत्री)

(6) अकादमी स्वायत्तशासी संस्था है। उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी ने चयन समिति की सिफारिश पर 16-3-71 को बैठक में श्री शल्य को उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया।

परिशिष्ट 'अ'

प्रकाशित पुस्तकें :—

(1) पन्त का काव्य और युग (1961), किताब महल, इलाहाबाद।

(2) मनस्तत्व (1957) हिन्दोस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद।

(3) दार्शनिक विश्लेषण (1961) अखिल भारतीय दर्शन परिषद्।

(4) ज्ञान और सत् (1967) राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

(5) संस्कृति: मानव-कर्तव्य की व्याख्या (1969) राजस्थान विश्वविद्यालय।

सम्पादित पुस्तकें:—

(1) अनुभववाद	1960
(2) समकालीन दार्शनिक समस्याएं	1966
(3) नृतत्व तथा समाज दर्शन (3 खंड)	

पत्रिकाएं :—

(1) दार्शनिक त्रैमासिक 1955 से 1969 तक।

पेन्ट्स व वारनिश के रेट कान्ट्रेक्ट

734. श्री दीपंकर (लाडनूं)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के वित्त विभाग (सी. एस. पी. ओ.) ने फरवरी 1974 में पेन्ट्स व वारनिश के रेन्ट कान्ट्रेक्ट हेतु एक वर्ष की अवधि का टेण्डर आमन्त्रित किया ? अगर हां, तो कितनी फर्मों ने टेण्डर दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि पेन्ट्स व वारनिश का रेट कान्ट्रेक्ट अक्टूबर, 74 में किया गया जबकि टेण्डर छः मास पहले आमन्त्रित किये गये थे ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रेट कान्ट्रेक्ट छः मास की ही अवधि का किया गया जब कि टेण्डर में एक वर्ष की अवधि हेतु आमन्त्रण था ? अगर हां, तो इसका क्या कारण रहा ?

(श्री दीपंकर)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रेट कान्ट्रेक्ट छः महीने हेतु तय होने के बावजूद विभाग (सी.एस.पी.ओ.) के एक उप सचिव ने अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए नया रेट कान्ट्रेक्ट करने की कोशिश की है ? अगर हां, तो क्या कारण रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1974 में सी.एस.पी.ओ. द्वारा एक समानान्तर रेट कान्ट्रेक्ट करने के लिए टेन्डर फिर से आमन्त्रित किये गये अखबारों में विज्ञापन देने के बावजूद भी राज्य से बाहर की कुछ फर्मों को पत्र दिये गये थे ? अगर हां, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं ? बाहर की फर्मों को पत्र लिखने पर उनमें से कितनी फर्मों ने इस रेट कान्ट्रेक्ट (समानान्तर) हेतु आवेदन किया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या यह भी सही है कि विभाग की इस प्रकार की कार्यवाही राज्य की उद्योग इकाइयों के लिए घोषित नीति के सर्वथा विपरीत है ? अगर हां, तो इस प्रकार की मनमानी कार्यवाहियों को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है ।

(2 व 3) टेन्डर मई, 1974 में आमंत्रित किया गया था । इसके अनुसार नये रेट कान्ट्रेक्ट 1 अक्टूबर से करना था । जो टेन्डर आये थे उसके आधार पर रेट कान्ट्रेक्ट किया गया, उसकी अवधि छः मास की ही रखी गई क्योंकि करीबन सभी आइटमों में तकनीकी आधार पर दो ही फर्मों के टेन्डर विचाराधीन रह गये थे जो पर्याप्त नहीं थे और प्रमुख निर्माता फर्मों से टेन्डर भी प्राप्त नहीं हुए थे । जो फर्में विचाराधीन थीं उनके विरुद्ध गत वर्ष शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसके कारण यह निर्णय लिया गया कि इन फर्मों के माल का सेम्पिल लेकर आई.एस. आई. अथवा अन्य लेबोरेटरी से जांच कराई जावे ।

(4) यह सही नहीं है ।

(5) टेन्डर फिर से आमंत्रित नहीं किये गये, परन्तु कमेटी ने तय किया कि कुछ प्रमुख फर्मों को जो डाईरेक्टर जनरल सप्लाईज व डिस्पोजल, दिल्ली से रजिस्टर्ड थी, पत्र लिखना जरूरी है और इसलिए पत्र लिखे गये । अखबारों में विज्ञापन देने के बावजूद भी प्रमुख फर्मों ने टेन्डर नहीं दिये थे व करीबन सभी आइटमों के लिए दो ही टेन्डर विचाराधीन रह गये थे जो स्टोर परचेज कमेटी की राय में पर्याप्त नहीं थे, जिससे यह जाना नहीं जा सकता था कि विचाराधीन टेण्डरों की रेट उचित है या नहीं ।

(6) यह सही नहीं है ।

परिशिष्ट 2

(प्रता. प्र. सं. 417 की सूची)

दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 तक बिक्री कर की बकाया राशि की वृत्तानुसार सूची।

क्र.सं.	नाम वृत्त	बिक्री कर की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1	अजमेर	16.16
2.	ब्यावर	3.65
3.	अलवर	13.86
4.	भरतपुर	44.09
5	जयपुर 'अ'	13.93
6.	जयपुर 'ब'	40.23
7.	जयपुर 'स'	12.38
8.	जयपुर 'द'	15.06
9	एन्टीइवेजन जयपुर	19.54
10.	विशेष वृत्त-I, जयपुर	44.48
11.	विशेष वृत्त-II. जयपुर	89.21
12.	सीकर	9.69
13.	बीकानेर	7.76
14.	गंगापुर	10.30
15	हनुमानगढ़	7.36
16.	जोधपुर 'अ'	16.69
17	जोधपुर 'ब'	4.56
18	विशेष वृत्त, 'जोधपुर'	7.30
19.	नागौर	7.74
20.	पाली	8.41
21	सिरोही	2.27
22.	भीलवाड़ा	6.85
23.	चित्तौड़गढ़	13.11
24	कोटा 'अ'	7.20
25	कोटा 'ब'	13.47

1	2	3
26.	एन्टीइश्वेजन, कोटा	2.48
27.	विशेष वृत्त, कोटा	24.23
28.	गंगापुर	14.43
29.	उदयपुर 'अ'	6.77
30.	उदयपुर 'ब'	3.61

Page No 147

(147)

परिशिष्ट–3

(प्रश्न. प्र. सं. 410 की सूची)

Expenditure on account of medical re-imbursement allowed to Government servants during the year 1973-74.

S.No.	Name of the Department		Amount of expenditure incurred in 1973-74
1	2		3
			(Rupees)
1.	Collector,	Jaipur.	81,685.00
2.	,,	Alwar.	30,756.00
3.	,,	Banswara.	2,680.24
4.	,,	Barmer.	17,053.27
5.	,,	Bhilwara	35,729.00
6.	,,	Bundi.	17,207.00
7.	,,	Chittorgarh.	35,193.00
8.	,,	Churu.	28,327.40
9.	,,	Dungarpur.	8,253.00
10.	,,	Ganganagar.	26,408.95
11.	,,	Jaisalmer.	12,158.00
12.	,,	Jalore.	19,688.56
13.	,,	Jhunjhunu.	12,962.00
14.	,,	Jhalawar.	15,872.85
15.	,,	Kota.	48,536.02
16.	,,	Pali.	13,472.85
17.	,,	Sirohi.	5,167.00
18.	,,	Tonk.	25,142.00
19.	,,	Udaipur.	30,930.00
20.	Treasury Officer,	Ajmer.	9,638.32
21.	,,	Alwar.	4,997.00
22.	,,	Banswara.	1,470.84

1	2	3
23.	Treasury Officer, Bundi.	3,399.85
24.	,, Chittorgarh.	4,098.36
25.	,, Dungarpur.	800.18
26.	,, Jaisalmer.	2,709.46
27.	,, Jalore.	3,699.96
28.	,, Jhalawar.	1,984.67
29.	,, Ganganagar.	3,871.23
30.	,, Jhunjhunu.	2,942.41
31.	,, Kota.	1,200.00
32.	,, Nagaur.	1,740.00
33.	,, Sawai Madhopur.	2,721.00
34.	,, Siker.	1,487.99
35.	,, Sirohi.	1,478.00
36.	,, Udaipur.	8,997.00
37.	Principal, Govt. Polytechnic, Kota.	17,000.00
38.	Dy. Conservator of Forests (Projects), Kota.	10,395.32
39.	Secretary, Mandi Committee, Chambal Project, Kota.	2,726.40
40.	Area Development Commissioner, Chambal, Kota.	4,480.58
41.	Agriculture Engineer, Ravine Reclamation Project, Kota.	10,318.16
42.	Asstt. Conservator of Forests, Ravines, Kota.	1,292.26
43.	Principal, Govt. Polytechnic, Bikaner.	17,078.46
44.	,, S. P. Medical College, Bikaner.	18,596.00
45.	Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner.	2,38,817.00
46.	Chief Accounts Officer, ,, Bikaner.	38,094.00
47.	Commissioner, Ragional Development, Rajasthan Canal Project, Bikaner.	7,843.00
48.	Secretary, Mandi Committee, Bhakhra & Rajasthan Projects, Hanumangarh.	3,129.41

Page No 149

(149)

1	2	3
49.	Director, Archieves, Bikaner.	15,033.12
50.	Additional Chief Engineer & Area Development, Rajasthan Canal, Bikaner.	86,388.87
51.	Superintendent, Attached Hospitals, Bikaner.	1,973.74
52.	Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.	25,396.43
53.	Principal, Govt. Polytechnic, Ajmer.	10,705.22
54.	Principal, Teachers' Training College, Ajmer.	7,428.00
55.	Principal, Govt. Polytechnic, Alwar.	15,000.62
56.	Principal, Govt. College, Sawaimadhopur.	3,772.00
57.	Principal, All Purposes Revenue Training School, Tonk.	3,954.61
58.	Revenue Board, Ajmer.	27,500.00
59.	Chairman, Board of Technical Education, Jodhpur.	4,039.82
60.	Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur.	?,200.00
61.	Engineer-in-Charge & Secretary, Rajasthan Ground Water Board, Jodhpur.	1,45,912.00
62.	Principal, Polytechnic, Jodhpur.	9,971.00
63.	Principal, Gram Sewak Training Centre, Mandore (Jodhpur)	1,462.00
64.	Principal, S. N. Medical College, Jodhpur.	18,249.37
65.	Principal, S. B. K. College, Jaisalmer.	1,627.00
66.	Commissioner, Excise, Udaipur.	25,770.00
67.	Commissioner, Devasthan, Udaipur.	22,197.00
68.	Director, Mines & Geology, Udaipur.	1.30,282.25
69.	Principal, A. N. T. Medical College, Udaipur.	43,903.85
70.	Principal, Community Development & Panchayat Rajya Sansthan, Udaipur.	4,442.89
71.	Chief Engineer, Mahi Bajaj Sagar Project, Banswara	38,206.75
72.	Director, Resettlement, Kadana & Mahi Project, Banswara.	13,416.46

1	2	3
73.	Soil Conservation Officer, Dhan tiwara Projects, Aburoad.	6,186.00
74.	Government Secretariat, Jaipur.	5,64,485.17
75.	Asstt. Secretary, Planning.	66,111.66
76.	Secretary, Khadi & Village Industries Board, Jaipur.	33,384.00
77.	Chief Town Planner & Architectural Advisor, Jaipur.	76,030.48
78.	Commissioner, Commercial Taxes, Jaipur.	2,03,000.00
79.	Principal, S. M. S. Medical College, Jaipur.	1,10,418.00
80.	Director of N. C. C. Raj. Jaipur.	66,301.00
81.	Director Social Welfare, Jaipur.	1,86,704.00
82.	Director of Collage Education, Jaipur.	5,43,925.00
83.	Director, H. C. M. State Institute of Public Administration, Jajpur.	16,180.00
84.	Examiner, Local Fund Audit, Jaipur.	60,972.00
85.	Jagir Commissioner, Jaipur.	17,360.07
86.	Spl. Inspector General of Police, Anti-Corruption, Jaipur.	25,001.00
87.	Director of Industries & Supplies, Jaipur.	72,261.00
88.	Milk Supplies Scheme, Jaipur.	24,943.67
89.	Chief Inspector of Factories & Boilers, Jaipur.	18,194.00
90.	Principal, Ayurvedic College, Jaipur	21,919.13
91.	Member, Transport Appellate Authority, Jaipur.	1,922.35
92.	Director, Mobile Surgical Unit Jaipur.	9,570.00
93.	Director. Employment Exchance, Jaipur.	48,054.82
94.	Settlement Commissioner, Jaipur.	1,54,596.35

1	2	3
95.	Director of State Insurance. Jaipur.	1,72,907.60
96.	Chief Superintendent, Motor Garage, Jaipur.	24,932.00
97.	Director of State Lottaries, Jaipur.	13,811.43
98.	Additional Transport Commissioner, Jaipur.	36,037.00
99.	Dy. Commandant, Home Guard, Jaipur.	51,031.02
100.	Collector, Ajmer.	63,896.36
101.	Director of Technical Education, Jodhpur.	1,02,441.28
102.	Treasury Officer, Jaipur.	25,300.00
103.	Colonisation Commissioner, Bikaner.	66,100.65
104.	Director of Sanskrit Education, Jaipur.	81,480.32
105.	Secretary, S. S. A. Board.	5,135.00
106.	Secretary, Rajasthan Canal Board, Jaipur.	22,143.00
107.	Director, Printing & Stationery, Jaipur.	2,29,975.17
108.	Chief Electoral Officer, Jaipur.	40,344.00
109.	Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.	12,213.00
110.	Principal, Govt. Polytechnic, Udaipur.	14,377.40
111.	Inspector General, Registration & Stamps, Ajmer.	16,000.00
112.	Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.	2,11,725.15

परिशिष्ट-4

(अता. प्र. सं. 422 की सूची)

LIST OF PENDING APPICATIONS FOR SANCTION GARDEN ALLOWANCE IN GANG CANAL COLONY

Name of Disty. F Disty.

Sl. No.	Name of Garden	Name of chak	Area	No. & date under garden sanctioned by Chief Engineer.
1	2	3	4	5
1.	Sh. Mohinder Singh S/o Mukhtiar Singh	17 Q	1.00	
2.	Sh. Mohinder Singh S/o Awatar Singh	17 Q	6.00	
3.	Sh. Sadhu Singh S/o Bishan Singh	19 FF	2.14	
4.	Sh. Amarjit Singh S/o Gangdeep Singh	7 Q	15.00	
5.	Sh. Shangara Singh S/o Jiwan Singh	11 FFA	3.00	
6.	Sh. Mukhtiar Singh S/o Tara Singh	19 FF	3.00	
7.	Sh. Gurnam Singh S/o Karatar Singh	7 Q	6.00	
8.	Sh. Sukhdev Singh S/o Gurnam Singh	51 GG	5.00	
9.	Sh. Shangara Singh S/o Jiwan Singh	11 FFA	12.00	
10.	Sh. Krishan Chandra Paliwal	11 FFB	13.00	

1	2	3	4	5
11.	Sh. Chanan Singh S/o Mehtab Singh	8 V	2.00	
12.	Sh. Gurecharan Singh	18 H	16.00	
13.	Sh. Nand Ram	10 Q	11.16	
14.	Sh. Kala Singh	18 H	5.00	
15.	Sh. Bhawani Singh	1 YH	2.00	
16.	Sh. Balbir Singh	33 H	5.00	
17.	Sh. Blant Singh	4 X	3.00	
18.	Sh. Nachhatar Singh	4 W	15.00	
19.	Smt. Surandra Kaur W/o Ajit Singh	4 K	12.00	
20.	Sh. Harnak Singh	4 W	Area not written	
21.	Sh. Ray Gurdeep Singh	2 W	-do-	
22.	Sh. Satya Pal S/o Govind Ram	2 II	6.00	
23.	Sh. Surendra Pareek	6 Z	2.00	
24.	Sh. Lachhi Ram	3 A Z	32.00	
25.	Sh. Mool Singh	18 Z	7.15	
26.	Sh. Pritam Singh	2 B	4.00	
27.	Sh. Lajpat Rai	3 AL	10.00	
28.	Sh. Kishan Datt Lilla	8 Z	7.00	
29.	Sh. Ashok Kumar Sehgal	10 Z	12.00	
30.	Sh. Ved Parkash	7 Z	4.18	
31.	Sh. Ripudaman Singh	4 A	1.18	
32.	Sh. Banwari Lal	1 A	8.08	
33.	Sh. Jagdish Singh	12 Z	2.00	
34.	Sh. Maya Devi	6 Z	5.00	
35.	Sh. Kishan Lal	6 Z	1.00	
36.	Sh. Lajpat Rai	3 AII	3.04	
37.	Sh. Amarbir Singh	13 Z	20.00	
38.	Sh. Inderjeet Singh	13 Z	25.00	

1	2	3	4	5
39.	Sh. Rashbag Singh	13 Z	25.00	
40.	Sh. Joginder Singh	13 Z	25.00	
41.	Sh. Puran Singh	6 a Z	0.14	
42.	Sh. Rajender Singh	3 a Z	6.00	
43.	Sh. Gurdev Singh	4 a	6.10	
44.	Sh. Amarjeet Singh	4 a	6.01	
45.	Sh. Jograj Sobti	9 a	5.00	
46.	Sh. Hazari Lal Goyal	1 a	5.00	
47.	Sh. Ghan Shyam Dass	4 e	4.00	
48.	Smt. Shanti Devi	6 e	6.00	
49.	Sh. Nishan Singh	6 e	8.00	
50.	Sh. Surender Singh, Kartar Singh S/o Kashi Ram	1 e II	6.00	
51.	Sh. Gurbux Singh	1 e II	6.10	
52.	Sh. Mohan Lal Jasuja Advocate	2 e	10.00	
53.	Sh. Jessa Ram	5 D	3.00	
54.	Sh. Sadhu Singh	3 Y	5.00	
55.	Sh. Kirpal Singh S/o Mohinder Singh	7 Y	8.5	
56.	Sh. Harnek Singh S/o Mohinder Singh	7 Y	5.00	
57.	Sh. Balwant Singh	7 Y	7.96	
58.	Sh. Sukhdev Singh	7 Y	8.6	
59.	Sh. Charanjeet Singh	8Y	4.00	
60.	Sh. Amarjeet Singh	8Y	4.00	
61.	Smt. Ram Piari W/o Mohan Lal	1B	12.10	
62.	Sh. Baljar Singh S/o Bhola Singh	6g II	5.00	

1	2	3	4	5
63.	Sh. Balgir Singh S/o Gurdial Singh	5 NN	15.00	
64.	Sh. Sohan Sihgh S/o Gurdial Singh	5 NN	15.00	
65.	Smt. Gigi Devi	8GI	12.00	
66.	Sh. Dwarka Dutt S/o Lakapat	33 gg	6.00	
67.	Sh. Amerjeet Singh S/o Budan Singh	6 g II	8.00	
68.	Sh. Har Chand	17 BB	29.00	
69.	Sh. Amar Singh S/o Chanan Singh	25 BB	9.10	
70.	Sh. Sohan Lal S/o Harsuk	29 BB	8.05	
71.	Sh. Subhas Chand	1 CC	2.14	
72.	Sh. Jaswant Singh	37 BB	4.00	
73.	Sh. Mohinder Singh S/o Ram Singh	1 CC	3.00	
74.	Sh. Balvinder Singh	6 CC	7.00	
75.	Sh. Ratan Singh S/o Amolak Singh	6 CC	5.10	
76.	Sh. Joginder Singh	6 CC	8.5	
77.	Sh. Bhagirath S/o Bega Ram	17 BB	15.10	
78.	Sh. Banwari Lal S/o Gega Singh	17 BB	7.00	
79.	Sh. Surender Pal	17 BB	7.10	
80.	Sh. Vijey Pal	17 BB	15.10	
81.	Sh. Het Ram	17 BB	15.10	
82.	Sh. Sujan Kaur	20 BB	3.00	
83.	Sh. Raghubir Singh	25 BB	5.00	

Page No 156

(156)

1	2	3	4	5
84.	Sh. Bhagirath	4 HH	24.08	10 Killas garden senctioned vide CEI No. 2756 Dt. 8-5-72.
85.	Sh. Gobind Ram	13 HH	4.00	
86.	Sh. JabarJangh Singh	3 HH	20.00	
87.	Sh. Jiv Raj Singh	2 HH	2.00	
88.	Sh. Sukh Singh S/o Jot Ram	4 HH	29.00	
89.	Sh. Joga Singh	13 EEA	8.00	Out of 8 bigha Garden sanctioned vide CE No. 4498 Dt. 3-9-73
90.	Sh. Ram Dhan S/o Ram Chand	26 ML	22.00	
91.	Sh. Joga Ram	13 EEA	4.00	
92.	Sh. Harbans Singh	58 RB	8.00	
93.	Sh. Madan Lall	80 RB	4.00	
94.	Sh. Daleep Singh	50 RB	2.00	
95.	Smt. Daleep Kaur	25 PS/A	25.00	
96.	Sh. Bagh Singh	27 GB	10.00	
97.	Sh. Gumana Ram	89 GB	5.5	
98.	Sh. Sant Singh	92 GB	6.00	
99.	Sh. Jaswant Singh S/o Sharm Singh	13 GB	9.00	
100.	Sh. Asa Singh	39 GB	6.00	
101.	Sh. Harikishan S/o Smt. Gita Devi	33 BA	25.00	
102.	Sh. Harnam Singh C/o Sohan Singh	89 GB	15.00	
103.	Sh. Sant Singh S/o Hari Singh	32 GB	6.00	
104,	Sh. Kailash Chand Mehtal	FFB	6.10	
105.	Sh. Jarnail Singh	5 GB	4.00	

परिशिष्ट 5

(अता. प्र. सं. 425 की सूची)

(सूची–ब)

क्रमांक	भवन का नाम	अनुमानित बाढ़ क्षति
1	2	3
1.	जिलाधीश बंगला	3,000.00
2.	डाक बंगला सिरोही के दो क्वार्टर	2,000.00
3.	अधीक्षक पुलिस बंगला	3,000.00
4.	मिलेट्री पुलिस लाइन सिरोही का क्वार्टर	2,500.00
5.	अतिरिक्त सेसन जज बंगला	5,000.00
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बंगला	3,000.00
7.	मर्दाना अस्पताल सिरोही में चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के क्वार्टर	2,000.00
8.	जनाना अस्पताल में स्त्री चिकित्सक व कर्मचारियों के क्वार्टर	1,000.00
9.	डाक बंगला सिरोही में सी साइज का बंगला	3,001 00
10	स्वरूप सदन बंगला में डी साइज व ई साइज क्वार्टर	2,500.00
11.	नया बाजार-सिरोही में 4 रिहायशी क्वार्टर	2,000.00
12	ई साइज बंगला सोजाबाद।	3,000.00
13	नई पुलिस लाइन क्वार्टर	10,000 00
14	रेडक्रास निवास	3,000 00
15.	रिहायसी क्वार्टर नगर कोटवाली	2,500.00
16.	राजकीय विद्यालय निवास	10,000.00
17.	ई व एफ साइज 21 क्वार्टर सा.नि.वि. कोलोनी	12,000 00
18.	जी साइज क्वार्टर सा नि.वि. कोलोनी	10,000.00
19	एम साइज क्वार्टर 14 सा.नि वि. कोलोनी	3,000.00
20.	सरनेश्वर जी ओरत	12,000.00
21	मिलेट्री पुलिस सिरोही	3,000.00
22.	केशर इन्फेन्टरी सिरोही	4,000.00
23.	पुरानी पुलिस लाइन सिरोही	15,000.00
24.	बागी खाना भवन कस्बा शाला सिरोही	10,000 00
25	मर्दाना अस्पताल	10,000.00

Page No 158

(158)

1	2	3
26.	टी. बी. वार्ड	700.00
27.	डाक बंगला	5,000.00
28.	राजकीय महा विद्यालय	11,000.00
29.	उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना व नया	15,000.00
30.	सर. के. पी विद्यालय	7,000.00
31.	स्वरूप विलास भवन सिरोही	15,000 00
32.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही	3,000.00
33.	सेल्स टैक्स ओफिस वेटी. होस्पीटल, नया बाजार, सिरोही	3,000.00
34.	डाक बंगला, मनलेरा	3,000.00
35.	डाक बंगला, सांवरा	3,000.00
36	डाक बंगलो कालन्धरी मय क्वार्टर	3,000.00
37.	डाक बंगला शिवगंज	5,000.00
38.	इन्सपेक्टर स्कूल आफिस, सिरोही	5,000.00
39.	जोधपुर भवन माउन्ट आबू	2,000 00
40.	सर्किट हाउस, माउन्ट आबू	2,000.00
41.	धोलपुर हाउस ,,	10,000.00
42.	होली डे होम ,,	2,000.00
43.	पुराना कस्टम हाउस ,,	500.00
44	केरिक कोटेज ,,	1,000.00
45.	पंचायत हाउस ,,	1,000.00
46.	देलवाड़ा पुलिस लाइन, आबू	1,500.00
47.	मिघरूस्ट डाक बगला	4,000.00
48.	देलवाडा पी.एस. आई. क्वार्टर	300.00
49.	केशरगढ़ यू हाउस	8,500.00
50	जनरल अस्पताल, माउन्ट आबू	5,000.00
51.	राजकीय अस्पताल, नोकरों के क्वार्टर	8,000 00
52.	राजकीय कन्या स्कूल, आबू	1,500.00
53.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंज हट इन स्टोर	1,280.00
54.	चपरासियों के चार क्वार्टर	5,000.00
55.	अपर अपोंडपेट ब्लाक 2, न्यू तहसील बिल्डिंग	1,500,00
56.	एम टाइप क्वार्टर, जी--5 हाउस	800.00
57.	डी टाइप क्वार्टर	8000.00
58.	पुलिस बिल्डिंग माउन्ट आबू	500.00
59.	एम. आई. जी. गेस्ट हाउस	5,000.00

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 43 सूची)

सन् 1975 में फागी एवं चाकसू तहसीलों में मरम्मत कराये जाने वाले कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	75 में होने वाला खर्चा	
1	2	3	4	
1.	बूजियाली	फागी	4,800	रुपये
2.	बूडिया सागर	,,	1,580	,,
3.	किशनपुरा	,,	850	,,
4.	नया सागर माखंडिया	,,	2,860	,,
5.	राम सागर माधोराजपुरा	,,	5,000	,,
6.	रानी सागर लसाडिया	,,	700	,,
7.	छोलिया चकवाड़ा	,,	2,100	,,
8.	बड़ा सागर सुल्तानिया	,,	800	,,
9.	कानेताव	,,	13,820	,,
10.	राम सागर	,,	600	,,
11.	कोडिया सागर	,,	900	,,
12.	मोती सागर चौरू	,,	600	,,
13.	राम सागर चौरू	,,	800	,,
14.	हिंगानिया	,,	15,120	,,
15.	टोडोताव	,,	11,560	,,
16.	भोजपुरा	,,	11,000	,,
17.	नेन सिया	,,	40,200	,,
18.	काला तलाव	,,	9,320	,,
			1,22,340.00	,,
1.	श्यामपुरा	चाकसू	1,75,000.00	,,

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 मार्च, 1975

स्तम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
5	ऊपर से 6	—	के
6	नीचे से 6	इसको	इसका
14	ऊपर से 10—11	तार	टार
28	,, 5	आपने	—
29	,, 1	भाई	भार
29	,, 14	यह	या
32	,, 5	कारणवश	कारण
67	,, 5	गई	—
80	,, 11	Hisconduct	Misconduct
91	,, 16	सी.आई.पी	सी.पी.आई.
99	नीचे से 1	सरकार	सरकार द्वारा
103	ऊपर से 4	की	कि
114	नीचे से 12	कनवेस	कनाईवेस
173	,, 16	सर्वभुतेशु	सर्वभूतेषु
228	,, 2	मै में	मे मैं
230	,, 12	कि जो	जो कि
232	,, 2	लाकर दिया	लगाकर लिया
234	,, 2	स्कीम	स्कीम में
234	,, 1	कि	—
238	ऊपर से 4	तो	जो
263	,, 4	भत्त	भत्ते
273	,, 15	Pol, technic	Polytechnic